सशक्त पंचायत सतत् विकास

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

विषय

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
	अनुबंधों की सूची	iv
	संक्षेपाक्षर और परिवर्णी शब्दों की सूची	v
1.	परिचय	03
2.	मंत्रालय का गठन	07
3.	पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास	17
4.	वार्षिक बजट और योजना	23
5.	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण	27
6.	पंचायत विकास योजनाएं	41
7.	पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण	49
8.	पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)	59
9.	ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल	65
10.	पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण	79
11.	केंद्रीय वित्त आयोग- राजकोषीय हस्तांतरण	85
12.	पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन	97
13.	पंचायत चुनाव	105
14.	स्वामित्व	109
15.	पुरस्कारों के माध्यम से पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	121
16.	कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन	127
17.	मीडिया एवं प्रचार	131
18.	अनुबंध	139

अनुबंध	विषय	पृष्ठ सं.
I.	ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी)	139
II.	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च 2024 की स्थिति में)	140
III.	पंचायती राज मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (31 मार्च 2024 की स्थिति में)	141
IV.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)/ पुनर्गठित आरजीएसए के तहत जारी धनराशि की स्थिति	142
V.	आरजीएसए के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार स्थिति	143
VI.	पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का पंचायत के विभिन्न स्तरों के बीच वितरण	144
VII.	31.03.2024 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्षवार आवंटन और रिलीज	145
VIII.(a)	ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति अवधि 2021-22	146
VIII.(b)	ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति अवधि 2022-23	147
IX.	पेसा अधिनियम की अधिसूचना	148
X.	राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार प्राप्त पुरस्कारों की संख्या	151

संक्षेपाक्षर और परिवर्णी शब्द

3 एफ	कोष, कार्य और कर्मी
ए ए पी	वार्षिक कार्य योजनाएँ
एसीबीपी	वार्षिक क्षमता निर्माण योजना
ए के ए एम	आजादी का अमृत महोत्सव
एआर एंड आरएस	कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन
एवी	श्रव्य ख्र दृश्य
बीई	बजट अनुमान
बीआईएसएजी-एन	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष एप्लीकेशन और भू-सूचना विज्ञान संस्थान
बीओसी	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन
बीपीडीपी	ब्लॉक पंचायत विकास योजना
बीपीआर	व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सीबी/सीबी-टी	क्षमता निर्माण/क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीबीटी	कंप्यूटर आधारित ट्यूटोरियल
सीबीयू	क्षमता निर्माण इकाई
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
सीईसी	केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
सीओआरएस	सतत ऑपरेटिंग संदर्भ प्रणाली
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीएवीपी	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
डी ए वाई- एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीयूपीएसपी	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार
डीआई	अंतरण सूचकांक
डीपीए	व्यवहार में संमंजित नीति में अंतरण का सूचकांक
डीपीडीपी	जिला पंचायत विकास योजना

डीपीओ	नीति में अंतरण का सूचकांक
डीपीआर	व्यवहार में अंतरण का सूचकांक
डीपीसी	जिला योजना समिति
डीपीई	विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं सशक्तिकरण
डीपीआरसी	जिला पंचायत संसाधन
डीएमपी	आपदा प्रबंधन योजना
डीओई	व्यय विभाग
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
ईजीएसपीआई	ईग्राम स्वराज – पीएफएमएस इंटरफेस
ईआर	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईडब्ल्यूआर	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफडी	राजकोषीय अंतरण
एफएफसी	चौदहवाँ वित्त आयोग
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जीईएम	गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस
जी ओ आई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीएस	वैश्विक पोजिशनिंग प्रणाली
जीएस	ग्राम सभा
एचआर	मानव संसाधन
आईएपी	समेकित कार्य योजना
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवाएँ
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईओपी	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण
आईपी	मध्यवर्ती पंचायतें
आईपीकेपी	इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल
आईएसएनए	सूचना एवं सेवा आवश्यकताओं का मूल्यांकन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जे एवं के	जम्मू एवं कश्मीर
के आई एल ए	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान
एलजीडी	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एलएचडीआई	स्थानीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट

एलआईएफ	स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क
एलएसडीजी	सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
एमए	मिशन अंत्योदय
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एमएफपी	लघु वन उपज
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएमपी	मिशन मोड परियोजना
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएस (पीआर)	राज्यमंत्री, पंचायती राज
एमपीआर	पंचायती राज मंत्री
एनएडी	राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका
एनसीबीएफ	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क
एनडीआरजीजीएसपी	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
एनई	पूर्वोत्तर
एनईजीडी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
एनएफडीसी	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएफ	राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क
एनआईआरडीएंडपीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनआईआरडीएंडपीआर, एनईआरसी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र
एनएलएम	राष्ट्रीय स्तर के निगरानी कर्ता
एनपीआरडी	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
एन पी टी ए	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना
एनपीएमयू	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओएसआर	राजस्व का स्वयं का स्रोत
पीएंडबी	योजना और बजट

पीबी	पंचायत भवन
पीईएआईएस	पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना
पीईएस	पंचायत एंटरप्राइज सुइट
पेसा	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीडीआई	पंचायत विकास सूचकांक
पीडीपी	पंचायत विकास योजना
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएलसी	पीयर लर्निंग सेंटर
पीएम	प्रधानमंत्री
पीएमईवाईएसए	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमएसए	पंचायत महिला शक्ति अभियान
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
पीपीसी	जन योजना अभियान
पीपीपी	सार्वजनिक, निजी, भागीदारी
पीआर	पंचायती राज
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीआरआईए सॉफ्ट	पीआरआई लेखांकन सिस्टम सॉफ्टवेयर
आरएडीपीएफआई	ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
आरबीएच	ग्रामीण व्यापार केंद्र
आरसीएमएस	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
आरडी	ग्रामीण विकास
आरएडीपीएफआई	ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
आरडीपीआर	ग्रामीण विकास और पंचायती राज
आरई	संशोधित अनुमान
आरजीपीएसए	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरजीएसवाई	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
आरएलबी	ग्रामीण स्थानीय निकाय
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसएटीसीओएम	सैटेलाइट कम्युनिकेशंस
एसबीएम-ग्रामीण	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
एससी	अनुसूचित जाति

एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसी	राज्य निर्वाचन आयोग
एसईसीसी	सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईआरडी	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
एसओआई	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
एसएनए	एकल नोडल एजेंसी
एसपीआरसी	राज्य पंचायत संसाधन केंद्र
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटी	अनुसूचित जनजाति
स्वामित्व	ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग
टीएफसी	बारहवां वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग
टीजीएंडएस	तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता
टीआईएसपीआरआई	निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके भारत में बदलाव
टीएलबी	पारंपरिक स्थानीय निकाय
टीएमपी	प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीएसआई	तकनीकी सहायता संस्था
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
टीवी	टेलीविजन
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूटी	केंद्रशासित प्रदेश
वीपीआरपी	ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना
वीएलई	सार्वजनिक सेवा केंद्रों का प्रबंधन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी
डब्ल्यूएएसएच	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
वाईएएसएचएडीए	यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन
XVFC	15वां वित्त आयोग

परिचय

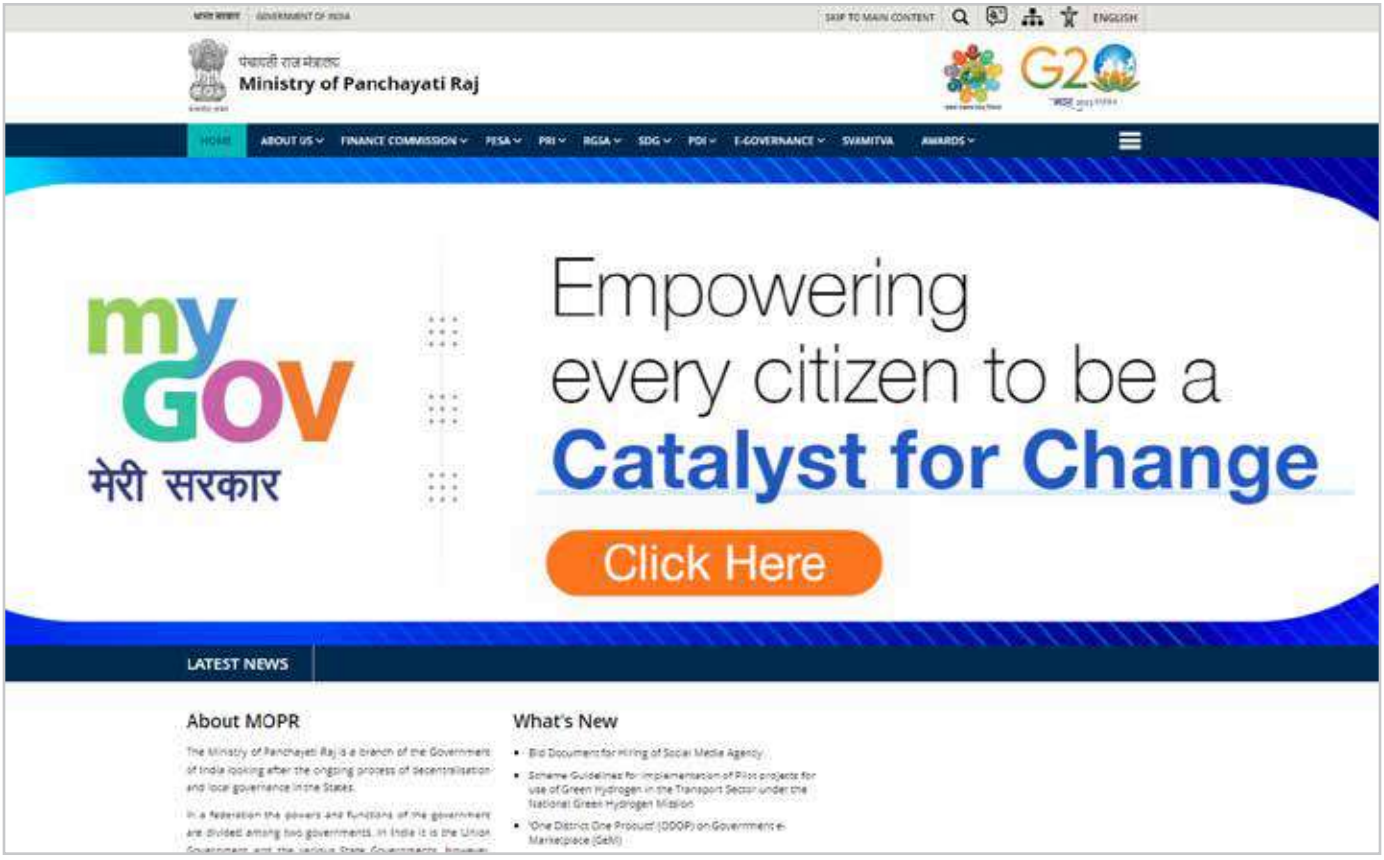

https://panchayat.gov.in

अध्याय 1

परिचय

1.1 भारतीय पंचायती राज प्रणाली, जिसकी जड़ें हमारे देश के लंबे इतिहास और संस्कृति में हैं, लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनश्चित करके भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। यहाँ लगभग 2.6 लाख पंचायतें हैं जिनमें 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिसमें से लगभग 46% महिलाएं हैं। यह अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो समाज के कमजोर वर्ग हैं। हमारी पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन की अगली कड़ी के रूप में भाग IX (अनुच्छेद 243) को पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली प्रदान करना; एसटी, एससी और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण; नियमित चुनाव; पंचायतों को शक्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण आदि संविधान में जोड़ा गया था।

1.2 पंचायती राज मंत्रालय का विजन

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना।

1.3 पंचायती राज मंत्रालय का मिशन

सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास और सेवाओं की कुशल प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पीआरआई का सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेही।

पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश

1.4 पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई, 2004 को किया गया था। (i) संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की देखरेख करना, (ii) पांचवें अनुसूची क्षेत्रों में 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) का कार्यान्वयन और (iii) संविधान के भाग IX-A के अनुच्छेद 243ZD के संदर्भ में जिला योजना समितियों का संचालन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।

क्योंकि कानून बनाने सहित अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के पास हैं, इसलिए मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत सुधार, समर्थन, क्षमता निर्माण, अनुनय और वित्तीय सहायता के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

1.5 मंत्रालय का उद्देश्य स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाना है।

1.6 पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक अवसंरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है।

उपरोक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप तीन स्तंभों पर आधारित है:- (i) वित्त आयोग के वित्त पोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, (ii) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (संशोधित आरजीएसए) के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण निकायों का क्षमता निर्माण और (iii) ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और समर्थनकारी/सहयोगपूर्ण कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से अभिसारी समग्र आयोजना।

1.7 राज्यों की भूमिका

संविधान में परिकल्पना की गई है कि पंचायतें

स्थानीय सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगी और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी और योजनाओं को लागू करेंगी, लेकिन पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों का सटीक हस्तांतरण राज्यों पर छोड़ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में कहा गया है कि पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाकर लागू करनी चाहिए। अनुच्छेद 243ZD में पंचायतों द्वारा तैयार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करके जिला योजना तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान है।

पंचायतों को हस्तांतरण के लिए; योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए; आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए राज्य विधानमंडलों को ग्यारहवीं अनुसूची (**अनुबंध**-I) में दिए गए उदाहरणात्मक 29 विषयों पर विचार करना है कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों को धनराशि का प्रावधान राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य पंचायत क्षमताओं के निर्माण और जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए एक उचित फ्रेमवर्क बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.8 भाग IX के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्र

यद्यपि संविधान का भाग IX देश के विशाल क्षेत्र पर लागू होता है, संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार, कुछ क्षेत्रों को भाग IX से छूट दी गई है। इनमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य; असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र; मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र (जिनके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं); और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में जिला स्तरीय पंचायतें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में ग्राम परिषदें जैसी विभिन्न प्रकार की जमीनी स्तर की स्थानीय शासन संरचनाएँ मौजूद हैं।

1.9 पीआरआई संबंधी मूल डेटा (31.3.2024 तक के अनुसार)

ग्राम पंचायतों की संख्या	मध्यवर्ती पंचायतों की संख्या	जिला पंचायतों की संख्या	पारंपरिक स्थानीय निकायों की संख्या
2,55,197	6,706	665	16,152

पेसा राज्यों की संख्या	पेसा गांवों की संख्या	पेसा पंचायतों की संख्या	पेसा ब्लॉकों की संख्या
10	77,564	22,040	664

पूर्णतः कवर किए गए पेसा जिलों की संख्या	आंशिक रूप से कवर किए गए पेसा जिलों की संख्या
45	63

मंत्रालय का गठन

अध्याय 2

मंत्रालय का गठन

2.1 प्रशासनिक संरचना

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) का नेतृत्व एक केंद्रीय मंत्री करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री, एक सचिव, एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, दो निदेशक, तीन उप सचिव और आठ अवर सचिवों सहित अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के वित्तीय मामलों की देखरेख करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय में नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 113 (अनुबंध-II) है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-III पर दिया गया है।

2.2 मंत्रालय के प्रभाग

मंत्रालय के पांच प्रमुख प्रभाग हैं, अर्थात् (क) स्वामित्व, ई-गवर्नेंस, एमएमपी ई-पंचायत योजना कार्यान्वयन और सतर्कता एवं सीवीओ (ख) राजकोषीय हस्तांत्रण और नीति (ग) अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय मामले, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना का कार्यान्वयन, प्रशासन, मीडिया और प्रचार, कार्य अनुसंधान और योजना समन्वयन (घ) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, आरजीएसए स्कीम का कार्यान्वयन और पीडीआई रिपोर्ट कार्यान्वयन (ङ) सामान्य समन्वयन, संसदीय समन्वयन, लोक शिकायत और आरटीआई, कानूनी समन्वयन और राजभाषा।

श्री गिरिराज सिंह
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
पंचायती राज राज्य मंत्री

2.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

एमओपीआर सेवाओं और संबंधित मामलों में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण से संबंधित मामलों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है। एमओपीआर में एससी, एसटी और ओबीसी से संबंधित कर्मचारियों की संख्या **तालिका** 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1

दिनांक 31-03-2024 तक की स्थिति के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय में एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का विवरण

श्रेणी	समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
अनुसूचित जाति	05	01	04	10
अनुसूचित जनजाति	01	06	0	07
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	10	06	19
अल्पसंख्यक	00	00	00	00

2.4 सतर्कता मामले

एमओपीआर में सतर्कता मामलों से संबंधित कार्य सीवीसी की निर्धारित प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। अब तक की स्थिति के अनुसार, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) को मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2.5 ई-ऑफिस एवं बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय ने जून, 2014 से पहले ही ई-ऑफिस लागू कर लिया है जिसमें सभी दस्तावेजों और फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है; कार्यालय के सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं जिससे फिजिकल फाइलों का उपयोग/चलन लगभग शून्य हो गया है। इससे समय की भी काफी बचत होती है और कागज का उपयोग भी न्यूनतम हो जाता है।

यह कार्यालय अक्टूबर, 2014 से सभी कर्मचारियों के संबंध में बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और इस मंत्रालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की मासिक आधार पर उपस्थिति में समय की पाबंदी भी बनाए हुए है।

2.6 क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू)

वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी के समन्वय के लिए भारत सरकार (डीओपीटी) की अधिसूचना संख्या T-16017/09/2020-iGOT दिनांक 01.04.2021 के अनुसरण में पंचायती राज मंत्रालय में "मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम" के तहत एक क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन किया गया है जिसमें अपर सचिव (पीआर), अध्यक्ष और अन्य आठ सदस्य हैं, जो योजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करते हैं तथा सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच साझा संसाधनों के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं।

मंत्रालय के सीबीयू का मुख्य कार्य प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की मैपिंग के माध्यम से आवश्यक दक्षताओं का मूल्यांकन करना, मौजूदा योग्यता अंतराल को मैप करने के लिए सीबीसी के सहयोग से प्रभाग-वार एचआर ऑडिट करना, सीबीसी के सहयोग से मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) को सह-सम्बद्ध, अद्यतन और कार्यान्वित करना, मंत्रालय में एसीबीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और सीबीसी को रिपोर्ट करना, विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में संगठनात्मक क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण सुधारों को सुविधाजनक बनाना है।

सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) पर पहली बैठक-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला सदस्य (एचआर), क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी), सीबीसी के प्रतिनिधियों, पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रालय की क्षमता निर्माण इकाई के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 22 जुलाई, 2022 को जीवन भारती भवन में आयोजित की गई।

वर्ष 2022-23 के लिए एसीबीपी की समीक्षा हेतु अपर सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में कई बैठकें आयोजित की गईं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की तैयारी के लिए आवश्यक इनपुट यानी स्वीकृत स्ट्रेंथ, कार्यरत स्ट्रेंथ, मंत्रालय की प्रभागवार गतिविधियां सीबीसी को प्रदान की गई हैं। क्षमता निर्माण आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में आधारभूत/बेसलाइन और यथास्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस वित्तीय वर्ष के लिए, मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु सीबीसी के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है।

2.7 वर्ष 2023-24 के लिए मिशन कर्मयोगी भारत के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) का कार्यान्वयन

पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन कर्मयोगी भारत के तहत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की सिफारिश के अनुसार वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) के चरण- I और चरण- II के लिए चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2023-2024 के लिए क्षमता निर्माण योजना गतिविधियों को लागू करना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2022-2023 के दौरान **चरण**-1 में, पंचायती राज मंत्रालय ने सीबीसी द्वारा सुझाई गई सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को लागू किया है, जिसमें क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन, क्षमता निर्माण के लक्ष्यों की पहचान करने, मंत्रालय के लिए क्षमता आवश्यकताओं का मूल्यांकन (सीएनए) करने, सीएनए निष्कर्षों का विश्लेषण और सत्यापन, क्षमता आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सुधार करने आदि हेतु अपर सचीव/संयुक्त सचीव और/या प्रत्येक प्रभाग के प्रमुख स्टाफ सदस्यों सहित प्रभागों के प्रमुख के साथ प्रभाग-वार पारस्परिक चर्चा शामिल है।

चरण-2 में मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की सभी गतिविधियों को पदनामवार प्रशिक्षण कैलेंडर और प्रभागवार प्रशिक्षण संबंधी सुधारों और गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप पर लागू किया है।

2.8 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय ने आईजीओटी (iGOT) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रत्येक सप्ताह के बुधवार के अपराह्न को विशेष रूप से बैठकरहित (नो मिटिंग) रखना तय किया है।

परिणामस्वरूप, 31 दिसंबर 2023 से पहले 100% कर्मचारी आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं।

(i) सीबीपी में प्रस्तावित प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर आईजीओटी-कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से मिशन कर्मयोगी भारत के तहत संबंधित सीबीपी में पहचाने गए क्विक विन पाठ्यक्रमों से ऑनबोर्ड कर्मचारियों ने आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कम से कम 6 घंटे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(ii) मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के परामर्श से अपने मंत्रालय को जानें (नो योर मिनिस्ट्री) मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में है।

2.9 ऑफलाइन/फिजिकल प्रशिक्षण संबंधी हस्तक्षेप

पंचायती राज मंत्रालय ने 31.03.2024 तक कार्यक्षेत्र, कार्यात्मक एवं व्यवहारात्मक क्षेत्रों में 16 प्रशिक्षण संबंधी सुधार/कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

2. परिणामस्वरूप, परामर्शदाताओं और कार्यालय सहायकों सहित 235 अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान प्रशिक्षण सुधारों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया है।

संक्षेप में विवरण **तालिका 2.2** में अग्रानुसार है:

तालिका 2.2		
सीबीसी द्वारा पहचाने गए लक्ष्य	एमओपीआर द्वारा प्राप्त किया गया	भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचा. रियों की कुल संख्या
15 (कार्यक्षेत्र, व्यवहारात्मक और कार्यात्मक)	16	235
''प्रशिक्षण व्यय'' के अंतर्गत निर्धारित संशोधित बजट	वर्ष 2023-24 के लिए क्षमता निर्माण मद में बजट व्यय	
रु.40 लाख	रु. 36,86,152/-	

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण संबंधी सुधार का विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजक	तिथि	भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	किया गया व्यय (रुपये में)
1	सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर स्तर ख प्रशिक्षण कार्यक्रम - एएसओ से एसओ स्तर तक	आईएसटीएम	01 मई से अक्टूबर, 2023	04	155954
2	सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम - एएसओ के लिए	आईएसटीएम	28.08.23 से 08.09.23, 26.12.23 से 19.01.24 और 08.01.24 से 02.02.24	03	135000
3	सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर स्तर घ प्रशिक्षण कार्यक्रम- यूएस ग्रेड में पदोन्नति के लिए एसओ को	आईएसटीएम	05.06.23 से 14.07.23	01	71889
4	सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर स्तर ङ प्रशिक्षण कार्यक्रम- अवर सचिव के लिए	आईएसटीएम	13.11.23 से 08.12.23	01	62500

5	सीएसएसएस के पीपीएस के लिए स्तर-I और IV प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	05.06.23 से 23.06.23, 01.01.2024 से 19.01.2024	03	146203
6	योग कार्यशाला नामत: "कार्यकारियों के लिए कार्यशाला"	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई)	12-13 मई 2023	01	1000
7	प्रशासनिक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम, सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों/परिवादों की हैंडलिंग/ संवीक्षा/ जांच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईएसटीडी	05-07 जून 2023	02	141598
8	सचिवीय प्रभावशीलता और कार्यालय प्रबंधन पर उन्नत पाठ्यक्रम	एनपीसी	19-23 जून 23	01	67236
9	संविदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईएम	09-13 अक्टूबर 23	01	138272
10	"लेखा एवं वित्त" पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीसी	27.11.2023 से 01.12.23	16	864000
11	ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीसी	18-22 दिसंबर 23	02	110000
12	आईजीओटी पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम	क्षमता निर्माण आयोग	19 जुलाई 2023	121	-
13	आंतरिक शक्ति विकसित करने एवं तनाव मुक्त प्रबंधन कार्यक्रम (तनाव प्रबंधन)	ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय" (बीकेआईवीवी)	20 सितम्बर 2023	45	-
14	उदयपुर, राजस्थान में भारत सरकार में स्मार्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, टिप्पण एवं आलेखन	एनपीसी	06 से 10 फरवरी, 2024	22	11,37,500
15	मिशन लाइफ- गोवा में पर्यावरण और ग्रीन क्रेडिट के लिए जीवन शैली	एनपीसी	19-23 फरवरी, 2024	11	6,05,000
16	सीएसएस के अवर सचिवों के लिए स्तर - ई प्रशिक्षण	आईएसटीएम	04 - 29 मार्च, 2024	01	50,000
	कुल			**235**	**36,86,152**

2.10 गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधार

पंचायती राज मंत्रालय ने नए अधिकारियों और मौजूदा अधिकारियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रमों से शुरू होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आईएसटीएम में अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, अधि कारियों/कर्मचारियों ने असम, मेघालय, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत/पंचायतें/गांव/क्षेत्र स्तरीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि - ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का उपयोग करने में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर गैर-प्रशिक्षण संबंधी हस्तक्षेप किया है।

2.10.1 मंत्रालय ने राज्य सरकारों के ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और संबंधित अधिकारियों के समन्वयन में विषयगत जीपीडीपी और पीडीआई में केंद्र सरकार और राज्य की प्रमुख योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत में कार्यान्वित/की गई गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए 14 **राज्यों के लिए** 14 **समूहों का गठन** किया। चुनाव ड्यूटी के कारण, कुछ समूह अपना अध्ययन नहीं कर सके। हालाँकि, 05 समूहों को हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और केरल का अध्ययन दौरा कराया गया।

अध्ययन दौरों के लिए चिन्हित किए गए लक्ष्य	एमओपीआर द्वारा प्राप्त किए गए	भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या
05	10	25

तालिका 2.3

दिनांक 31/03/2024 तक की स्थिति के अनुसार गैर-प्रशिक्षण सुधारों का विवरण

क्र.सं.	एक्सपोजर विजिट का नाम	अवधि	संचालक संगठन	भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1.	सीएसएस के एएसओ स्तर के अधिकारियों के लिए स्तर ख प्रशिक्षण के तहत फील्ड स्तर से जुड़े **राज्यों गुवाहाटी, मेघालय, अहमदाबाद** में विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक्सपोजर दौरा	15 दिन	आईएसटीएम	04
2.	फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर और भारत दर्शन से जुड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर एक्सपोजर विजिट - सीएसएस के एएसओ स्तर के अधि कारियों के लिए	12 दिन	आईएसटीएम	03
3.	सीएसएस के एसओ और यूएस स्तर के अधिकारियों के लिए स्तर घ और ङ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से जुड़े ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर एक्सपोजर दौरा।	15 दिन	आईएसटीएम	02

4.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक्सपोजर विजिट - सीएसएसएस के पीपीएस और स्टेनोग्राफर समूह - घ स्तर के अधिकारियों के लिए स्तर -IV और I प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लद्दाख, कोलकाता और भोपाल से जुड़े ग्राम स्तर पर एनजीओ केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का उपयोग कैसे कर रहे हैं	एक हफ्ता	आईएसटीएम	03
5.	विषयगत जीपीडीपी और पीडीआई पर 05 अध्ययन दौरे	प्रत्येक 03 दिन	एमओपीआर	12
6.	सीएसएस के अवर सचिवों के लिए स्तर - ङ प्रशिक्षण	एक सप्ताह	आईएसटीएम	01
7.	**कुल**			**25**

2.11 नो योर मिनिस्ट्री मॉड्यूल

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने अपने मंत्रालय को जानें यानी नो योर मिनिस्ट्री मॉड्यूल के लिए स्तर-2 ई-लर्निंग सामग्री तैयार करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद को 01-04-2024 को एक कार्य आदेश जारी किया है, ताकि किसी भी दर्शक को इसकी संरचना और कार्य से परिचित कराया जा सके ।

2.12 वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधार

ऑनलाइन प्रशिक्षण

एमओपीआर को आईजीओटी से दिनांक 19-03-2024 को एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें **पोर्टल पर माई आईजीओटी विशेषता** के हालिया कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है। यह सुविधा अधिकारियों/कर्मचारियों को **विभिन्न पाठ्यक्रमों को पदनाम-वार मैप करने और इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की** अनुमति देकर एमओपीआर में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में कार्य करती है।

2. प्रशिक्षण और विकास फ्रेमवर्क में माई आईजीओटी को शामिल करके पूरे मंत्रालय में इस सुविधा को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करने में अधिकारियों के व्यवसायिक विकास और दक्षता में महत्वपूर्ण योगदान देने की इसकी क्षमता को देखते हुए मंत्रालय प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान करने और पूरा करने के लिए प्राप्त समयसीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।

3. तदनुसार, **मंत्रालय पोर्टल पर माई आईजीओटी विशेषता** के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है।

2.13 ऑफलाइन/फिजिकल प्रशिक्षण संबंधी सुधार

मंत्रालय ने पहले ही आईएसटीएम और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शुरू कर दिया है।

2. इस संदर्भ में, मंत्रालय ने 08-04-2024 से 07-06-2024 तक 09 सप्ताह के लिए नव नियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (एफटीपी) हेतु 02 अधिकारियों को आईएसटीएम और आईआईपीए में नामित किया है। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	बैच	प्रशिक्षण संस्थान	कुल लागत
1.	श्री अमरदीप चौहान	2023	आईएसटीएम, दिल्ली	रु. 50,000/-
2.	सुश्री अनुराधा	2022	आईआईपीए, दिल्ली	रु. 48,800/

3. इसके अलावा, मंत्रालय ने पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस सहित संयुक्त सचिव स्तर से अनुभाग अधिकारियों तक के 34 नियमित कर्मचारियों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) द्वारा 29 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 (03-06 बजे) तक ध्यान और श्वास विषय पर 01 सप्ताह की कार्यशाला भी कराई है। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

कार्यक्रम का प्रकार	अवधि	योगदान (करों सहित)	स्थान
कैम्पस कार्यक्रम	3 घंटे × लगातार 5 दिन	प्रति व्यक्ति 2500 रुपये	कॉन्फ्रेंस हॉल, 09वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग

4. मंत्रालय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन कर्मयोगी भारत/वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के तहत एमओपीआर में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आईएसटीएम, आईआईपीए और अन्य संगठनों के सहयोग से कार्यक्षेत्र, व्यवहारात्मक एवं कार्यात्मक आदि दक्षताओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

2.14 गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधार

विषयगत जीपीडीपी और पीडीआई पर 14 राज्यों के 14 अध्ययन/एक्सपोजर विजिट में से 05 समूहों ने दौरे पूरे कर लिए हैं।

2. शेष 09 समूह वर्ष 2024-25 के दौरान विषयगत जीपीडीपी और पीडीआई पर 09 राज्यों का अध्ययन/एक्सपोजर विजिट करेंगे।

3. इसके अलावा, मंत्रालय वर्ष 2024-25 के दौरान एक्सपोजर विजिट करने के लिए आईएसटीएम में अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित भी करेगा।

पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास

अध्याय 3

पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास

3.1 ऋग्वेद, भारत की सबसे पुरानी पवित्र ग्रंथ और ऐतिहासिक स्रोतों में से एक है जिसमें उपमहाद्वीप में स्वशासी ग्राम समुदायों का उल्लेख है जो हजारों वर्षों से स्वशासित थे, और मुख्य रूप से कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और उच्च अधिकारियों के बीच मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते थे। रीति-रिवाज और परंपरा ने इन प्रारंभिक परिषदों या सभाओं को ''सभा'' कहा, और बहुत अधिक प्रभावपूर्ण प्राधिकरण की स्थिति में पहुंचाया। धीरे-धीरे, उन्होंने "पंचायत" (पांच सम्मानित बुजुर्गों की एक सभा) का रूप धारण कर लिया। उत्तर और दक्षिण भारत में ये पंचायतें प्रशासन की धुरी, सामाजिक एकजुटता का केंद्र और न्याय प्रदान करने और स्थानीय विवादों के समाधान के लिए प्रमुख मंच बन गईं। मध्यकाल और मुगल काल में ग्राम पंचायतों की ये विशेषताएँ अपरिवर्तित रहीं।

3.2 ब्रिटिश भारत में स्थानीय सरकार:

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के आगमन पर, भारत के अस्थायी गवर्नर जनरल (1835-36) सर चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय ग्राम समुदायों को "छोटे गणराज्य" के रूप में उल्लेखित किया है।

शहरी क्षेत्रों में, नगर परिषद के ब्रिटिश मॉडल की तर्ज पर, मद्रास में 1687 में एक नगर निगम का गठन किया गया था। मद्रास नगर निगम को स्कूलों के निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उसे एक गिल्ड हॉल से सुसज्जित किया गया था। जैसे-जैसे इस निगम की गतिविधियों का क्षेत्र विस्तारित हुआ (जैसा कि अन्य प्रमुख शहरों में स्थापित समान निकायों में हुआ), तदनुसार उनकी कराधान की शक्तियां भी व्यापक हो गईं। ये नगर निगम एक प्रकार की स्थानीय सरकार का प्रतीक थे लेकिन इनमें मनोनीत सदस्य शामिल होते रहे, जिनमें कोई भी वैकल्पिक/निर्वाचित तत्व नहीं था।

3.3 पंचायती राज व्यवस्था का विकास:

क्र.सं.	वर्ष	प्रमुख विकास
क	1870	गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल लॉर्ड मेयो (भारत के वायसराय - 1869-72) ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसका उद्देश्य लोगों की मांगों को पूरा करने में अधिक प्रशासनिक दक्षता लाना था, लेकिन मुख्य रूप से इसे साम्राज्य संबंधी वित्त को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने कहा, ''मौजूदा साम्राज्य संबंधी संसाधन देश की बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होंगे''। लगभग उसी समय, बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बंगाल चौकीदारी अधिनियम, 1870 के माध्यम से उठाया गया, जिसने जिला मजिस्ट्रेटों को गांवों में नामांकित सदस्यों की पंचायतें स्थापित करने का अधिकार दिया। ये नामांकित पंचायतें अपने द्वारा नियुक्त चरवाहों या चौकीदारों के भुगतान के लिए कर लगा और एकत्र कर सकती थीं। 1880 के अकाल आयोग ने स्थानीय निकायों की अनुपस्थिति को अकाल-पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में एक बड़ी बाधा बताया और गांवों में भी स्व-शासन का विस्तार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

ख	1882	ब्रिटिश भारत में रिपन प्रस्ताव 1882 स्थानीय लोकतंत्र का महाधिकार पत्र था (लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे - 1880-1884) जिसमें निर्वाचित, गैर-आधिकारिक प्रतिनिधियों से बनी दो-तिहाई सदस्यता वाले ग्रामीण स्थानीय बोर्डों को प्रावधान था और अध्यक्षता एक गैर-सरकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। कार्यान्वयन में वास्तविक प्रगति धीमी थी, लेकिन ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की भूमिका बहुत बड़ी थी, इसलिए ''स्वशासन'' शब्द को लोकप्रियता मिली।
ग	1907-1909	वर्ष 1907 में, सरकार ने विकेंद्रीकरण पर छह सदस्यीय रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसे 1909 में जारी किया गया, रिपन प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धांतों को विस्तृत किया गया और भारत के शासन में पंचायतों के महत्व को मान्यता दी गई।
घ	1919	वर्ष 1919 के मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार (एडविन सैमुअल मोंटागु भारत के राज्य सचिव थे - 1917-22 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे - 1916-21) ने प्रांतों में स्वशासन को भारतीय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए द्विशासन की प्रस्तावित योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को ''हस्तांतरित विषय'' बना दिया। । स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व पर आधारित और जिम्मेदार बनाने के लिए, मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो, स्थानीय निकायों में पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण होना चाहिए और बाहरी नियंत्रण से उनके लिए यथासंभव स्वतंत्रता होनी चाहिए।
ङ	1935-39	भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 और इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत ने पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। प्रांतों में लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकारों के साथ, लगभग सभी प्रांतीय प्रशासनों ने ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए कानून बनाए।
स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायतें:		
च	1948-50	संशोधन, जिसे अंततः अनुच्छेद 40 के रूप में क्रमांकित किया गया, इस प्रकार है: *''राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।''* उल्लेखनीय है कि प्रारंभ से ही ''स्वशासन'' को ही पंचायती राज का सार माना गया है।
छ	1952	शांतिनिकेतन, बड़ौदा (वडोदरा) और नीलोखेड़ी में पहले के प्रयोगों के आधार पर सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत 1952 में की गई थी।

ज	1957	वर्ष 1957 में, श्री बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए टीम की रिपोर्ट के माध्यम से पंचायती राज की स्थापना में ऐतिहासिक सफलता मिली, जिसने सिफारिश की कि ''सामुदायिक कार्यों में सार्वजनिक भागीदारी को वैधानिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए।'' टीम का विचार था कि ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी एजेंसी के बिना जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके, जिम्मेदारी ले सके और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके, ग्रामीण विकास में वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। इसके पश्चात, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंतराय मेहता रिपोर्ट में प्रतिपादित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बुनियादी सिद्धांतों का समर्थन किया और प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त संरचनाओं पर काम करने का कार्य राज्यों को दिया। इस अवधि के दौरान "पंचायती राज" शब्द को ग्राम सभा से लोकसभा तक लोगों की इच्छा को व्यवस्थित रूप से जोड़ने वाली शासन प्रक्रिया के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई।
झ	1959	राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को जयपुर से 260 किलोमीटर दूर नागौर में लागू की गई थी।
ञ	1978	वर्ष 1978 की अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि पंचायती राज को संविधान में शामिल किया जाए। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के भाव को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अपने संबंधित पंचायती राज व्यवस्थाओं पर दोबारा गौर किया और स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कई नई पहल की, जिससे ये पहल शुरू हुई जो ''दूसरी पीढ़ी'' की पंचायतों के रूप में उद्धृत किया जा रहा है, जिन्होंने बाद के सुधारों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा और उदाहरण के रूप में कार्य किया।
ट	1991	सरकार ने 72वें (पंचायत) और 73वें (नगरपालिका) संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए, जो काफी हद तक आठवीं लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर आधारित थे, इन दोनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त चयन समिति को भेजा गया, जिसने कुछ और बदलाव किए लेकिन काफी हद तक 1989 की पिछली पहल के अनुरूप थे। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर, 1992 को दोनों विधेयक पारित किए। जब संसद ने दोनों विधेयकों को पारित किया, तब तक उनका क्रम बदल कर क्रमशः 73वां और 74वां हो गया। संविधान के तहत अपेक्षित आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा उनके सत्यापन के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी, और अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में लागू हुए और 1 जून, 1993 को संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, संविधान में दो नए भाग अर्थात् भाग IX का शीर्षक ''पंचायतें'' और ''नगरपालिका'' जोड़े गए।

3.4 पंचायत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान- 'पंचायतों' से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रमुख प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है:

अनुच्छेद	से संबंधित
243 A	ग्राम सभा
243 B	पंचायतों का गठन
243 C	पंचायतों की संरचना
243 D	महिलाओं/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण
243 E एवं F	पंचायत चुनाव
243 G	पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण
243 H	पंचायतें निर्दिष्ट करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को लगाने, एकत्र करने और उचित करने के लिए प्रावधान करती हैं और यह प्रावधान करती हैं कि ये सहायता अनुदान राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सौंपा जाएगा।
243 I	राज्य वित्त आयोग का गठन।
243 J	राज्यों को पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने की शक्ति देता है।
243 K	राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
243 L	कुछ नियमों और शर्तों के तहत भाग IX के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
243 M	संसद को भाग IX के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित करने की शक्ति। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया, जिसे इसके संक्षिप्त नाम पेसा से बेहतर जाना जाता है।
	साथ ही छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों तथा अलग-अलग विशेष व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य राज्यों और क्षेत्रों को भी संविधान के भाग IX के दायरे से छूट देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक रूप से आरक्षण देने से छूट देता है।
243 N	पंचायतों से संबंधित सभी कानूनों को संविधान के भाग IX के अनुरूप लाने के लिए भाग IX के लागू होने से एक वर्ष की छूट अवधि प्रदान करता है।
243 ZD	जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन।
280	केंद्रीय वित्त आयोग के संविधान और कर्तव्यों में एक नया खंड जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य, राज्य में पंचायतों के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाएं।

वार्षिक बजट और योजना

अध्याय 4

वार्षिक बजट और योजना

4.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय ने दो मुख्य योजनाएं लागू की हैं:

(i) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना

(ii) केंद्रीय क्षेत्र योजना: स्वामित्व

4.2. वर्ष 2023-24 (बीई) (सचिवालय सेवाओं सहित दोनों योजनाएं) के दौरान पंचायती राज मंत्रालय का कुल परिव्यय 1016.42 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2024 तक 980.16 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

4.3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए): 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 01.04.2022 से 31.03.2026 (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-समाप्ति/के-टर्मिनस) तक कार्यान्वयन के लिए 13.04.2022 को संशोधित आरजीएसए योजना को मंजूरी दी गई जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये है और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये है। यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। योजना के केंद्रीय घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। हालांकि, राज्य घटक के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमश: 60:40 के अनुपात में है, जहां पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। संशोधित आरजीएसए की योजना का फोकस सभी स्तरों पर संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य लाइन विभाग के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान सहित स्थानीय स्व-शासन और आर्थिक विकास के सक्रिय केंद्रों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की पुन: कल्पना करना होगा।

(ii) (i) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (iii) कार्य अनुसंधान एवं प्रचार और (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आरजीएसए की संशोधित योजना के केंद्रीय घटक हैं।

4.4. स्वामित्व

(i) स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) 24 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

(ii) यह योजना कार्यान्वित एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में एनआईसीएसआई के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक योजना की कुल लागत 566.23 करोड़ रुपये है।

4.5. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने और उपयोग की

मॉनिटरिंग की संशोधित प्रक्रिया जारी की। व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कई साप्ताहिक बैठकें बुलाई गईं। परिणामस्वरूप, अब सभी राज्य व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं और पीएफएमएस-एसएनए मॉड्यूल पर भी शामिल हो गए हैं। यह पंचायती राज मंत्रालय की एकमात्र मौजूदा केंद्र क्षेत्र योजना है। स्वामित्व योजना अब पीएफएमएस के सीएनए प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से शामिल हो गई है। सभी कार्यान्वित एजेंसियां अब केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के तहत जारी धनराशि की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 09.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही हैं।

4.6. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु जेम (GeM) पोर्टल के अधिकतम उपयोग के लिए सभी हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए कई कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, जेम (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पंचायती राज मंत्रालय में जेम (GeM) के माध्यम से की गई है।

4.7. वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 (दिनांक 31.03.2024 तक) और बीई 2024-25 से एमओपीआर द्वारा योजना-वार आवंटन और धनराशि के उपयोग के दर्शाने वाला विवरण नीचे तालीका 4.1 में दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय

वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए आरई/बीई/ वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2024-25 के लिए बीई

(रुपए करोड़ में)

स.क्र	योजना का नाम	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25
		BE	RE	Actual	BE	RE	Actual	BE	RE	Actual	BE
1.	कार्य अनुसंधान एवं प्रचार	3.00	2.50	2.50	3.00	3.00	12.98	8.00	8.68	8.64	10.00
2.	मीडिया एवं प्रचार	12.00	5.52	5.52	10.00	10.00	-	-	0.00	0.00	0.00
3.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.17	0.17	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.17	0.20
4.	स्वामित्व	200.00	140.00	139.99	150.00	105.00	103.29	76.00	54.00	53.01	70.00
5.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	593.00	618.00	618.00	593.00	682.98	682.98	819.00	814.86	814.86	916.50
6.	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	48.00	52.51	52.52	50.00	50.82	50.56	47.80	47.12	47.11	46.80
7.	ईपंचायत पर मिशन मोड प्रोजेक्ट	20.00	11.71	11.71	20.00	15.00	15.00	20.00	16.28	16.03	90.17
	कुल स्कीम	876.20	830.41	830.41	826.20	867.00	864.96	971.00	941.14	939.82	1133.67
8.	सचिवालीयन सेवा (योजनेत्तर)	37.23	37.97	34.43	42.37	38.77	36.22	45.42	42.86	40.81	49.97
	कुल (योजना और योजनेत्तर)	913.43 (+0.01) टोकन अनुपूरक	868.38	864.84	868.57	905.77	901.18	1016.42	984.00	980.63	1183.64

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

https://rgsa.gov.in/index.htm

अध्याय 5

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

5.1. पृष्ठभूमि:

5.1.1 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की प्रमुख गतिविधियों में से एक रहा है। मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी और बहु-क्षेत्रीय समन्वयन के लिए समर्थन सहायता सहित पीआरआई को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संबंधी, तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है। क्षमता निर्माण के दायरे में, पीआरआई को हस्तांतरण बढ़ाने और स्थानीय शासन के उपाय तलाशने के साथ-साथ ग्रामीण भारत को मजबूत करने की दिशा में ज्ञान संबंधी सहायता भी प्रदान की जा रही है।

5.1.2 पहले सीबीएंडटी के लिए सहायता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए), क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तीकरण अभियान (सीबी-पीएसए) आदि के तहत प्रदान की जाती थी।

5.1.3 बजट घोषणा 2016-17: माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में घोषणा की कि "पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए, एक नई पुनर्गठित योजना, अर्थात् राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है..."

5.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):

5.2.1 वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में घोषणा के बाद, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की गई थी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए दिनांक 21.04.2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

5.2.2 आरजीएसए का प्राथमिक उद्देश्य मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य रूप से जोर देने और 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पीआरआई को मजबूत करना था।

5.2.3 आरजीएसए के तहत अनुमोदित क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को 2149.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

5.3. संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):

आरजीएसए के तहत पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.3.1 पीआरआई की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हर पांच साल के बाद बड़ी संख्या में निर्वाचित सदस्य पीआरआई में शामिल होते हैं। इसलिए, आरजीएसए के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना को नया रूप दिया गया, जिसे 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 (पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-समाप्ति/कॉ-टर्मिनस) तक कार्यान्वयन के लिए दिनांक 13.04.2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया जिसमें 3700 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल है।

5.3.2 संशोधित आरजीएसए की योजना का फोकस सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य के संबंधित विभागों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय केंद्रों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की फिर से कल्पना करना है।

5.3.3 कवरेज: आरजीएसए की पिछली योजना की तरह, संशोधित आरजीएसए में देश के सभी राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी शामिल किया गया है, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं।

5.3.4 वित्तपोषण पैटर्न: आरजीएसए की पिछली योजना की तरह, इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों घटक शामिल हैं। योजना के केंद्रीय घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। हालांकि, राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमश: 60:40 के अनुपात में है, पूर्वोत्तर राज्यों, जहां पर्वतीय राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 है। अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 100% है।

संशोधित आरजीएसए के तहत केंद्रीय और राज्य घटक

राज्य घटक		केंद्रीय घटक	
क.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	क.	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना
ख.	संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन	ख.	ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना
ग.	सैटकॉम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/समान प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण सुविधा	ग.	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण
घ.	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (जीपी भवन का निर्माण और सीएससी का सह-स्थापन)	घ.	कार्य अनुसंधान एवं प्रचार
ङ	कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू)	ङ	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
च.	पंचायतों को ई-सक्षम बनाना	च.	एनआईआरडी एंड पीआर और अन्य उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान (एजेंसी सेवाएं)
छ.	पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता		
ज	नवाचार के लिए सहायता (नवाचारी गतिविधियाँ)		
झ	आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता		
ञ	आईईसी गतिविधियाँ		
ट	कार्यक्रम प्रबंधन/प्रशासनिक लागत।		

5.4. संशोधित आरजीएसए के प्रमुख उद्देश्य:

(i) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं का विकास करना;

(ii) ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना;

(iii) गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजना के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का पता लगाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान देने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

(iv) राजस्व के स्वयं के स्रोत बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

(v) संविधान और पेसा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना;

(vi) पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थान/उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान के साथ सहयोग;

(vii) पंचायत की प्रशासनिक दक्षता में सुशासन और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सहित बेहतर सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित उपायों को बढ़ावा देना;

(viii) एसडीजी की प्राप्ति के लिए पीआरआई के कार्य-निष्पादन को पहचानना और प्रोत्साहित करना;

(ix) कई और विविध लक्ष्य समूहों तक पहुंचने और मूल्यांकन और सूचित नीतिगत निर्णयों के लिए पीआरआई से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करने के लिए कार्य अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

इंफाल पूर्वी जिला, मणिपुर के सीआरपी के लिए मिशन अंत्योदय पर प्रशिक्षण

5.5. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) प्रणाली:

5.5.1 सुशासन के लिए एक मजबूत पंचायती राज प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसलिए, पीआरआई, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को उनकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रशिक्षण की पहुंच और कवरेज का विस्तार करने, पंचायत स्तर पर शासन को अधिक भागीदारीपूर्ण, प्रौद्योगिकी और कार्य-निष्पादन संचालित और परिणाम उन्मुखी बनाकर सुधार करने के लिए अधिक ठोस, मजबूत और प्रौद्योगिकी संचालित क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

5.5.2 सीबी एंड टी गतिविधियां मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआईआरडी एंड पीआर, एसआईआरडी एंड पीआर और ऐसे अन्य संस्थाओं द्वारा कैस्केडिंग मोड में संचालित की जाती हैं। आरजीएसए के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है और बदले में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईआरडी एंड पीआर और अन्य पीआरआई प्रशिक्षण संस्थाओं) को समान राज्य के हिस्से के बराबर धनराशि जारी कर रहे हैं। सीबी-टी की उपलब्ध प्रणाली इस प्रकार है:

प्रशिक्षण तंत्र का पदानुक्रम

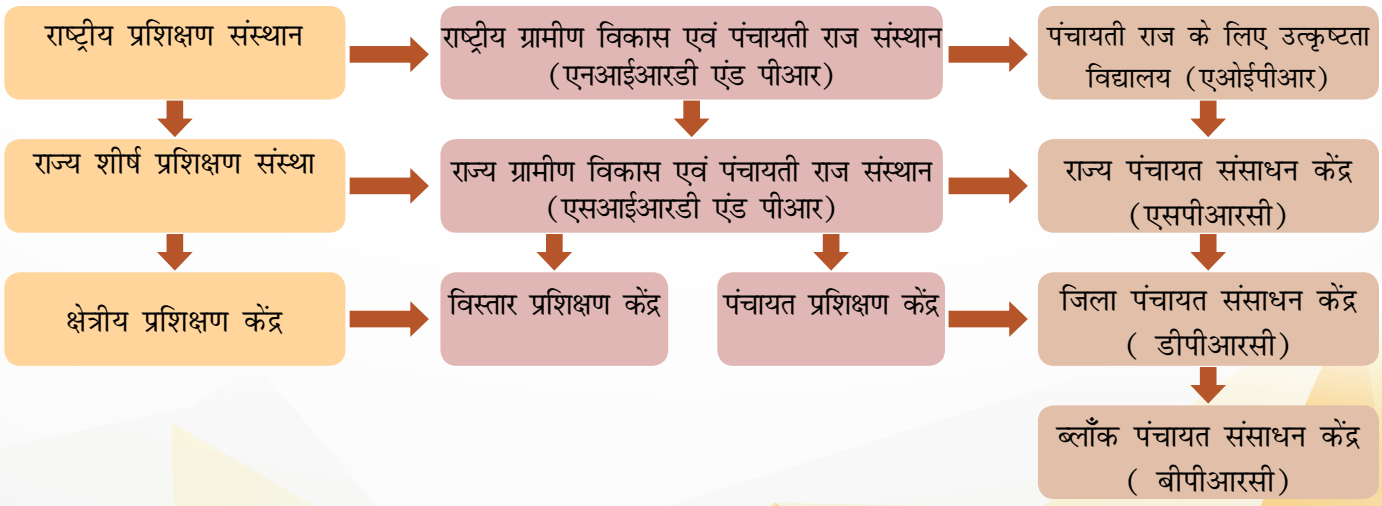

5.6. आरजीएसए के तहत वित्तीय उपलब्धियां: पुनरीक्षित अनुमान (आरई) चरण में आवंटित धनराशि और जारी की गई धनराशि की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका 5.1** में दी गई है। हालाँकि, आरजीएसए के तहत जारी धनराशि की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है।

तालिका 5.1 (राशि करोड़ रुपये में)* 31-3-2024 तक की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि (आरई चरण पर)	जारी की गई धनराशि	आरई आवंटन के लिए जारी धनराशि का %
1.	2018-19	622.41	598.27	96.12
2.	2019-20	432.96	432.90	99.99
3.	2020-21	499.94	499.93	100.00
4.	2021-22	618.00	617.99	100.00
5.	2022-23	682.98	682.98	100.00
6.	2023-24	814.86	814.86	100.00

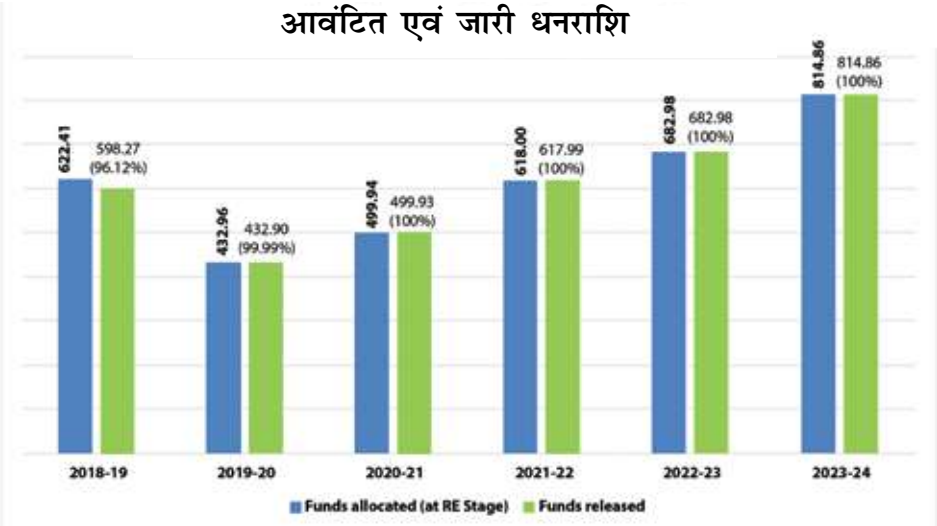

5.7. आरजीएसए के तहत भौतिक/वास्तविक उपलब्धियां: योजना के तहत प्रशिक्षण पाने वाले प्रतिभागियों की संख्या की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका 5.2 में दी गई है। हालांकि, आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्रदान किए गए ई आर और पंचायत के अन्य हितधारकों की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-V** में दी गई है।

तालिका 5.2

क्र.सं.	वर्ष	प्रशिक्षित ईआर और अन्य हितधारकों
1.	2018-19	43,04,651
2.	2019-20	33,98,194
3.	2020-21	33,28,472
4.	2021-22	32,10,525
5.	2022-23	45,36,548
6.	2023-24*	39,92,382

* दिनांक 31.03.2024 को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड किया गया

निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), कर्मियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों को आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया

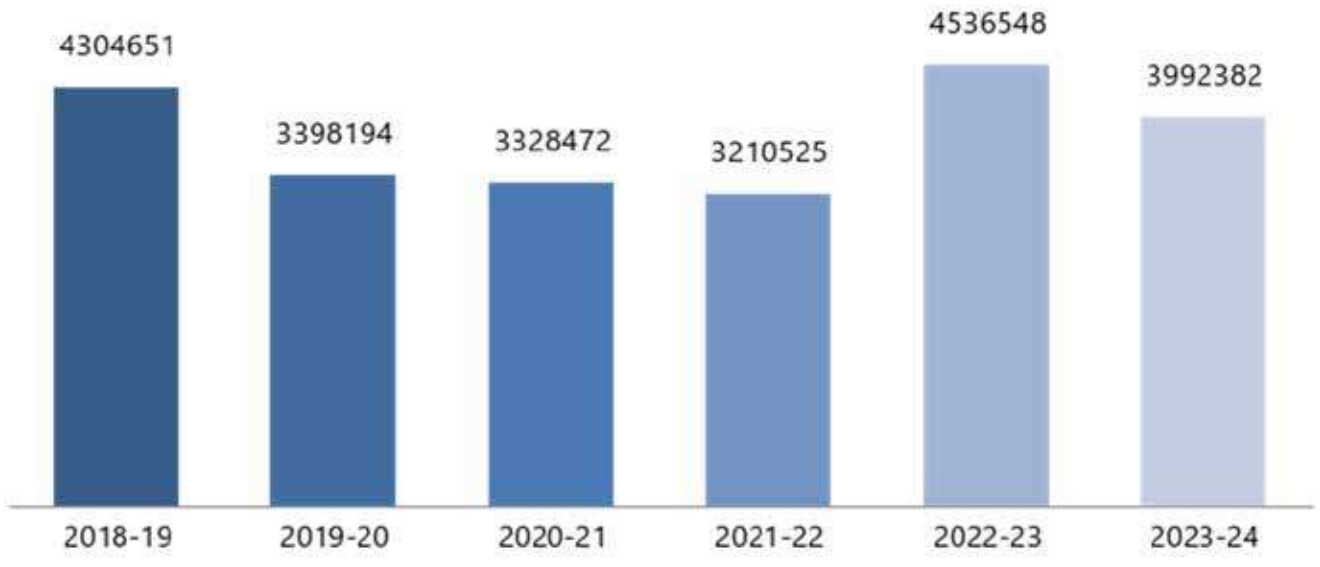

5.8. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के तहत नई पहल:

(i) **पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर):** पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा प्रदायगी केंद्र (सीपीआर, डीपीएसएसडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के केंद्रों में से एक है। केंद्र का लक्ष्य एसएलएमटी के प्रशिक्षण और पंचायती राज में अनुसंधान और अध्ययन कराने के माध्यम से पीआरआई का क्षमता निर्माण करना है। केंद्र की स्थापना 2014 में की गई थी और इसे संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि यह पंचायती राज प्रणाली और उनके सहयोगी संस्थाओं जैसे राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआर) को मजबूत करने संबंधी समस्याओं का पता करने में विफल रहा। प्रभावी और संकेंद्रित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पीआरआई को मजबूत करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एसआईआरडी के पास पर्याप्त संख्या में मानव संसाधनों की भी कमी है।

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिसमें एलएसडीजी, संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने वाली विषयगत पीडीपी, स्थानिक योजना, ई-गवर्नेंस, ग्राम ऊर्जा स्वराज, पीआरआई के माध्यम से आपदा प्रबंधन की पहल, स्वयं के राजस्व स्रोत, कार्बन तटस्थ, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई), सेवा वितरण की गुणवत्ता का मानकीकरण आदि शामिल हैं। इन पहलों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अन्य संस्थाओं, राज्य सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों से लेकर पीआरआई के विशाल ग्राहक वर्ग के बीच गहन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अभिविन्यास, पर्यावरण निर्माण की आवश्यकता थी।

ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संस्थागत प्रणाली और मानव संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए, ''एनआईआरडी एंड पीआर में एसओईपीआर की स्थापना और एसआईआरडी में मानव संसाधन का प्रावधान'' नामक एक परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण

विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के पंचायती राज केंद्र को मजबूत करने के लिए एमओपीआर द्वारा एक पहल की गई है।

एसओईपीआर में एनआईआरडी एंड पीआर और एसआईआरडी में मानव संसाधनों के प्रावधान के साथ पीआरआई के विभिन्न मौजूदा और उभरते क्षेत्रों को कवर करने वाले 9 केंद्रों की स्थापना शामिल है। यह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह एसआईआरडी एंड पीआर को मजबूत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के विषयों पर अनुसंधान में सहायता करेगा।

1.	पंचायत शासन, ई-गवर्नेंस और सेवा प्रदायगी केंद्र।
2.	पंचायत वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा केंद्र।
3.	एसडीजी के स्थानीयकरण, एकीकृत पंचायत योजना और अभिसरण के लिए केंद्र।
4.	पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र।
5.	पंचायतों के माध्यम से जैव विविधता, पर्यावरण उन्नयन एवं परिवेश निर्माण केन्द्र।
6.	पंचायतों के माध्यम से कौशल एवं आर्थिक विकास केंद्र
7.	पंचायतों के माध्यम से सामाजिक विकास केंद्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बच्चे)।
8.	पंचायतों के माध्यम से संघर्ष प्रबंधन एवं विवाद समाधान केंद्र
9.	पंचायत सांख्यिकी, पंचायत नीति सुधार और समर्थन केंद्र

(ii) **प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन मॉड्यूल:** पीआरआई का प्रशिक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत प्रणालियों के माध्यम से कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण का परिणाम/मूल्यांकन संस्थाओं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए, प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रणाली को मानकीकृत करने के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर एक मॉड्यूल कार्यात्मक बनाया गया है। इससे प्रशिक्षण में भाग लेने वालों के सीखने के परिणामों के मूल्यांकन में सुविधा होगी। प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु प्रश्न बैंक तैयार कर पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विशिष्ट प्रश्न जोड़ सकते हैं।

(iii) **नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम:** जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और प्रोफेशनल नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित नेताओं/ प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व/ प्रबंधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाई है। इस पहल के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्य/निकटवर्ती क्षेत्रों में आईआईएम/आईआईटी/ उत्कृष्टता संस्थानों के साथ अपने पीआरआई नेताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन का पालन करके सहयोग करना है।

आरजीएसए योजना के तहत एक परिचयात्मक कार्यक्रम 15-19 जनवरी, 2024 के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधि कारियों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और आईआईएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए है।

यह 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम पंचायत नेताओं/ प्रतिनिधियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है, जिससे वे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सकें। कार्यप्रणाली का उद्देश्य उपस्थित लोगों को संसाधनों के प्रभावी उपयोग और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के लिए नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल युक्त बनाना है। कार्यक्रम में नेतृत्व और टीमवर्क, वित्तीय प्रबंधन और पंचायत वित्त, प्रभावी संचार, परियोजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग डिजिटल परिवर्तन, आईसीटी, और भी बहुत कुछ को कवर करने वाले विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं। विशेष रूप से, यह कार्यक्रम शीर्ष संस्थानों के सहयोग से पंचायती राज संस्थानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन/तैयार की गई समान पहलों की एक श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक है।

(iv) पंचायतों के गुणवत्ता मानक/आईएसओ प्रमाणन: मंत्रालय ने पीआरआई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें "सुशासन वाला गांव" उन विषयों में से एक है, जिसके तहत 'जीवन की सुगमता और कार्य करने की सुगमता' की अवधारणा के साथ नागरिक केंद्रित मामलों का पता लगाने की आवश्यकता है। पंचायतों द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी को प्राथमिक कार्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे पंचायतों में ई-गवर्नेंस शुरू होने के साथ बढ़ने की उम्मीद है।

आईएसओ 9001:2015 एक गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली के लिए मानदंड निर्धारित करता है जो संगठन को अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और निरंतर सुधार करने में मदद करता है। आईएसओ प्रमाणन के प्रमुख ठोस लाभों में उचित फ्रंट ऑफिस सिस्टम, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, अवसंरचना आदि शामिल हैं।

पंचायतें पहले से ही गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसी का प्रमाणन सेवा प्रदायगी को मानकीकृत करेगा। इसलिए, मंत्रालय ने पंचायतों के विभिन्न स्तरों (ग्राम/ब्लॉक/जिला पंचायत) पर सेवाओं की प्रदायगी को मानकीकृत करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एड्वाइजरी जारी की है। सेवाओं की मानकीकृत प्रक्रियाओं से पंचायत स्तर पर सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है।

इस पहल में, 6 से 7 जुलाई, 2023 के दौरान केरल के स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) में गुणवत्ता/आईएसओ प्रमाणन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 25

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस पहल के बाद, कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के गुणवत्ता/आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एलएसडीजी-सुशासन वाले गांव के एक हिस्से के रूप में पंचायतों के आईएसओ प्रमाणन को आगे बढ़ाते हुए, मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से आरजीएसए की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में इस पर प्रशिक्षण शामिल करने का अनुरोध किया है। पंचायतों के आईएसओ प्रमाण न पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किया गया है और राज्यों के साथ साझा किया गया है। यह मंत्रालय के पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

(v) राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क 2022 के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार कर जारी कर दिए गए हैं तथा मंत्रालय द्वारा विभिन्न एड्वाइजरी जारी की गई हैं।

(vi) यूनिसेफ के सहयोग से एमओपीआर द्वारा सेवा स्तर बेंचमार्क, स्व-मूल्यांकन और मॉडल अनुबंध तैयार कर जारी किया गया। दिनांक 21-23 अगस्त, 2023 को श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन कार्यशाला के दौरान जारी किए गए दस्तावेज में मानक संकेतकों का एक सेट शामिल है, जिसे श्सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी)' के रूप में जाना जाता है, जो जीपी द्वारा सीधे या अन्य हितध ारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की मॉनिटरिंग करने और इन सेवाओं तक पहुँचने में उपभोक्ता संतुष्टि को मापने के लिए मात्रात्मक मापदंडों का उपयोग करता है। दस्तावेज जीपी के लिए जमीनी स्तर पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली डब्ल्यूएएसएच सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण भी प्रदान करता है।

(vii) जल जीवन मिशन (जेजेएम) और एसबीएम-II में पीआरआई की भूमिका के बारे में संबंधित मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से एड्वाइजरी जारी की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों को सुविधा मिल सके। इससे जीपीडीपी में जेजेएम और एसबीएम-II की योजनाओं को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

(viii) मेरी पंचायत एप्लीकेशन: पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को ई-सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं के स्वचालन और परिवर्तन द्वारा पंचायतों में सुशासन की सुविधा के लिए चरणबद्ध तरीके से कई ई-गवर्नेंस (ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल) पहल शुरू की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट फोन के व्यापक उपयोग और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रसार ने पंचायत पदाधिकारियों, नागरिकों और अन्य हितधारकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को बढ़ाया है। लोग सेवाओं का लाभ उठाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भी स्मार्ट फोन का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, एनआईसी-एमओपीआर टीम द्वारा मेरी पंचायत मोबाइल ऐप नामक एक नया मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है, जिसे 21 अगस्त, 2023 को श्रीनगर में 21-23 अगस्त, 2023 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय विषयगत कार्यशाला के दौरान शुरू किया गया था।

मेरी पंचायत मोबाइल ऐप का उद्देश्य एक एकीकृत और समन्वित मोबाइल-आधारित शासन प्लेटफार्म प्रदान करना है। यह पंचायत का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा और निवासियों को उनके स्मार्टफोन पर पंचायतों के कामकाज के बारे में सभी जानकारी तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा।

यह सभी विकास कार्यों और लाभार्थियों के सामाजिक ऑडिट के लिए स्थान-आधारित सेवाओं की सुविधा भी देता है। जनता कार्यों और उनकी प्रगति को देख सकती है और कार्य के स्थान से

कार्यों की स्थिति और गुणवत्ता की रिपोर्ट कर सकती है। इस प्रकार, मेरी पंचायत ऐप सुशासन का मार्ग प्रशस्त करेगा और डिजिटल समावेशन के लिए यह एक प्रभावी, आसान और बहुमुखी उपाय होगा। यह ग्रामीण निवासियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा और उन्हें वास्तव में अपने पंचायतों के शासन, विकास और कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा। इस

एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meri_panchayat&hl=en&gl=US से डाउनलोड किया जा सकता है।

5.9 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को सक्षम बनाने के लिए परियोजना

5.9.1. पृष्ठभूमि: 2020-21 और 2021-22 के लिए आरजीएसए के तहत मॉडल जीपी क्लस्टर की परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1100 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाना है, ताकि ग्राम पंचायतों के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम बनाने के माध्यम से समग्र और सतत विकास की प्राप्ति हो।

5.9.2. आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना का लक्ष्य: आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना का लक्ष्य, जिसे एनआईआरडीपीआर द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्लस्टरों के 250 सफल मॉडल बनाना है, ताकि ग्राम पंचायतों के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से समग्र और सतत विकास को प्राप्त किया जा सके और योग्य और प्रशिक्षित युवा फेलो के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके एसडीजी-केंद्रित गुणवत्ता

जीपीडीपी को सक्षम बनाया जा सके, ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

5.9.3. परियोजना के व्यापक उद्देश्य:

(i) पहचान की गई ग्राम पंचायतों को स्वशासन की मजबूत संस्थाओं के रूप में तैयार करने में सक्षम बनाना

(ii) सर्वांगीण सहायता के माध्यम से पहचान की गई ग्राम पंचायतों के विजन को व्यापक बनाना

(iii) योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए पहचान की गई ग्राम पंचायतों की सहायता करना

(iv) गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी के प्रदर्शनकारी उदाहरणों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना

(v) विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण की सही भावना को पूरा करना

5.10 लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला

मंत्रालय यूएनएफपीए-भारत के सहयोग से जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य 16 दिवसीय सक्रियता का स्मरण कर रहा है, इस संबंध में 9 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जी.बी.वी. से संबंधित समस्याओं को कम करने और उनका समाधान करने में पी.आर. आई. के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) की भूमिका पर चर्चा करना और जमीनी स्तर पर जी.बी.वी. से संबंधित समस्याओं को कम करने और उनका समाधान करने के लिए पी.आर.आई. के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

पंचायतों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं/सफलता की कहानियां

सशक्त पंचायतों के निर्माण की दिशा में परस्पर शिक्षण/पीयर लर्निंग

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बीच अनुभवात्मक शिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू और कश्मीर ने संशोधित आरजीएसए योजना के तहत कई राज्यों में एक्सपोजर दौरों की एक श्रृंखला आयोजित की है। पीआरआई के कुल 8197 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने विकास के क्षेत्रों में विभिन्न पंचायतों की अनुकरणीय प्रथाओं पर अनुभव प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का दौरा किया। इस क्रॉस-सेक्शनल लर्निंग ने विभिन्न अभिनव कार्य मॉडल, दृष्टिकोण, रणनीतियों और पंचायतों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों को दूर करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद की। यह अध्ययन भ्रमण करने और विश्वास करने के तरीके में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है।

एक पीआरआई सदस्य ने कहा, ''अध्ययन भ्रमण हमारे लिए आई-ओपनर थे।'' ''हमने देखा कि अन्य पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, और हमें बहुत सारे नए विचार मिले जिन्हें हम अपने गांव में वापस ले जा सकते हैं।''

पंचायत विकास योजना

https://gpdp.nic.in

अध्याय 6

पंचायत विकास योजना

6.1 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

(i) ग्राम पंचायतों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

(ii) यह परिकल्पना की गई थी कि जीपीडीपी प्रक्रिया व्यापक और भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/लाइन विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण अभिसरण शामिल हो।

(iii) मंत्रालय ने जीपीडीपी के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए। परिणामस्वरूप, सभी राज्यों ने जीपीडीपी के लिए अपने राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश अधिसूचित किए। तब से राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार कर कार्यान्वित किए गए हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन।

6.2 विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

(i) यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए, एसडीजी को स्थानीय बनाने में पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

(ii) तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें 9 विषयों की पहचान की गई है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाने से पंचायतों द्वारा समुदाय की भागीदारी के साथ आसान समझ, स्वीकृति और कार्यान्वयन संभव होगा।

(iii) इनमें से प्रत्येक विषय कई एसडीजी को कवर करता है, जिन्हें विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए, इससे संसाधनों का अभिसरण होगा और

पंचायत स्तर पर 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।

(iv) चूंकि, एलएसडीजी की सभी प्रमुख पहलों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में प्रतिबिंबित किया जाना है, इसलिए, जीपीडीपी को ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए 'संकल्प' पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए तैयार भी किया जाना चाहिए।

(v) तदनुसार, जीपीडीपी पोर्टल को जीपी द्वारा विषयगत जीपीडीपी तैयार करने के लिए नया रूप दिया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों के तहत व्यापक संभावित गतिविधियों को आसान पहुंच/चयन के लिए ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध कराया गया है। गतिविधियों को और अधिक निर्दिष्ट करने के लिए चयनित गतिविधियों का विवरण लिखने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

(vi) विषयगत जीपीडीपी तैयार करने और कार्यान्वयन का मूल उद्देश्य 2030 तक सभी एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करना है। इसलिए, निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है:

क) सभी प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों को विषयगत जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए।

ख) पंचायतें ग्राम सभा की स्वीकृति से उन विषयों पर कम से कम 25% अनाबद्ध/अनटाइड संसाधन आवंटित कर सकती हैं जिन पर पंचायत ने संकल्प लिया है।

(ग) शेष बची हुई अनाबद्ध/अनटाइड संसाधनों का उपयोग ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों पर किया जा सकता है।

6.3 योजना वर्ष 2024.25 के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी)-2023:

(i) जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2018 से जन योजना अभियान शुरू किया जा रहा है। जन योजना अभियान (पीपीसी) समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, सीबीओ और अन्य संबंधित हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ अभियान मोड में भागीदारी पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।

(ii) 4 सितंबर, 2023 को पीआरआई के विभिन्न मुद्दों पर एनआईआरडी एंड पीआर में हितधारकों के परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में पीपीसी 2023 को शुरू/रोल आउट किया गया।

(iii) अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए विषयगत जीपीडीपी तैयार करने हेतु संरचित ग्राम सभा/वार्ड सभा/महिला सभा/बाल सभा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(iv) विषयगत दृष्टिकोण को अपनाने के साथ, जीपीडीपी को एलएसडीजी के विषयों पर ध्यान केंद्रित करके तैयार किया जाना है, जो पहले के जीपीडीपी से अलग है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक गुणवत्ता वाले जीपीडीपी तैयार करने के लिए कुछ नए निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए, गहन वातावरण निर्माण, ईआर, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों का उन्मुखीकरण/क्षमता निर्माण आवश्यक है।

(v) तदनुसार, पीपीसी 2023 के शुभारंभ के बाद, मंत्रालय की टीम द्वारा लगभग सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रदान किया गया है।

(vi) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य/जिला/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के विभिन्न हितधारकों के विषयगत जीपीडीपी पर गहन उन्मुखीकरण/क्षमता निर्माण आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

6.4 योजना वर्ष 2018.19 से पोर्टल पर अपलोड की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	जीपी/समकक्ष	जीपी/समकक्ष ने अपना जीपीडीपी अपलोड किया	जीपी/समकक्ष का प्रतिशत जिसने अपना जीपीडीपी अपलोड किया
1.	2018-19	2,67,120	2,15,844	80.80%
2.	2019-20	2,69,567	2,50,164	92.80%
3.	2020-21	2,70,684	2,51,517	92.92%
4.	2021-22	2,69,465	2,57,574	95.59%
5.	2022-23	2,69,490	2,56,425	95.15%
6.	2023-24*	2,68,945	2,52,775	93.98%

*दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

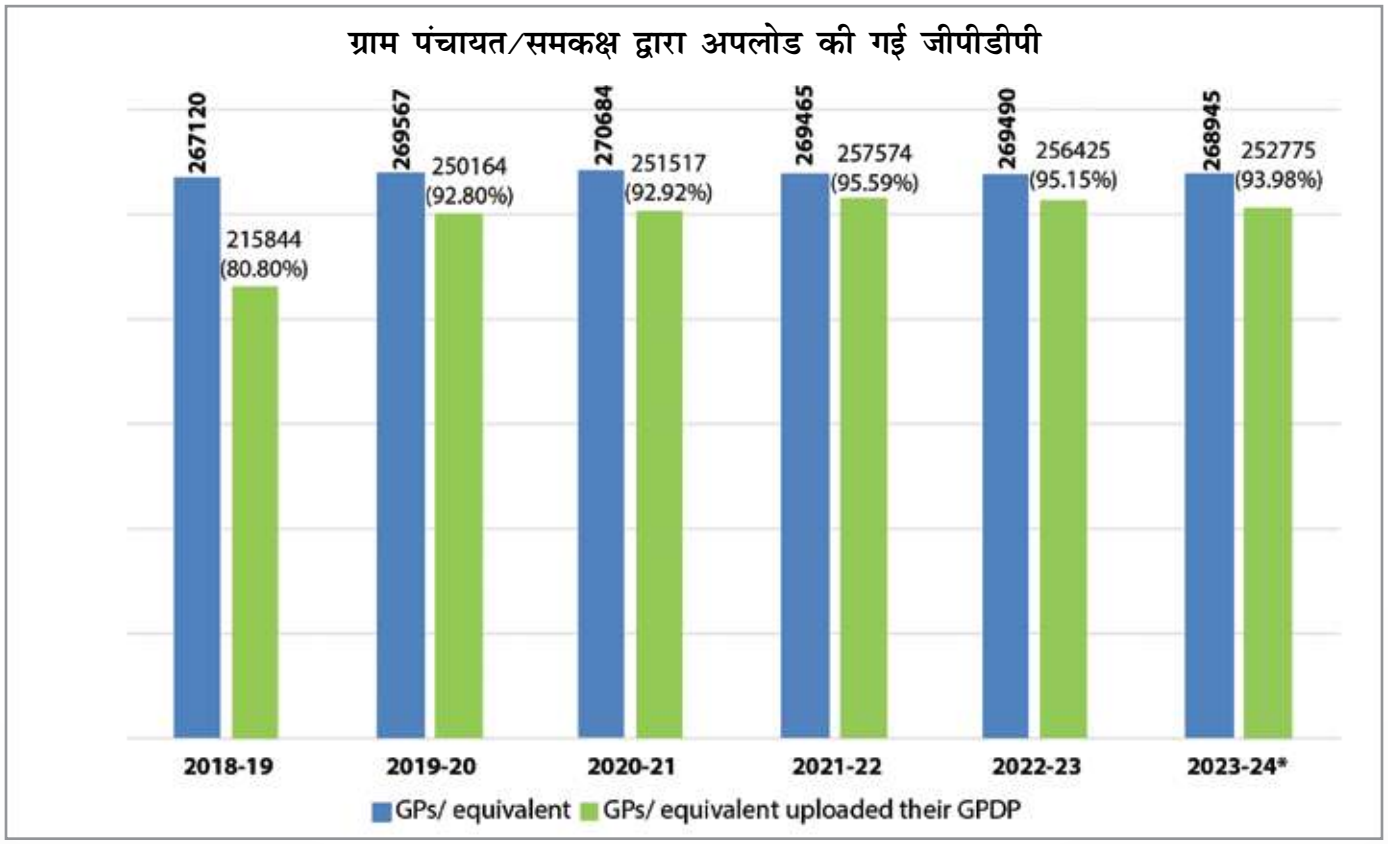

6.5 ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी)

➢ संविधान में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 से मध्यवर्ती पंचायतों (आईपी) या ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों (डीपी) को भी अनुदान देने का

फैसला किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। दिशा-निर्देश में व्यापक बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी के लिए प्रक्रिया, चरणों, दृष्टिकोण, संरचना और विभिन्न अभिसारी प्रणालियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

- बीपीडीपी और डीपीडीपी की प्रक्रिया में एकीकृत पंचायत विकास योजना के लिए जीपीडीपी की आवश्यकता आधारित योजना, निर्दिष्ट/रेफरल गतिविधियों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, बीपीडीपी और डीपीडीपी सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान देने हेतु विषयगत परियोजना संचालित योजना पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
- ब्लॉक/जिला पंचायत स्तर पर पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिला और ब्लॉक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई, जिसका व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होगा और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

  समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 4-5 सितंबर, 2023 के दौरान एनआईआरडी एंड पीआर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में जारी किया गया।
- समिति ने विषयगत परियोजना आधारित ब्लॉक/जिला पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने की सिफारिश की है। समिति ने अभिसरण के दायरे के साथ सांकेतिक परियोजनाओं का भी सुझाव दिया है, जिसमें फोकस क्षेत्रों जैसे कृषि-संबद्ध और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए कोल्ड चेन का विकास, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योग क्लस्टर आदि को शामिल किया गया है।
- समिति की रिपोर्ट http://gpdp.nic.in/downloadNew.html पर उपलब्ध है।

6.5.1 ब्लॉक पंचायत/समकक्ष और जिला पंचायत/समकक्ष द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड की गई ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजना की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

योजना वर्ष	ब्लॉक पंचायत एवं समकक्ष	पोर्टल पर अपलोड की गई बीपीडीपी की संख्या	बीपी एवं समकक्ष द्वारा अपलोड की गई योजना का प्रतिशत	जिला पंचायत एवं समकक्ष की संख्या	पोर्टल पर अपलोड की गई डीपीडीपी की संख्या	डीपी एवं समकक्ष अपलोड की संख्या की गई योजना का प्रतिशत
2020-21	6,921	5,034	72.74	675	566	83.85
2021-22	6,753	6,313	93.48	689	631	91.58
2022-23	6,747	6,308	93.49	679	601	88.51
2023-24	6,758	5,990	86.32	679	572	82.24

स्रोत: https://egramswaraj.gov.in:approveActionPlanData

मॉडल जीपी क्लस्टर परियोजना

1. पृष्ठभूमि:

1.1 भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर परियोजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पंचायतों को योजनाओं को व्यवस्थित करने और लागू करने के लिए सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) "आदर्श ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाना" नामक राष्ट्रीय परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करके सतत विकास प्राप्त करना है।

1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) यंग फेलो की भर्ती करता है। यंग फेलो के पद की पात्रता के लिए, उम्मीदवारों को 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, मास्टर डिग्री या बी.ई/बी.टेक उत्तीर्ण होना चाहिए। वांछनीय योग्यताओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर/कानून की डिग्री/एमबीए/कार्मिक प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा शामिल है। एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में यंग फेलो को प्रति माह 35,000 रुपये का वेतन मिलता है, साथ ही यात्रा और निर्वाह लागत की प्रतिपूर्ति भी मिलती है।

2. मॉडल जीपी क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं/ सफलता की कहानियां:

2.1 छत्तीसगढ़ के करजी ग्राम पंचायत में पूर्ण टीकाकरण सामुदायिक लामबंदी और बेहतर भागीदारी: सामुदायिक लामबंदी प्रयासों और हितधारक सहभागिता से टीकाकरण अभियान में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे दो से तीन महीनों के भीतर महिलाओं, बच्चों और किशोरों की व्यापक कवरेज और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई।

2.2 अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता:

स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पृथक्करण इकाई का निर्माण: गांव में सकारात्मक प्रभाव का अनुभव किया गया, जिसमें साफ और अधिक स्वच्छ परिवेश, खुले में जलाने या अपशिष्ट डंपिंग की घटनाओं में कमी और इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार शामिल है। सामुदायिक सहभागिता में यंग फेलो और पर्यावरण प्रतिनिधि शामिल हैं जो उचित अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन पहलों में स्थानीय निवासियों और हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करते हैं, और अपशिष्ट पृथक्करण और इसके महत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

2.3 जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावासों में सुधार:

पीसीएमजीपीसी के तहत मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक में पटाजन पंचायत की उपलब्धियां: पीसीएमजीपीसी के तहत चयनित मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पटाजन गांव ने मॉडल पंचायत परियोजना में एक मॉडल पंचायत के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास के लिए निरंतर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और नियमित निरीक्षण और विभागीय कर्मचारियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने व्यापक विकास लक्ष्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

अध्याय 7

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

7.1 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

7.1.1 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी के लिए बेहतर और अधिक स्थायी/सतत भविष्य प्राप्त करने का ब्ल्यूप्रिन्ट है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के भाग के रूप में सितंबर 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 17 एसडीजी और 169 संबंधित लक्ष्यों को अपनाया गया और उन पर हस्ताक्षर किए गए।

7.1.2 भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 एजेंडा का हस्ताक्षरकर्ता है और नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) आदि की भागीदारी के साथ बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.2 सतत विकास लक्ष्यों में केन्द्र सरकार की भूमिका:

- नीति आयोग को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समन्वयन और प्रगति की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के निर्माण के लिए जिम्मेदार है;
- केंद्रीय मंत्रालयों और उनकी योजनाओं को सतत विकास उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ मैप किया जाता है। मंत्रालय राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के लिए डेटा प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं;

7.3 एलएसडीजी में पंचायतों की भूमिका

7.3.1 पंचायती राज संस्थाओं को गांवों में जलापूर्ति, स्वच्छता, आंतरिक सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आदि सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में सूचीबद्ध 29 विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णत: प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीआरआई के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए, सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने में पीआरआई विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

7.3.2 तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट दिनांक 07.12.2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी की गई थी।

7.4 सिफारिशों की रूपरेखा:

7.4.1 समिति ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को एलएसडीजी के 9 विषयों में एकत्रित करके विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की, जो अधिक सार्थक है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जुड़ाव को प्रेरित करता है। समुदाय की भागीदारी के साथ पंचायतों

द्वारा आसान समझ, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को एलएसडीजी के 9 विषयों में शामिल किया गया है।

7.4.2 तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाए हैं।

i. **विषय 1:** गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव
ii. विषय 2: स्वस्थ गांव
iii. विषय 3: बाल हितैषी गांव
iv. विषय 4: जल पर्याप्त गांव
v. विषय 5: स्वच्छ और हरित गांव
vi. विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव
vii. विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित गांव
viii. विषय 8: सुशासन वाला गांव
ix. विषय 9: महिला हितैषी गांव

ये विषय परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे से सह-संबद्ध हैं, जो जमीनी स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं

7.4.3 इसके पश्चात, पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाने से पंचायतों द्वारा समुदाय की भागीदारी के साथ आसान समझ, स्वीकृति और कार्यान्वयन संभव होगा। इनमें से प्रत्येक विषय में कई सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए मैप किया जाता है। अतः, इससे संसाधनों का अभिसरण होगा और पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।

विषय		मैप किए गए एसडीजी	नोडल मंत्रालय	प्रमुख मंत्रालय/विभाग
विषय 1: गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 15	ग्रामीण विकास	कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्यपालन, कौशल विकास
विषय 2: स्वस्थ गांव		2 और 3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आयुष, महिला एवं बाल विकास, पेयजल एवं स्वच्छता
विषय 3: बाल हितैषी गांव		1, 2, 3, 4 और 5	महिला एवं बाल विकास	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता
विषय 4: जल पर्याप्त गांव		6 और 15	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि एवं किसान कल्याण, भूमि संसाधन
विषय 5: स्वच्छ और हरित गांव		6, 7, 12, 13, 14 और 15	पेयजल एवं स्वच्छता	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं किसान कल्याण

विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव		1,2,3,4,5,6,9 और 11	पंचायती राज	ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार
विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित गांव		1,2,5,10 और 16	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	ग्रामीण विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, जनजातीय मामले
विषय 8: सुशासन वाला गांव		16	पंचायती राज	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार
विषय 9: महिला हितैषी गांव		1,2,3,4,5 और 8	महिला एवं बाल विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास

7.4.4 इन विषयों से संबंधित लक्ष्यों को निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाकर क्रमिक तरीके से 2030 तक प्राप्त किया जाना चाहिए: (i) पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों का अभिसरण, (ii) चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना और (iii) सभी संबंधितों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।

7.4.5 सरकार के भीतर अभिसरण लाने के लिए, रिपोर्ट ने 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण की सिफारिश की, जो समुदाय, पीआरआई सदस्यों, सिविल सोसायटी और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अभिसरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

7.5 सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर प्रगति:

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, सीएसओ और अन्य के साथ मिलकर काम करना शामिल है, ताकि जमीनी स्तर पर काम करने पर निरंतर ध्यान दिया जा सके।

- **अंतर-मंत्रालयी अभिसरण:** संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ क्रमवार कई अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की गई । एलएसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए अभिसरण गतिविधियों के लिए राज्यों को संयुक्त परामर्श जारी किए गए हैं। पीआरआई के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति में एक साथ काम करने के लिए 26 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएँ:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी के स्तर को समझने और एसडीजी के स्थानीयकरण पर समयबद्ध सुधारों/हस्तक्षेप के लिए कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई।
- **संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ बातचीत:** एलएसडीजी में संबंधित क्षेत्रों में उनकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। एलएसडीजी में सहयोग के लिए एमओपीआर और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूनिसेफ, यूएनएफपीए, डब्ल्यूएचओ और यूएनडीपी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण सामग्री का विकास:** राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) के प्रशिक्षण के लिए एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा विषयगत प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री तैयार की गई है। भविष्य में मॉड्यूल को जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के कैस्केडिंग मोड के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- **एलएसडीजी का प्रशिक्षण और विकास:** संशोधित आरजीएसए के तहत वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के भाग के रूप में एलएसडीजी पर प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों का एकीकरण।
- एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा एलएसडीजी के विषयगत क्षेत्रों पर राज्य मास्टर स्तर के प्रशिक्षकों (एसएमएलटी) का प्रशिक्षण।
- एसआईआरडी के सहयोग से 14 भाषाओं में सभी 9 विषय (विषयवार) पर पीपीटी तैयार किए गए और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए। पीपीटी का उद्देश्य विषयगत पहलुओं पर पीआरआई का उन्मुखीकरण करना था।
- अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायतों के पदाधिकारियों सहित देश भर के प्रतिभागियों को पारस्परिक शिक्षण हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए विषयगत राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

(i) 22-23 अगस्त 2022 को चंडीगढ़, पंजाब में 'विषय -6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(ii) 22-24 सितंबर 2022 को पुणे, महाराष्ट्र में 'विषय -4: जल पर्याप्त गांव' और 'विषय -5: स्वच्छ गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(iii) 14-16 नवंबर 2022 को कोच्चि, केरल में 'विषय -1: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(iv) 17-19 फरवरी, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में 'विषय -3: बाल हितैषी गांव' और

एलएसडीजी की थीम "स्वस्थ गांव" पर तिरुपति, आंध्र प्रदेश में 18 -20 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

'विषय-9: महिला हितैषी गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(v) 21-23 अगस्त, 2023 को श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में विषय-8 सुशासन वाला गाँव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(vi) 9 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में 'पीआरआई द्वारा जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) का पता लगाना और कम करना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(vii) 18-20 जनवरी, 2024 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में 'विषय-2: स्वस्थ गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

- अपेक्षा की जाती है कि ये कार्यशालाएँ बीकन नेताओं/सरपंच, क्षेत्र विशेषज्ञों, संगठन/संस्थाओं के माध्यम से सूचना/विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करेंगी, जिससे पीआरआई के माध्यम से एलएसडीजी को गति मिलेगी।
- ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्प के आधार पर परिपूर्णता/संतृप्ति के दृष्टिकोण को अपनाते हुए विषयगत पंचायत विकास योजना तैयार करना।
- स्थानीय एसडीजी को प्राप्त करने एवं इसके फलस्वरूप एसडीजी 2030 को प्राप्त करने में जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने और मापने के लिए पंचायत विकास सूचकांक।

पंचायतों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ/सफलता की कहानियाँ

ग्रामीण कर्नाटक में स्वयं सहायता समूहों के ग्राम पंचायत स्तरीय संघ के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (केएसआरएलपीएस) के साथ मिलकर ग्रामीण कर्नाटक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को शामिल करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं के संचालन और रखरखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों के ग्राम पंचायत स्तरीय संघ के स्तर पर महिलाओं को शामिल करके मजबूत संस्थागत क्षमता का निर्माण करके एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाया है और किसी भी रणनीतिक और संस्थागत बाधाओं को समाप्त कर दिया है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग ने एकत्रित असंयोजित सूखे कचरे, भंडारण, पृथक्करण और पृथक्करण के बाद भंडारण के लिए फिजिकल अवसंरचना स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। फिजिकल अवसंरचना स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों की 5877 डीपीआर के लिए धनराशि की मंजूरी दी गई है, और लगभग 4635 इकाइयां पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। ग्राम पंचायतों ने ठोस कचरे के परिवहन के लिए वाहन भी खरीदे हैं।

कार्यक्रम के परिणाम प्रदत्त सेवा	सिस्टम की सफलता:	एसएचजी महिलाओं पर प्रभाव
ग्राम पंचायतों में एसएचजी सदस्यों द्वारा नियमित संग्रहण सुनिश्चित किया गया है। ➢ एसएचजी समूह के नेताओं द्वारा प्रभावी निगरानी।	परिवारों से स्रोत पृथकरण में सुधार। सूखे कूड़े की प्रभावी छंटाई एवं सूखे कूड़े की नियमित बिक्री जीपी में नियमित प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण देखा गया।	एसडब्ल्यूएम गतिविधियों में शामिल महिलाओं में उच्च स्तर का आत्मविश्वास। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की अन्य बैठकों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

ग्राम पंचायत आरोग्य अमृत अभियान

ग्राम पंचायत आरोग्य अमृत अभियान (जीपीएएए), कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई अभिसारी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, समुदायों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच नए तालमेल की शुरुआत करना है।

कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एचएफडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभागों और अन्य एजेंसियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने में ग्राम पंचायतों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया है ताकि अंतिम छोर के समुदायों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

यूएसएआईडी द्वारा सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के अलावा, कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी 31 जिलों में जीपीएएए को बढ़ाने का प्रावधान किया है।

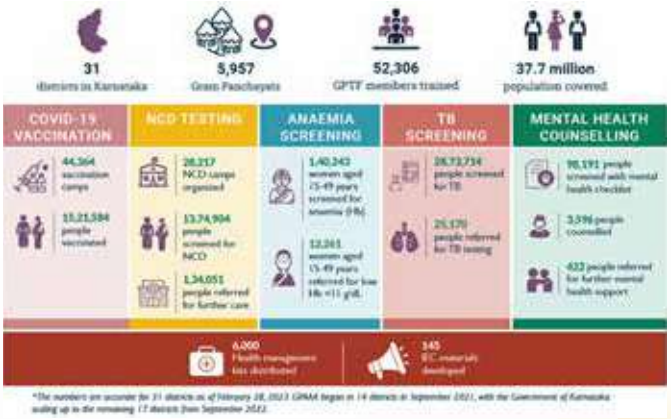

बौद्धिक सशक्तिकरण: हिमाचल प्रदेश में पंचायत शिक्षण केंद्रों में डिजिटल पुस्तकालय की यात्रा

हिमाचल प्रदेश के मंडी और लाहौल स्पीति जिलों की जेहल और तान्दी ग्राम पंचायतों ने संशोधित आरजीएसए योजना से पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) के रूप में ज्ञान के स्रोत के रूप में बीकन पंचायतें तैयार करने की कल्पना की है। यह एक परिवर्तनकारी पहल रही है, जिसकी अगुवाई इन ग्राम पंचायतों ने शैक्षिक अंतर को समाप्त करने और विकास के उत्प्रेरक के रूप में की है।

इन दोनों पीएलसी को रणनीतिक रूप से एक बहु-कार्यात्मक स्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं, एक पुस्तकालय और एक इंटरैक्टिव कियोस्क है, जिसे प्रयोक्ताओं को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है। कियोस्क लगाने का विजन सरल लेकिन गहरा है - समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, चाहे उनकी उम्र या पृष्ठभूमि और एक डिजिटल कंप्यूटर लैब कुछ भी हो, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

इस हॉल को विभिन्न विभागों को किराए पर दिया गया है और यह ग्राम पंचायत के लिए राजस्व अर्जित करने का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ग्राम पंचायत पीएलसी में कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू करके प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की योजना बना रही है। इससे न केवल रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि ग्रामीणों को डिजिटल दुनिया से भी जोड़ा जा सकेगा, जिससे उन्हें पहले ही उनकी पहुंच से परे सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी।

पंचायत अध्ययन केंद्र शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है

पंचायत विकास सूचकांक
(पीडीआई)

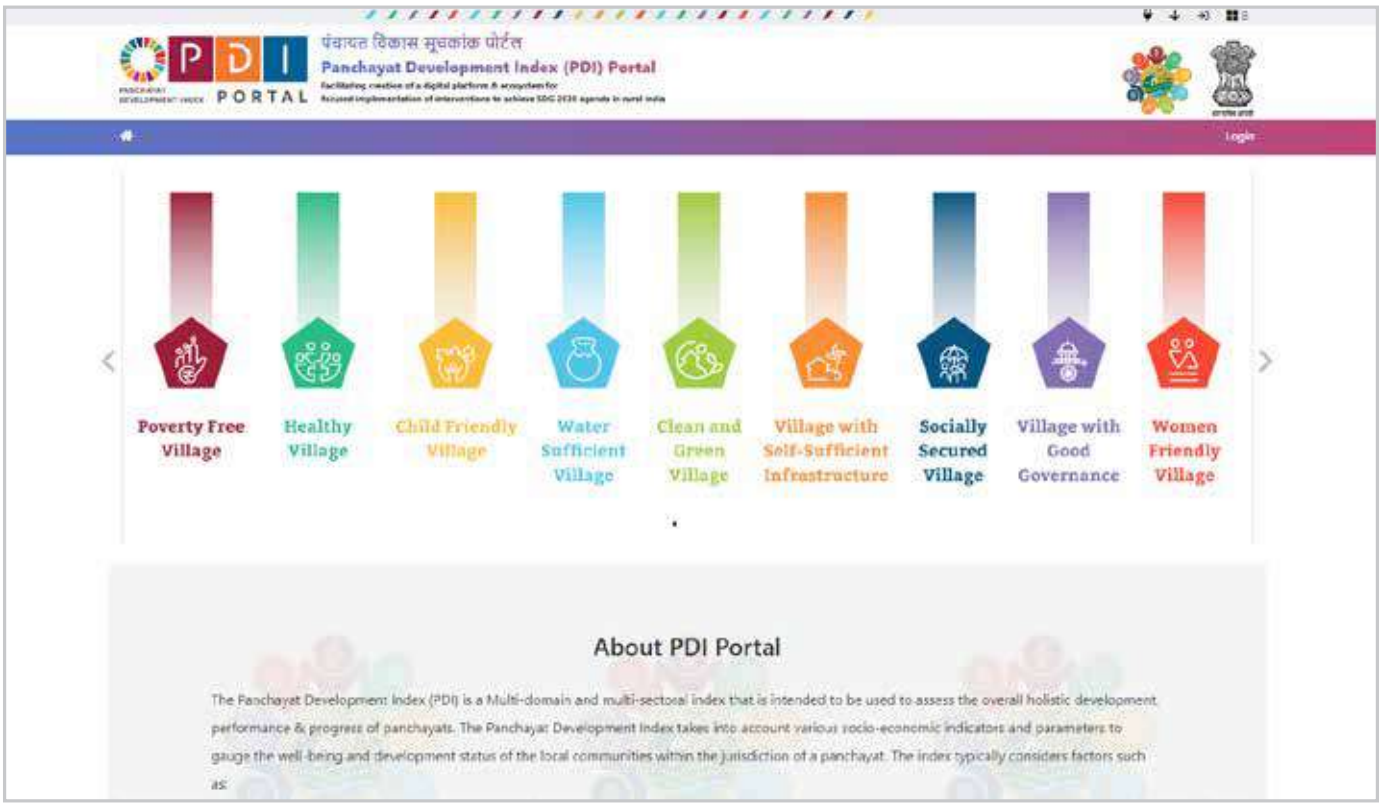

https://pdi.gov.in

अध्याय 8

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)

8.1 भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और 'सबका साथ, सबका विकास' के एजेंडे का एसडीजी के साथ अभिसरण है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के विकास एजेंडे का अधिकांश हिस्सा एसडीजी में प्रतिबिंबित होता है। पंचायतें, सरकार का तीसरा स्तर होने के नाते, जमीनी स्तर पर विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रभावी आयोजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के माध्यम से सुशासन प्रदान करने और सतत विकास लक्ष्य के 2030 एजेंडे को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयगत रूपरेखाओं को अपनाकर संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज की भावना को मूर्त रूप देते हुए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इस प्रकार सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने में जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन को मापने के लिए मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) शुरू किया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो परिणामोन्मुखी विकास लक्ष्यों के लिए स्थानीय संकेतकों के आधार पर पंचायतों के कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग करता है। यह पंचायतों की विकास स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करता है, जिसमें उनके मजबूत और कमजोर क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

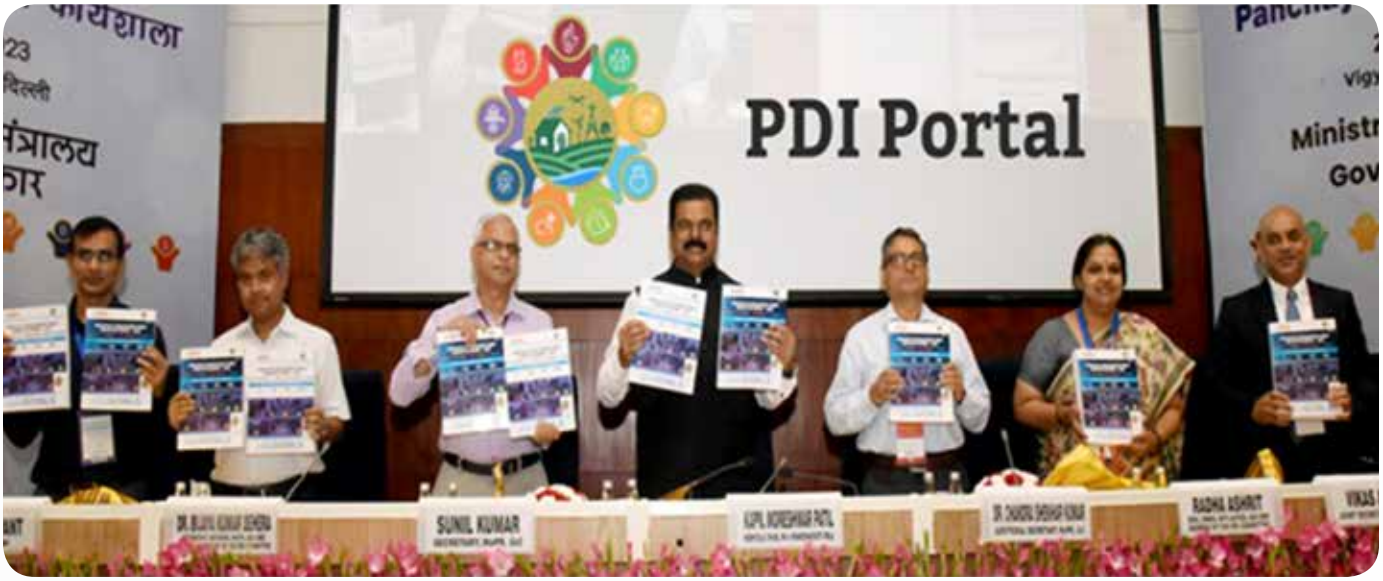

मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसमें प्रमुख मंत्रालयों, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य विभाग, एनआईआरडीपीआर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय ने 28 जून, 2023 को नई दिल्ली में

पंचायत विकास सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 577 संकेतकों, 144 स्थानीय लक्ष्यों और अनुशंसित संकेतकों के डेटा बिंदुओं का उपयोग करके 9 विषयों में आकड़ों की गणना के लिए सचित्र व्याख्या करने की प्रणाली की सिफारिश की गई है।

8.2 विषय, स्थानीय लक्ष्य और एलआईएफ का अंतर-संबंध

क्र. सं.	विषय	एसडीजी	स्थानीय लक्ष्य	एलआईए एफ
1.	गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव	1,2,3,4,5,67,8,10,11,13,15	16	37
2.	स्वस्थ गांव	2 एवं 3	10	23
3.	बाल हितैषी पंचायत	1,2,3,4 एवं 5	17	85
4.	जल पर्याप्त पंचायत	6 एवं 15	11	30
5.	स्वच्छ और हरित पंचायत	6,7,12,13,14,15	13	41
6.	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली पंचायतें	1,2,4,5,6,9,11	11	161
7.	सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित पंचायत	1,2,5,10,16	21	70
8.	सुशासन वाली पंचायतें	16	25	79
9.	महिला हितैषी पंचायत	1,3,4,5 एवं 8	20	51
			144	**577**

8.3 पंचायत विकास सूचकांक सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संरचित संस्थागत प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न संसाधनों को एकीकृत करके विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में स्थानीय लक्ष्य और स्थानीय कार्रवाई बिंदु निर्धारित करने के लिए एक आधारभूत डेटा प्रदान करेगा। पीडीआई की आधारभूत रिपोर्ट पंचायत के परिभाषित मापे गए संकेतकों की वर्तमान स्थिति को दर्शाएगी जो उन्हें संबंधित विभागों और अन्य प्रमुख हितधारकों की सहायता से स्थानीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी।

8.4 स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों में पीडीआई की तैयारी में प्राप्त विषयगत अंक और ग्राम पंचायतों के समग्र पीडीआई अंक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। पीडीआई नौ विषयों में विकास के लक्ष्यों की प्रगति के साथ-साथ समग्र पीडीआई अंक में पंचायतों की तुलना करने में भी मदद करेगा। इसलिए, पीडीआई पंचायतों के बीच विकास लक्ष्यों के लिए योजना बनाने और काम करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देगा और अपने समकक्ष पंचायतों की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार करके सभी स्तरों पर समग्र विकास की दृश्यता को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं के चयन में एमओपीआर के प्रोत्साहनीकरण कार्य में उपयोग किए जाने हेतु पीडीआई को नियोजित किया गया है।

8.5 विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से क्रमिक प्रगति माप उन्हें निम्नलिखित में से एक में वर्गीकृत करेगा - अचीवर ए+, ए फ्रंट रनर (75 से 90 के बीच); परफॉर्मर बी (60 से 75 के बीच); आकांक्षी सी (40 से 60 के बीच) और बीगिनर्स डी (0 से 40

के बीच)। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके कार्य-निष्पादन का रिपोर्ट कार्ड होगा। ग्रेडिंग फ्रेमवर्क के साथ, पीडीआई से पंचायतों के बीच सकारात्मक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की भी आशा है।

8.6 सतत विकास के लिए डेटा का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु डेटा संग्रहण और डेटा सत्यापन में संबंधित विभागों के फ्रंटलाइन कर्मियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 9 केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संयुक्त एड्वाइजरी जारी की गई है।

8.7 मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा डेटा की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए डेटाबेस प्रबंधन एप्लिकेशन के साथ एक मजबूत पीडीआई पोर्टल (www-pdi-gov-in) भी तैयार किया है, जो विषयगत और समग्र पीडीआई स्कोर की गणना से पहले विभिन्न स्तरों पर कठोर सत्यापन के अध्यधीन होगा। पोर्टल में पीडीआई डेटा की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डेटा सत्यापन की संरचित कार्यात्मकता/कार्यक्षमता भी है।

8.8 पीडीआई के महत्व और पीडीआई पोर्टल की विशेषताओं पर 10-11 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पीडीआई की समझ विकसित करना और एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में पंचायतों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए पीडीआई के उपयोग में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता का निर्माण करना है। कार्यशाला के दौरान पीडीआई पोर्टल की विभिन्न कार्यक्षमता और कॉन्फिगरेशन और डेटा सत्यापन में प्रत्येक हितधारक की भूमिका पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

राष्ट्रीय कार्यशाला के क्रम में, राज्य नोडल अधिकारियों; राज्य नोडल विभागों: जिला और ब्लॉक अधिकारियों; तकनीकी अधिकारियों और राज्य मास्टर प्रशिक्षकों के

साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को मापने के लिए पीडीआई के महत्व; विभिन्न हितधारकों की भूमिका, पीडीआई डेटा की सत्यापन प्रणाली का फ्लोचार्ट और पीडीआई पोर्टल की कार्यक्षमता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला/प्रशिक्षण की श्रृंखला आयोजित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गहन व्यावहारिक व क्रियाशील सत्र भी प्रदान किए गए।

8.9 मंत्रालय ने संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा/मूल्य की ऑटो-पोर्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त ग्राम पंचायतवार ऑटो-पोर्ट किए गए डेटा को पीडीआई पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्र स्तर पर विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रहण में आसानी के लिए कुल 137 डेटा पॉइंट पीडीआई पोर्टल पर ऑटो-पोर्ट किए गए हैं।

8.10 व्यापक योजना और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, यह बहुआयामी सूचकांक राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की स्थिति के बारे में जानने और अपने क्षेत्रों में विकास की योजना बनाने में योगदान करने में भी मदद करेगा।

8.11 इसलिए, पीडीआई विकास के लिए डेटा (डी4डी) और सभी स्तरों पर नीति निर्माण के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एसडीजी की प्रगति में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। पीडीआई समग्र विकास की दृश्यता/विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सफल मॉडलों और सुधारों को सीखने और दोहराने/रेप्लीकेशन के लिए पंचायतों और हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में पीडीआई कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल

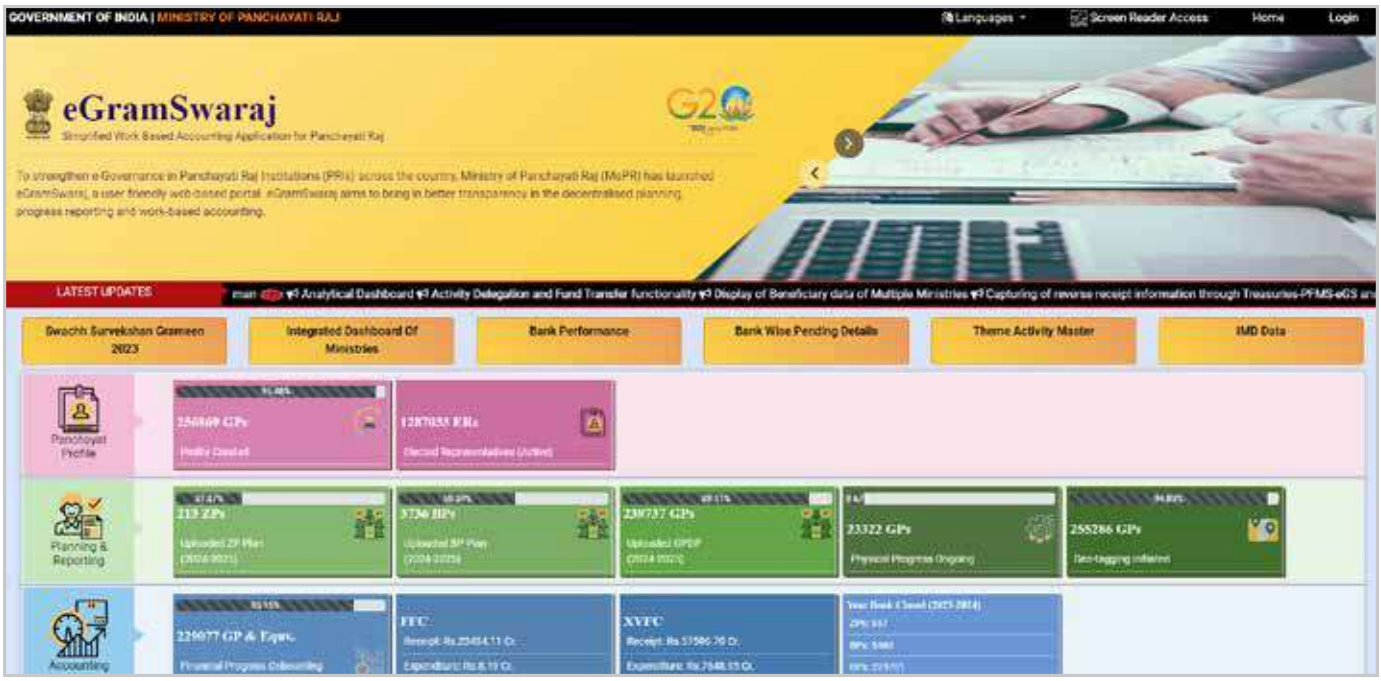

https://egramswaraj.gov.in

अध्याय 9

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल

9.1 ई-गवर्नेंस नागरिकों की सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करके नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इस एनईजीपी के तहत ई-पंचायत परियोजना को मिशन मोड परियोजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया था। इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय के आईटी कार्यक्रम पर एक समिति का गठन किया गया जिसने सभी सूचना और सेवा आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए वर्ष 2009 में पूरे देश में व्यापक क्षेत्र अध्ययन किए। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सूचना और सेवा आवश्यकता मूल्यांकन (आईएसएनए), व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर रिपोर्टें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर के लिए विकसित की गई।

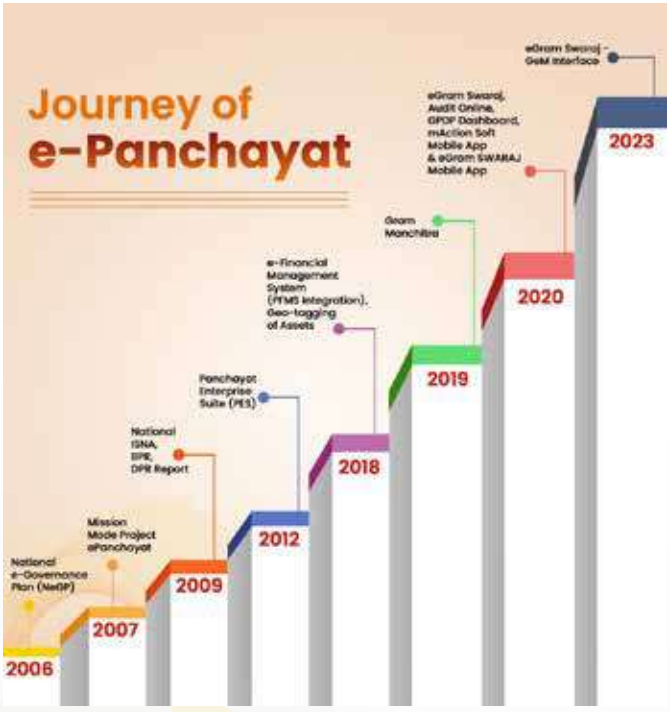

चित्र: ई-पंचायत की यात्रा

ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायतों के कामकाज के सभी पहलुओं को समाधान करते हुए कोर कॉमन एप्लीकेशन का एक सेट तैयार किया गया है। शुरुआत में, 12 कोर कॉमन एप्लीकेशन विकसित करने की योजना बनाई गई थी।

ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत कोर कॉमन एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन को लांच करने की अवधि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विषय	एसडीजी
1.	राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल	दिसंबर, 2004
2.	राष्ट्रीय पंचायत निर्देशिका (एलजीडी का पुराना वर्जन)	सितंबर, 2007
3.	पीआरआई प्रोफाइलर (एरिया प्रोफाइलर का पुराना वर्जन)	दिसंबर, 2007
4.	प्लान प्लस (एक्शनसॉफ्ट की कार्यप्रणाली सहित)	मार्च, 2008
5.	PRIASoft (मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम को शामिल करते हुए)	अप्रैल, 2009

9.3 शिकायत निवारण मॉड्यूल को बाद में सर्विसप्लस ढांचे में शामिल कर लिया गया और इसलिए एप्लीकेशनों की संख्या घटकर 11 रह गई। चूंकि, उपर्युक्त एप्लीकेशनों में डेटा को स्थिर होने में कुछ समय लग सकता था, इसलिए बुनियादी जीआईएस एप्लीकेशन शुरू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि जीआईएस एक व्यापक परत होगी जो तैयार ई-पंचायत एप्लीकेशनों में प्राप्त डेटा पर निर्भर करेगी। 24 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर; मंत्रालय ने निम्नलिखित छह एप्लीकेशन शुरू किए:

(I) सर्विसप्लस

(II) नेशनल एसेट डायरेक्टरी

(III) एक्शनसॉफ्ट (प्लानप्लस से अलग)

(IV) मीटिंग मैनेजमेंट

(V) सोशल ऑडिट और

(VI) ट्रेनिंग मैनेजमेंट

9.4 इसके अलावा, वर्ष 2020 में, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और अंततः ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लिकेशन, ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया गया था।

9.4.1 ई-ग्राम स्वराज

(https://gramswaraj.gov.in) (वर्ष: 2020)

इस एप्लीकेशन को ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में पंचायत एप्लीकेशन की कार्यक्षमताओं को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें प्लानप्लस, एक्शनसॉफ्ट, पीआरआईएसॉफ्ट और नेशनल एसेट डायरेक्टरी (एनएडी) के साथ-साथ स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के साथ एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन वाले ई-एफएमएस एप्लीकेशन शामिल हैं, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ मिलकर इस तरह की मजबूत प्रणाली का आधार बनाते हैं।

9.4.2 इसे जीपीडीपी के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधि के लिए किए गए प्रत्येक व्यय को ट्रैक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-ग्रामस्वराज ने ग्राम पंचायत उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली डेटा प्रविष्टियों की संख्या को कम कर दिया है और नेविगेशन की आसानी के साथ एक अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस लाया है जिससे जीपी के लिए अपनी कार्य योजना को ट्रैक करना, निगरानी करना और संशोधित करना परेशानी मुक्त हो गया है।

(चित्र: ई-ग्राम स्वराज डैशबोर्ड)

9.5 ईग्राम स्वराज - पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) (वर्ष: 2020)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) वर्ष 2020 में शुरू की गई भारत सरकार की योजनाओं और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के लिए सामान्य लेनदेन-आधारित ऑनलाइन निधि प्रबंधन और भुगतान प्रणाली और एमआईएस है। राज्य के कोषागारों में सीधे प्राप्त धन के भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए अब इस प्लेटफॉर्म को राज्य सरकारों तक विस्तारित किया गया है। पीएफएमएस की परिकल्पना भारत सरकार से विभिन्न स्तरों पर निधि संवितरण को अंतिम उपयोग स्तर तक ट्रैक करने और अंतत: वास्तविक समय के आधार पर कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर इनके तहत उपयोग की रिपोर्ट करने के लिए की गई है।

9.6 ग्राम मानचित्र (भू-स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन; https://grammanchitra.gov.in/) (वर्ष 2019)

ग्राम मानचित्र को माननीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री द्वारा 23 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2019 के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने में सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) रिपोर्ट, मिशन अंत्योदय (MA) और मिशन अंत्योदय गैप अंतर विश्लेषण और ग्राम पंचायत को आवंटित समग्र संसाधन से भी जुड़ा हुआ है।

इस एप्लिकेशन को विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जिला अस्पताल, उप-जिला अस्पताल,

(ii) सीएससी, पीएससी और उप केंद्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय),

(iii) बैंकिंग सुविधाएं जैसे बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग पत्राचार आदि (वित्त मंत्रालय),

(iv) डाक सुविधाएं (संचार मंत्रालय),

(v) स्कूल (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग),

(vi) उचित मूल्य की दुकानें (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय),

(vii) पेयजल स्रोत (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) और

(viii) मनरेगा परिसंपत्ति डेटा (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

(चित्र- ग्राम मानचित्र डैशबोर्ड)

9.7 ऑडिट ऑनलाइन (https://auditonline.gov.in/): (वर्ष: 2020)

सरकारी संस्थाओं के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा के लिए ऑडिट एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह माना जा रहा है कि यह एप्लीकेशन जवाबदेही प्रक्रिया को मजबूत करेगा और पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। इस एप्लिकेशन का उपयोग किसी अन्य विभाग द्वारा भी किया जा सकता है। ऑडिटऑनलाइन पर लाइव होने के लिए राज्यों को पूर्व-आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी जैसे ऑडिट प्रवाह, पदानुक्रम डेटा, जोखिम-आधारित श्रेणियाँ आदि।

(चित्र- ऑडिट ऑनलाइन डैशबोर्ड)

9.8 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग (वर्ष: 2018)

प्रभावी एवं मॉनीटरिंग के एक भाग के रूप में क्षेत्र स्तरीय मॉनीटरिंग एवं कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग भी आवश्यक है। इसके अलावा, सिस्टम को मजबूत करने के लिए पूरक; परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग (कार्य पूरा होने पर) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एमओपीआर ने एम-एक्सन सॉफ्ट तैयार किया है - एक मोबाइल आधारित समाधान जो आउटपुट/ परिणाम के रूप में संपत्ति वाले कार्यों के लिए जियो-टैग (यानी जीपीएस निर्देशांक) के साथ तस्वीरें खींचने में मदद करता है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग तीनों चरणों में की जाती है। (i) काम शुरू होने से पहले, (ii) काम के दौरान और (iii) काम पूरा होने पर। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक बांध और सिंचाई चौनलों आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों पर अधिक जानकारी प्रदान करेगा।

9.9 मंत्रालय ने निम्नानुसार अन्य आईसीटी पहल भी शुरू की हैं:

9.9.1 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी; https://gpdp.nic.in) डैशबोर्ड: (वर्ष: 2020)

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने का काम ग्राम पंचायतों को

सौंपा गया है।

- लगभग 95% ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी जीपीडीपी तैयार और अपलोड कर रही हैं।
- वित्त वर्ष 2021 से जिला और ब्लॉक पंचायतों ने अपनी वार्षिक योजनाएं बनाना भी शुरू कर दिया है।
- वार्षिक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण साक्ष्य-आधारित योजना के लिए आधार रेखा है।
- जन योजना अभियान 2022 में व्यापक विषय-वार योजना और प्रणाली में एकरूपता को सक्षम करने के लिए 'थीमैटिक जीपीडीपी क्रिएशन' की शुरुआत देखी गई।

9.9.2 ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के लिए मोबाइल ऐप (वर्ष: 2020): स्मार्ट फोन की व्यापक पहुंच और ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए, ई-ग्रामस्वराज और एमएक्शनसॉफ्ट के लिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किए गए थे।

चित्र – ईग्रामस्वराज मोबाइल ऐप

चित्र – mActionSoft मोबाइल ऐप

9.9.3 ई-सेवाएँ: कई राज्यों में पंचायतें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जन्म, मृत्यु, आय, विवाह, निवास प्रमाण पत्र जारी करना, निर्माण और व्यापार की अनुमति और संपत्ति और गृह कर का प्रेषण आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित सर्विसप्लस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि, चूँकि अधिकांश राज्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य-विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, इस एप्लिकेशन का समग्र उपयोग कम हो गया है।

9.9.4 स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी; http://lgdirectory.gov.in **) (वर्ष: 2018)**

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एलजीडी एप्लिकेशन को 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह एप्लिकेशन सभी प्रशासनिक इकाइयों जैसे कि राजस्व संस्थाएँ (जिले, उप-जिले और गाँव), स्थानीय शासन निकाय (पंचायतें, नगर पालिकाएँ और पारंपरिक निकाय),

विकास खंड, आदि अद्वितीय स्थान कोड के एक मानक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभागों को प्रशासनिक इकाइयों का अद्यतन डेटा बनाए रखने का प्रावधान प्रदान किया गया है।

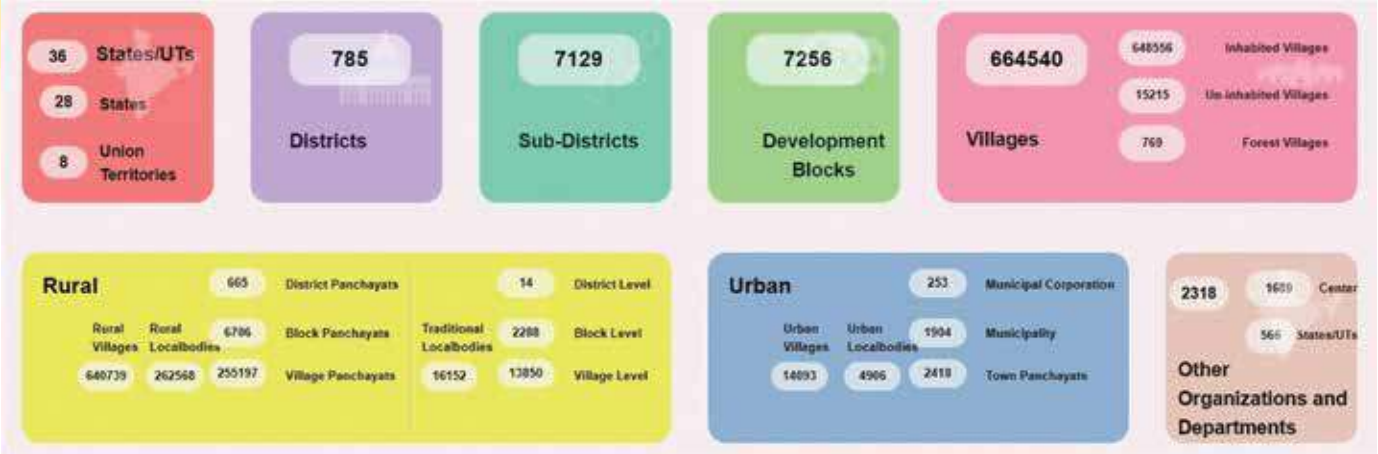

(चित्र - एलजीडी एप्लिकेशन डेशबोर्ड)

9.9.5 जीएस निर्णय (पंचायत निर्णयों को आगे बढ़ाने, नया करने और समाधान करने के लिए ग्रामीण भारत के लिए राष्ट्रीय पहल) (वर्ष: 2023)

पंचायती राज मंत्रालय ने 'जीएस निर्णय' नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो ग्रामीण भारत के लिए राष्ट्रीय पहल के लिए नेविगेट, इनोवेट और पंचायत के निर्णयों को हल करने के लिए है। यह ऐप 17 अप्रैल 2023 को पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण सह पुरस्कार समारोह पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। ऐप का उद्देश्य ग्राम सभा के दौरान चर्चा की गई महत्वपूर्ण जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करके, तथ्यों की पुष्टि करना और पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। उम्मीद है कि ऐप विकास के दौरान सरकारी कार्यों की पहुंच, दायरा और परिणामों को बढ़ाएगा और जमीनी स्तर पर 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

9.10 विभिन्न एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन की स्थिति

यह देखा गया है कि ई-ग्रामस्वराज और अन्य ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों को अपनाने और उपयोग करने में राज्यों का प्रदर्शन जनशक्ति की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पंचायतों में आईटी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की क्षमताओं में अंतर के कारण भिन्न होता है। 31 मार्च, 2024 तक ई-ग्राम स्वराज और अन्य ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों को अपनाने की स्थिति नीचे तालिका 9.1 में सूचीबद्ध है:-

तालिका 9.1

एप्लिकेशन का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति
➢ एलजीडी (जीपी से गांव मानचित्रण स्थिति के संदर्भ में)	सभी राज्यों ने ~100% मैपिंग पूरी कर ली है।
ईग्राम स्वराज (मॉड्यूल वार प्रदर्शन)	
➢ योजना (अनुमोदित विकास योजना वाली पंचायतों की संख्या)	वर्ष 2023-24 के लिए 2.50 लाख ग्राम पंचायत, 5742 ब्लॉक पंचायत और 492 जिला पंचायत ने अपनी विकास योजना अपलोड कर दी है

➢ लेखांकन (मंथ बुक को बंद करने के संदर्भ में)	वर्ष 2023-24 के लिए 2.45 लाख ग्राम पंचायतों ने मंथ बुक बंद कर दी है
➢ पीएफएमएस एकीकरण	➢ 2.55 लाख पीआरआई ईजीएस-पीएफएमएस से जुड़े हुए हैं ➢ 2.40 लाख पीआरआई ने ऑनलाइन भुगतान किया है। ➢ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईजीएस-पीएफएमएस के माध्यम से विक्रेता खातों में 39,521 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सफलतापूर्वक जमा किया गया है। ➢ स्थापना के समय से ईजीएस-पीएफएमएस के माध्यम से 1,72,062 करोड़ रुपये से अधिक के विक्रेता भुगतान संसाधित किए गए हैं
➢ रिपोर्टिंग'(ऑनबोर्ड पंचायतों के संदर्भ में)	वर्ष 2023-24 में, 1.16 लाख ग्राम पंचायतों ने ईजीएस पर भौतिक प्रगति की सूचना दी।
➢ परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग	➢ 2.50 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन पर परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया
➢ ऑडिटऑनलाइन	ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए ➢ 27 राज्यों में 10,280 लेखापरीक्षक पंजीकृत हैं। ➢ 2,60,600 ऑडिटी पंजीकृत हैं ➢ 27 राज्यों में 2,41,285 लेखापरीक्षक योजनाएं तैयार की गई हैं ➢ 27 राज्यों में 21,92,564 टिप्पणियां दर्ज की गई है। ➢ ऑडिट अवधि 2021-22 के लिए 22 राज्यों में 2,48,430 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई ➢ 22 राज्यों में 2,41,931 जीपी, 5,962 बीपी और 537 जिला परिषद लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। ➢ 22 राज्यों में 23,86,451 टिप्पणियां दर्ज की गई है। ➢ 22 राज्यों में 2,41,203 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई

ई-पंचायत एमएमपी के तहत विकसित/ तैयार अनुप्रयोगों के अलावा, कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विशिष्ट ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन विकसित किए हैं। ये एप्लिकेशन पंचायत कामकाज के विभिन्न पहलुओं को भी पूरा करते हैं।

9.11 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

स्मार्ट गवर्नेंस के साथ-साथ सीएससी के माध्यम से पंचायत स्तर पर सेवाओं के प्रावधान को साकार करने के लिए, डिजिटल पंचायत बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायत के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 21 अगस्त, 2019 को एमओपीआर और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएससी ग्राम पंचायतों में सभी डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह वीएलई (सामान्य सेवा केंद्रों का प्रबंधन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी) बनने के लिए महिलाओं की अधिक भागीदारी के साथ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्राम पंचायत में रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा।

एमओपीआर के साथ इस समझौता ज्ञापन के बाद, सीएससी-एसपीवी राज्य विशिष्ट स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं, नियमों, विनियमों आदि के आधार पर संबंधित राज्यों के साथ व्यक्तिगत समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकता है। सीएससी ने तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नवंबर, 2023 तक, 2.52 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सीएससी स्थापित करने के लिए कम से कम 1 वीएलई की पहचान की है, जिनमें से 47,469 सीएससी पंचायत भवनों में सह-स्थित हैं।

9.12 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण पहल

9.12.1. ई-ग्राम स्वराज- गवरमेंट ईमार्केटप्लेस (GeM) एकीकरण

eGS-GeM इंटरफेस को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था।

इंटरफेस ने सभी पंचायतों को (GeM) जेम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने और ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से निर्बाध तरीके से योजना/भुगतान करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। इस एकीकरण से ग्रामीण मांग और आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि राज्य स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं आदि को (GeM) जेम में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायतें भी लाभान्वित होंगी क्योंकि उनकी सभी खरीद पारदर्शी होंगी और मानकीकृत दरों पर की जाएंगी।

9.12.2 मंत्रालयों का एकीकृत डैशबोर्ड

(https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do)

पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक एकल दृश्य प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने एक डैशबोर्ड (https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do) विकसित किया है। डैशबोर्ड सभी स्तरों की पंचायतों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही, डैशबोर्ड जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और राज्य स्तर पर एकत्रित जानकारी भी प्रदान करता है।

पोर्टल के साथ एकीकृत योजनाओं और संबंधित मंत्रालय/विभाग की सूची नीचे सूचीबद्ध है:

क) पंचायती राज मंत्रालय:

(i) स्वामित्व

(ii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

(iii) 15वां वित्त आयोग ईग्राम स्वराज

ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय:

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(ii) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

(iii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एनएसएपी)

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

ग) भूमि संसाधन विभाग

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

(ii) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

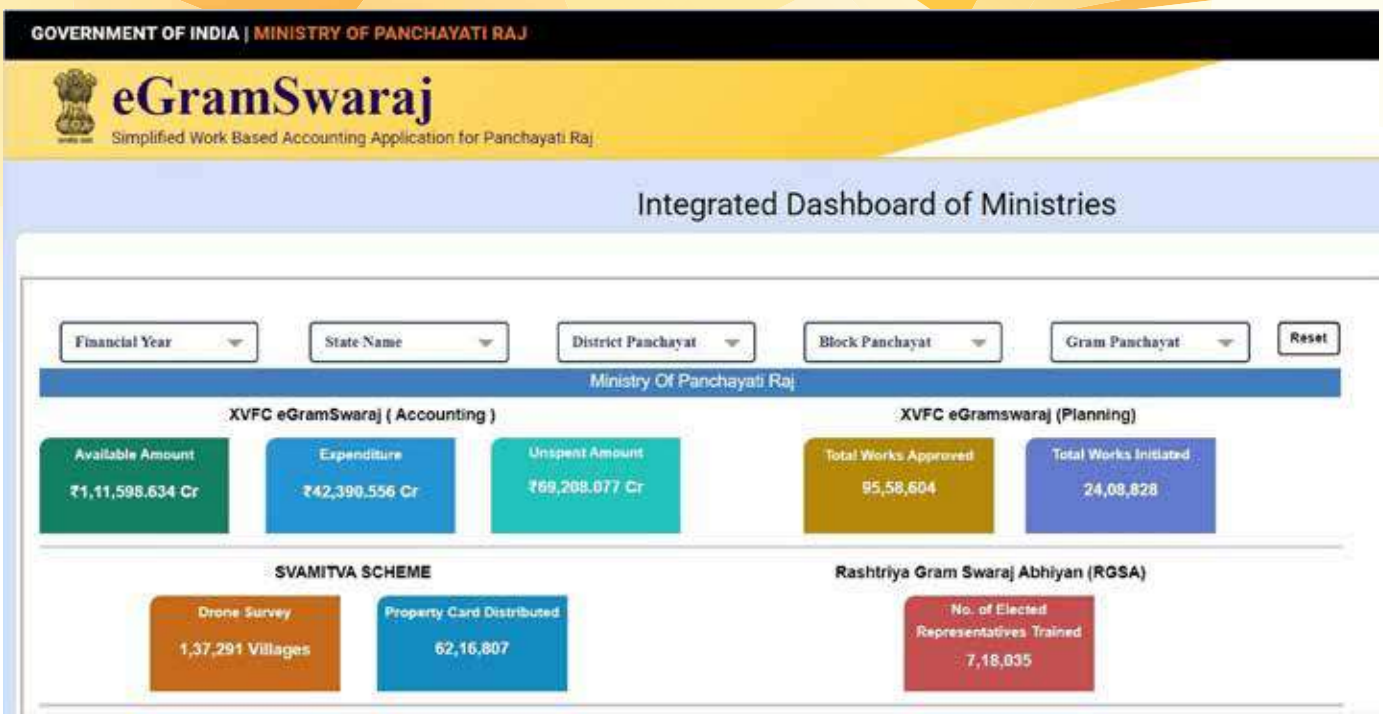

(चित्र- एनालिटिकल डेशबोर्ड)

9.12.3 देशभर में ई-ग्राम स्वराज-जीईएम एकीकरण पर कार्यशाला

मई 2023 से जुलाई 2023 के बीच एमओपीआर द्वारा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, 17 राज्यों में 1,800 मास्टर प्रशिक्षकों (लगभग) का एक पूल बनाया और प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत पदाधिकारियों को इस इंटरफेस को अपनाने के लिए उन्मुखीकरण/ ओरियन्टेशन प्रदान करना, स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और इस प्रकार उनकी खरीद प्रक्रिया को बढ़ाना था।

चित्र – eGS-GeM एकीकरण कार्यशाला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई

9.12.4 मंथन सम्मेलन, नई दिल्ली

पंचायती राज मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में औद्योगिक परामर्श सम्मेलन "मंथन" का आयोजन किया। सूचना प्रौद्योगिकी (क्लाउड कंप्यूटिंग), डेटा एनालिटिक्स, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन, ऑटोमेशन और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों को अपने संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध नए युग के समाधान और भारत सरकार के ई-गवर्नेंस समाधानों के लिए इसकी प्रासंगिकता को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत सरकार, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों और नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शासन क्षेत्र से जुड़े संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया।

चित्र - मंथन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

9.12.5 ईजीएस 2.0 कार्यशाला, तेलंगाना (हैदराबाद), असम (गुवाहाटी) और हिमाचल प्रदेश (शिमला)

ई-ग्राम स्वराज 2.0 (ईजीएस 2.0) पर परामर्शदायी कार्यशाला देश भर के राज्य पंचायत राज संस्थाओं के लिए 19 और 20 जनवरी 2023 को हैदराबाद में, 10 और 11 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में और 24 फरवरी 2023 को शिमला में आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान, राज्यों को उन परिवर्तनों के बारे में अवगत कराया गया जो मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन (ईजीएस 2.0) को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और मजबूत बनाने के लिए इसके उन्नत संस्करण में लाने का इरादा रखता है। कार्यशाला में मंत्रालय, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य पंचायती राज विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

चित्र – eGS2-0 परामर्श कार्यशाला एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित की गई

9.12.6 एलजीडी कार्यशाला वर्कशॉप, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पुणे (महाराष्ट्र)

पंचायती राज मंत्रालय ने 08 दिसंबर, 2023 को पीआरआईटी परिसर, लखनऊ और 02 फरवरी, 2024 को यशदा, पुणे में एलजीडी (स्थानीय सरकार निर्देशिका) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। विभिन्न विभागों (राजस्व बोर्ड, पंचायती राज विभाग) ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और जनगणना संचालन निदेशालय) के नोडल अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिला स्तरीय कार्यालयों ने कार्यशाला में भाग लिया। एलजीडी डेटा विसंगतियों पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों को स्पष्ट किया गया।

कार्यशाला के परिणामस्वरूप, राज्य विभागों के बीच संपर्क में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य एलजीडी विसंगतियों को काफी हद तक हल करने में सक्षम था और एलजीडी पर शून्य विसंगति प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

9.13 साइबर सुरक्षा अनुपालन

इस मंत्रालय के आईटी पारिस्थितिकी तंत्र के साइबर सुरक्षा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी टीम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

क) भारत सरकार के मानदंडों और निकनेट के दिशानिर्देशों के अनुसार नेटवर्क सुरक्षा

ख) प्रशासनिक विशेषाधिकारों का नियंत्रित उपयोग

ग) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए सुरक्षित कॉन्फिगरेशन

घ) मैक बाइंडिंग

ङ) मैलवेयर रक्षा

च) भेद्यता/ कमजोर कड़ी और पैच प्रबंधन

छ) सुरक्षित मेल पहुंच के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण

ज) पासवर्ड संरक्षित सिस्टम

चित्र- केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगुसराय जिले की ग्राम पंचायतों में पीएम-वाणी सेवा का विस्तार करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट 'स्मार्ट ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' 13 फरवरी 2024 को पपरौर ग्राम पंचायत, बिहार से शुरुआत की

ग्राम सभा, पंचायतों की स्थायी समितियाँ और पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण

https://meetingonline.gov.in

अध्याय 10

ग्राम सभा, पंचायतों की स्थायी समितियाँ और पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण

10.1 ग्राम सभा

ग्राम सभा सहभागी और विचारशील लोकतंत्र की एक संस्था है, जो अनुच्छेद 243 के अनुसार संवैधानिक स्थिति से संपन्न है। संविधान राज्यों को ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा के प्रमुख कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्राथमिकता तय करना, विकास योजनाओं पर चर्चा/अनुमोदन करना, व्यय करने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। ग्राम सभाओं के पुनरोद्धार के संबंध में मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नानुसार सलाह दी है:

(i) ग्राम सभाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी (एक वर्ष में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12)

(ii) उपस्थिति के लिए कोरम: सदस्यों का 10% और महिला सदस्यों के लिए 30% का उप-कोरम, निर्धारित बैठक में कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों के लिए भी कोरम पर जोर दिया जाएगा।

(iii) ग्राम सभा की बैठकों का वार्षिक कैलेंडर और जिला/ब्लॉकवार कार्यक्रम पहले से तैयार किया जाएगा।

(iv) समूह क/समूह ख के अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। उन्हें ग्राम सभाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

(v) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रसार और विचार-विमर्श के लिए ग्राम सभाओं में अपनी प्रमुख योजनाओं पर प्रस्तुति देनी होगी।

ग्रामसभा की बैठक

10.2 वाइब्रेंट ग्राम सभा के लिए पोर्टल:-

ग्राम सभा के महत्व के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभाओं के प्रभावी शेड्यूल की सुविधा के लिए एक एकीकृत, रियल टाइम ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। पोर्टल में ट्रैक किए जाने वाले प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में समिति का विवरण, जागरूकता प्रयासों को पूरा करना; बैठक निर्धारण; आयोजित बैठकें और आईईसी गतिविधि विवरण शामिल है; वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर राज्यों द्वारा की गई प्रविष्टियों के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 155732 और 54791 ग्राम सभाएं आयोजित की गई हैं।

10.3 वाइब्रेंट ग्राम सभा के लिए जीएस-निर्णय का शुभारंभ:-

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा 17 अप्रैल, 2023 को एक अभिनव मोबाइल ऐप जीएस-निर्णय लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायत संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। ऐप उपयोगकर्ताओं को ग्राम सभा के निर्णयों का सारांश देते हुए 15 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड करने और अपलोड करने की सुविधा देता है, जिसे जनता आसानी से एक्सेस कर सकती है। यह वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल के साथ एकीकृत है और क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। वर्तमान में, 24 राज्यों से 25,411 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो इसके सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हैं।

10.4. ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियाँ

हाल के वर्षों में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ गई हैं। इन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वितरित करने के लिए, राज्य पंचायती राज अधिनियमों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। स्थायी समितियाँ पंचायतों के कामकाज में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं। सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को स्थानीयकृत करने के संदर्भ में स्थायी समितियों को मजबूत करना आवश्यक है। इन समितियों का गठन राज्य पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाना है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक बुलानी होगी।

राज्यों में, ग्राम पंचायतों ने स्थायी समितियों अर्थात् वित्त और योजना संबंधी स्थायी समिति; शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति; कृषि एवं पशु संसाधन विकास स्थायी समिति; उद्योग और बुनियादी ढांचा स्थायी समिति; महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण स्थायी समिति का गठन किया है। राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। कुछ राज्य अधिनियम यह निर्धारित करते हैं कि ग्राम पंचायत यहां सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी विषय पर अतिरिक्त समिति का गठन भी कर सकती है।

10.5 स्थायी समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संबंधित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करना।
2. पंचायत समिति को क्षेत्रवार विकासात्मक आवश्यकताओं की अनुशंसा करना।
3. विभिन्न लाइन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करना और उन्हें स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
4. सामने आने वाली समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान करना और अभिसरण मोड के माध्यम से सही योजना की पहचान करना।
5. लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा करना एवं कार्यों के निष्पादन के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करना
6. पहचाने गए मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करना और समस्या के समाधान के लिए लोगों को संगठित करना
7. ग्राम सभा तथा अन्य सार्वजनिक सभाओं में विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना
8. निगरानी समिति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना

10.6 राजकोषीय हस्तांतरण और शक्तियों का हस्तांतरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जी में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है ताकि वे स्व-शासन

की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें और ऐसे कानून में इसके लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण; और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, 'पंचायत' राज्य का विषय है। सतत विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास के लिए पंचायतों को शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों का हस्तांतरण आवश्यक माना जाता है।

10.7 राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्यों का गतिविधि मानचित्रण

10.7.1 प्रभावी हस्तांतरण के लिए स्थानीय सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए कार्यों का स्पष्ट चित्रण होना चाहिए। विभिन्न स्तरों की पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता श्गतिविधि मानचित्रणश द्वारा प्रदान की जाती है, जो पंचायतों को कार्यों के हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

10.7.2 गतिविधि मानचित्रण का अर्थ सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक जवाबदेही के स्पष्ट सिद्धांतों के आधार पर विषयों या क्षेत्रों को अलग करना और विभिन्न गतिविधियों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर सौंपना और सबसे ऊपर, सहायकता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नागरिक-केंद्रितता के शासन सिद्धांत है।

10.8 एमओपीआर द्वारा नई पहल:

10.8.1 गतिविधि मानचित्रण के लिए डैशबोर्ड

पंचायती राज मंत्रालय ने भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के सभी संभावित पहलुओं को शामिल करते हुए गतिविधि मानचित्रण का एक सांकेतिक प्रारूप तैयार किया है। मंत्रालय की एनआईसी टीम ने उस सांकेतिक प्रारूप का उपयोग करके गतिविधि मैपिंग के लिए डैशबोर्ड का प्री-लॉन्च संस्करण तैयार किया है। इसके अप्रैल, 2024 तक लॉन्च होने की संभावना है।

10.8.2 एसडीजी 16.3 का सामुदायिक मध्यस्थता/ स्थानीयकरण

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने श्री एस.एम. विजयानंद, पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार की अध्यक्षता में न्याय तक पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच में असमानताओं को कम करने के लिए नीति और परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ''सामुदायिक मध्यस्थता/एसडीजी 16.3 का स्थानीयकरण'' विषय पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति को देश में न्याय वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं और क्षमता के बीच भारी अंतर को पाटने के लिए एक प्रणाली के रूप में ''सामुदायिक मध्यस्थता'' विषय पर अपनी सिफारिशें प्रदान करने का काम सौंपा गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 20.10.2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वितरित की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में 'जन केंद्रित न्याय प्रणाली' को अपनाने की दिशा में उपयुक्त कार्यान्वयन प्रणाली तैयार करने के लिए अपने राज्यों के सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ रिपोर्ट साझा करें।

केंद्रीय वित्त आयोग-राजकोषीय हस्तांतरण

अध्याय 11

केंद्रीय वित्त आयोग-राजकोषीय हस्तांतरण

11.1 राज्यों में पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को करों के साथ-साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान साझा करने की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है।

11.2 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 280(3) (बीबी) में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर सिफारिशें करेगा।"

11.3 संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद, दसवें वित्त आयोग से शुरू होकर केंद्रीय वित्त आयोग, इन संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार पंचायतों को अवार्ड देने की सिफारिश कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय को पंचायतों/आरएलबी को केंद्रीय वित्त आयोग के राजकोषीय हस्तांतरण के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के साथ-साथ निगरानी करने का अधिकार भी है।

11.4 केंद्रीय पंद्रहवां वित्त आयोग (XV FC) (अवधि 2020.26)

11.4.1. केंद्रीय पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) ने दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, अर्थात् 2020-2021 के लिए अंतरिम रिपोर्ट और 2021-2026 के लिए अंतिम रिपोर्ट। आरएलबी को 15वें वित्त आयोग अनुदान की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 14वें वित्त आयोग द्वारा गैर-भाग प राज्यों में पहले से शामिल न किए गए क्षेत्रों और ब्लॉक और जिला पंचायतों के स्तरों सहित राज्यों में सभी स्तरों की पंचायतों/आरएलबी को अनुदान आवंटित किया गया था।
- पिछले 14वें वित्त आयोग (200292 करोड़ रुपये से 297555 करोड़ रुपये) की तुलना में पंचायतों/आरएलबी को उच्च स्तर का अनुदान (48.56% वृद्धि) आवंटित किया गया था।
- राष्ट्रीय केंद्रीत क्षेत्रों पर जोर देने के लिए बद्ध अनुदान और स्वास्थ्य अनुदान का पृथक्करण।
- पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए खातों के डिजिटलीकरण और पंचायतों/आरएलबी की लेखापरीक्षा के लिए जारी अनुदान को टैग करना
- राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के विधिवत गठन और पंचायत वित्त के पूरक की दिशा में राज्यों द्वारा उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर जोर।

11.4.2 पंचायतों/आरएलबी को 15वें वित्त आयोग अनुदान की विभिन्न श्रेणियों की मुख्य विशेषताएं आगे दी गई हैं:

क्र.सं.	अनुदान का प्रकार	आवंटन	उपयोग के लिए क्षेत्र	कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय
1.	सामान्य (अबद्ध) अनुदान	अवधि (2020-21)-50% अवधि (2021-26)–40%	वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत महसूस की गई आवश्यकताएं	एमओपीआर
2.	बद्ध अनुदान	अवधि(2020-21)-50% अवधि(2021-26)-60%	पेयजल एवं स्वच्छता/ओडीएफ के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले फोकस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 50% का उपयोग किया जाना है। (पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण एवं स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति का रखरखाव)। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी को पूरी तरह से संतृप्त कर लिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा को पर्यवेक्षण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि प्रमाणित करनी होगी।	डीडीडब्ल्यूएस (जल शक्ति मंत्रालय)एवं एमओपीआर
3.	स्वास्थ्य अनुदान	अवधि (2021-26) - 70,051 करोड़ रु. स्थानीय निकायों के लिए जिसमें से पंचायतों/ आरएलबी के लिए 43,928 करोड़ रूपये	स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

11.4.3 अनुदान का आवंटन और वितरण:

क. वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग का कुल आवंटन 60,750 करोड़ रूपये और 2021-2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रूपये है। राज्यों के बीच कुल अनुदान का परस्पर वितरण जनसंख्या के लिए 90:10 के अनुपात पर आधारित था।

ख. अंतर-स्तरीय वितरण का निर्णय राज्यों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप किया जाएगा:

- गांव/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85%
- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25%
- जिला/जिला पंचायतों के लिए 5-15%
- केवल ग्राम और जिला पंचायतों वाली द्वि-स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में, वितरण गांव/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला/जिला पंचायतों के लिए 15-30% के बैंड में होगा।

ग. अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार होगा।

बहिष्कृत (शामिल न किये गये) क्षेत्र में पारंपरिक निकायों के लिए, वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में होगा। राज्यवार अंतर-स्तरीय वितरण मानदंडों का विवरण अनुबंध VI में दिया गया है।

11.4.4 पंद्रहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देश दस्तावेज।

दस्तावेज / दिशा-निर्देश	यूआरएल
''स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना'' 15वें वित्त आयोग अंतिम रिपोर्ट का अध्याय 7	https://panchayat.gov.in/finance-commission/central-finance-commissions-reports-related-to-rural-local-bodies-rlbs/
"ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन" पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश	https://panchayat.gov.in/notice/ministry-of-finances-operational-guidelines-for-central-finance-commission-rlbs-grants/
"कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक प्रकृति जो 15वें वित्त आयोग अबद्ध अनुदान के साथ आरएलबी द्वारा शुरू की जा सकती है" पर एमओपीआर दिशानिर्देश	https://panchayat.gov.in/document-category/advisories-issued-by-ministry-of-panchayati-raj-on-cfc-grants/

11.4.5. राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का राज्य/वर्षवार आवंटन और रिलीज का विवरण अनुबंध VII में दिया गया है।

31.03.2024 तक केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के आवंटन और रिलीज के लिए डेटा चार्ट।

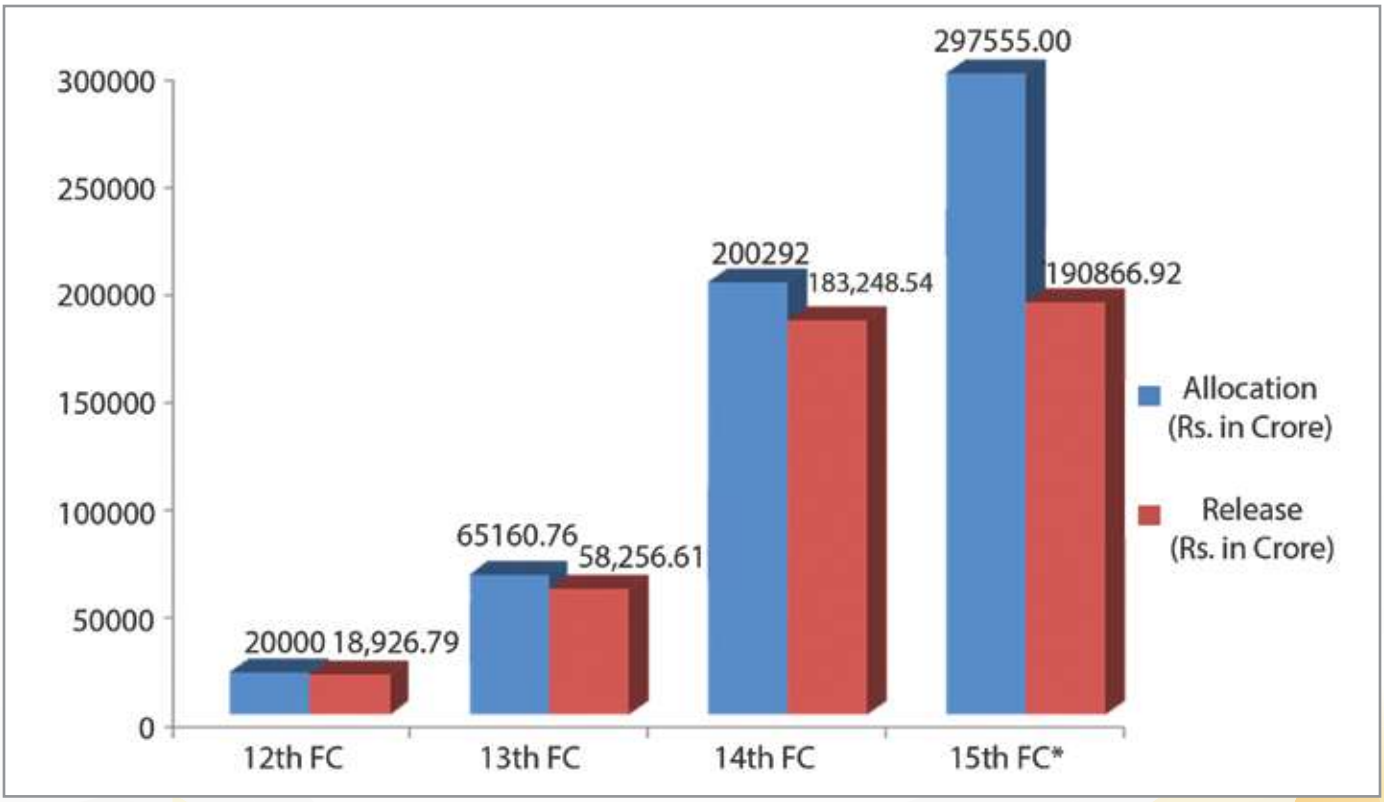

*15वें वित्त आयोग का अनुदान वित्त वर्ष *2023-24* के लिए अभी भी जारी किया जा रहा है तथा वित्त वर्ष *2024-25* और *2025-26* के लिए जारी किया जाना है।

31.03.2024 तक राज्यों में आरएलबी को 15वें वित्त आयोग अनुदान के वर्षवार आवंटन और रिलीज के लिए डेटा चार्ट।

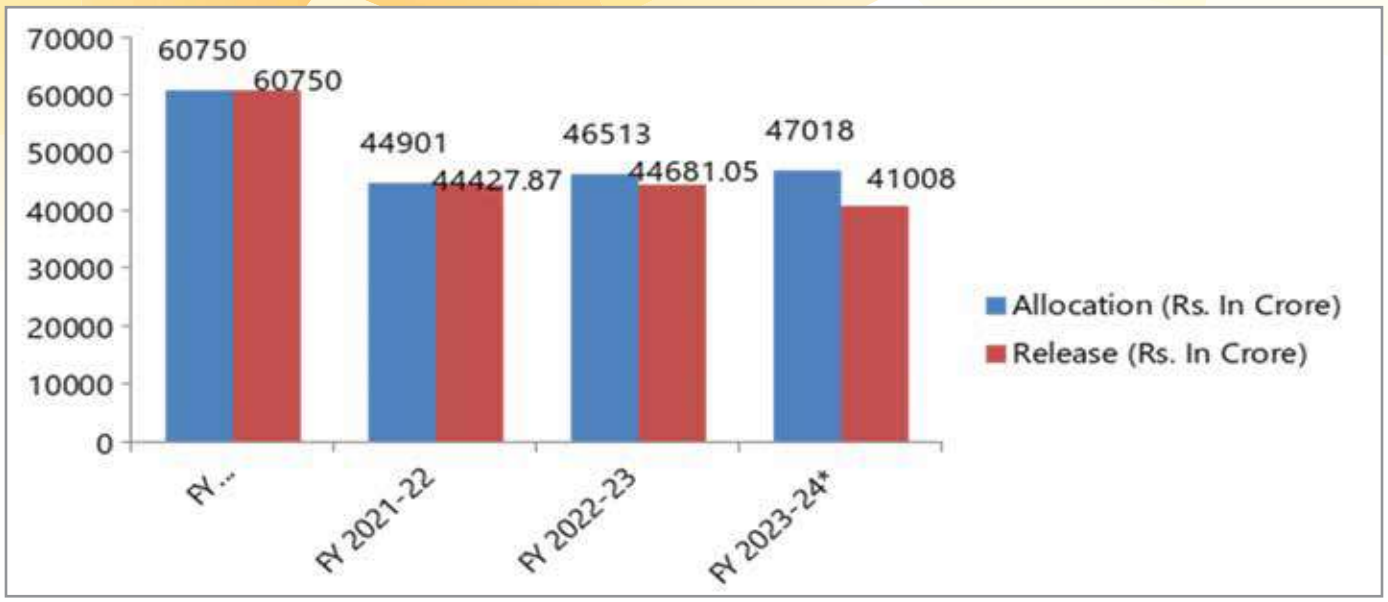

*वित्त वर्ष *2023-24* के लिए *15*वें वित्त आयोग का अनुदान अभी भी जारी किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त आयोग के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन का डेटा चार्ट

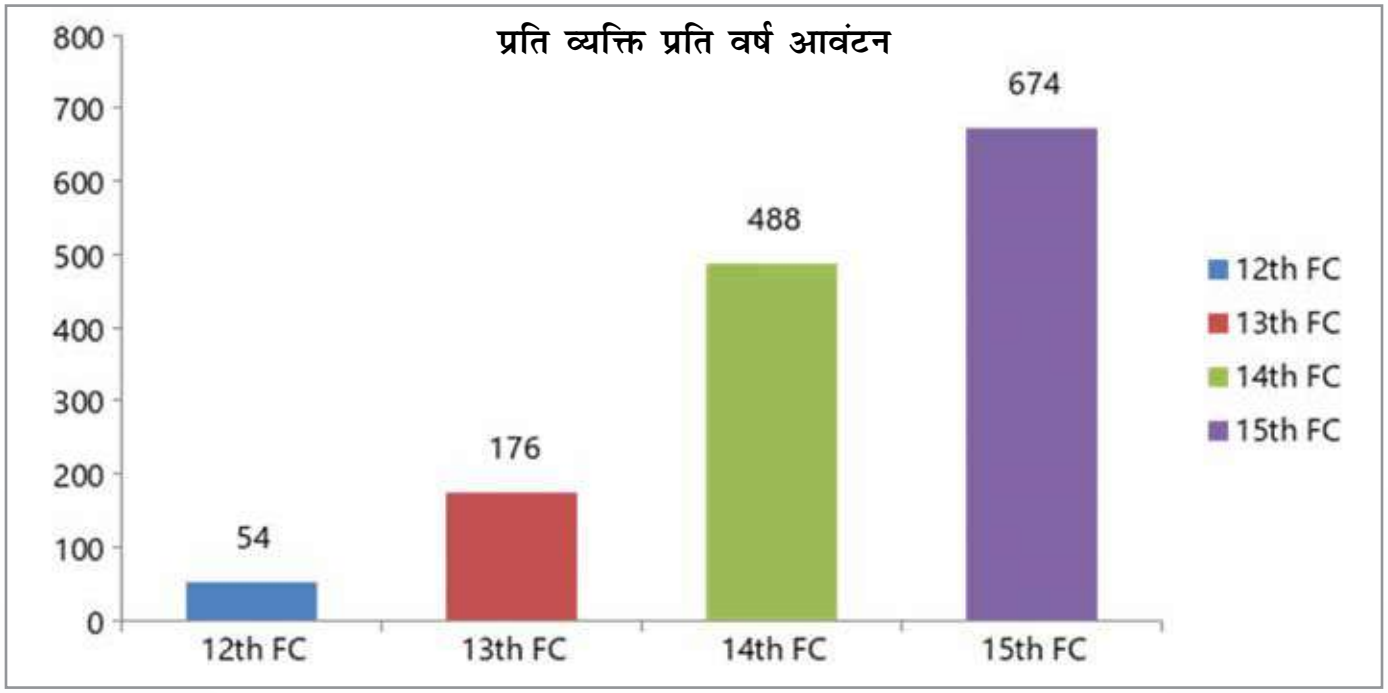

11.5 पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों की रिलीज और उपयोग की निगरानी

15वें वित्त आयोग के अनुदानों की समय पर रिलीज और उपयोग की निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

क. नियमित रूप से अनुदान जारी करने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता/क्षमता निर्माण हेतु राज्यों के साथ नियमित बैठकें और संवाद।

ख. 'ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस)' के ऑनलाइन पोर्टल

का प्रावधान, जो राज्य द्वारा पंचायतों/आरएलबी को जारी किए गए सभी 15वें वित्त आयोग के धन के साथ-साथ पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतानों पर नजर रखता है।

ग. वित्त आयोग अनुदान से निर्मित सभी भौतिक परिसंपत्तियों की मोबाइल ऐप - एम-एन-एक्शन सॉफ्ट के साथ जियो-टैगिंग।

घ. समय पर वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायतों/आरएलबी के वार्षिक खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा सक्षम करना।

ङ. पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने तथा राज्यों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग समन्वय समिति का गठन किया गया।

11.6 राज्य वित्त आयोग

1. संविधान के अनुच्छेद 243-आई में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के गठन का प्रावधान है, जिनके पास राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय को राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने की सिफारिश करने का कार्य होगा तथा पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस को पंचायतों के वित्त में सुधार के लिए उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों और राज्य स्तरीय अनुदानों के रूप में उपयोग करने की सिफारिश करना होगा।

2. वित्त वर्ष 2024-25 से 15वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के उचित गठन और कार्यान्वयन की पात्रता शर्त के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय इस मानदंड को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है। इन प्रयासों के कारण, कई राज्यों ने इसके लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

3. राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के गठन की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	अंतिम गठित एसएफसी
1.	असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु	VI
2.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड	V
3.	छत्तीसगढ़, मणिपुर	IV
4.	गोवा, गुजरात	III
5.	अरुणाचल प्रदेश	II
6.	तेलंगाना	I

11.7 आरएलबी को राजकोषीय हस्तांतरण पर पंचायती राज मंत्रालय की पहल

1. ईजी-एस और ऑडिट ऑनलाइन पर पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों के साथ एक दिवसीय परामर्श बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

2. आरएलबी के 'स्वयं के राजस्व स्रोत' पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सलाह।

3. ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान पर टास्क फोर्स: ग्रामीण स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण ढांचे के विकास के लिए विचार किए जाने वाले प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने और तदनुसार अगले (16वें) वित्त आयोग को उपयुक्त सुझाव देने के लिए, जिसे शीघ्र ही गठित किया जाएगा, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए टास्क फोर्स की अब तक 7 बैठकें हो चुकी हैं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट की तैयारी, जो कि अग्रिम चरण में है, को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता प्रदान की जा रही है।

11.8 ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि

1. ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) पर विशेषज्ञ समिति की प्रकाशित और सुलभ रिपोर्ट अब पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें राज्यों को अ. शा. पत्र के माध्यम से भेज दी गई हैं।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) में एक व्यापक एक दिवसीय हितधारक परामर्शी बैठक आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के स्वयं के राजस्व स्रोत को बढ़ाने पर केंद्रित व्यावहारिक चर्चा को बढ़ावा मिला।

4. गैर-कर स्रोतों के माध्यम से स्वयं के राजस्व स्रोत को बढ़ाने के लिए एक मॉडल तैयार करने का आधारभूत कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जो वृद्धि प्रक्रिया के लिए समर्पित प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

11.9. ग्राम ऊर्जा स्वराज

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में श्ग्राम ऊर्जा 'स्वराज' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। श्ग्राम ऊर्जा स्वराजश का यह दृष्टिकोण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकेतकों को एक साथ समायोजित करने का एक अनूठा प्रयास है।

ग्राम पंचायत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा हस्तक्षेपों/कार्यों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए वित्तीय तंत्र, सौर ऊर्जा कार्यान्वयन में विशेषज्ञता और व्यापक परियोजना समर्थन को सुविधाजनक बनाना है।

गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ सहभागिता: पंचायती राज मंत्रालय, एमएनआरई की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई के साथ निरंतर चर्चा में शामिल रहा है।

11.10 पंचायती राज संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात, मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को माननीय ग्रामीण

विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी किया गया तथा राज्यों के साथ साझा किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए इस पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित/तैयार करेगा।

पीआरआई के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन बढ़ाना है, जिसमें गांव से लेकर जिला पंचायत स्तर तक समुदाय आधारित योजना पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं, खतरे का जोखिम भेद्यता आकलन, बाढ़ के मैदानों के क्षेत्रीकरण के लिए सिफारिशें शामिल हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रयासों को संरेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पहाड़ी राज्यों को अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में सलाह जारी की है और स्थानीय जलवायु कार्य योजनाओं और संशोधित राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कारों में एक विशेष श्रेणी के माध्यम से कार्बन तटस्थता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय आपदा जोखिम लचीलेपन पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण पर एक संयुक्त कार्यक्रम के लिए एनडीएमए के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

11.11 ई-ग्राम स्वराज GeM इंटरफेस

ई-ग्राम स्वराज (GeM) जेम इंटरफेस को माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। इस इंटरफेस ने सभी पंचायतों को (GeM) जेम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करने और ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से निर्बाध तरीके से योजनाएँ/भुगतान करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। एकीकरण से ग्रामीण मांग और आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि राज्य स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं आदि को (GeM) जेम में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायतों को भी लाभ होगा क्योंकि उनकी सभी खरीद पारदर्शी होगी और मानकीकृत दरों पर की जाएगी। वर्तमान में इस इंटरफेस को भारत भर में 22 राज्यों' द्वारा अपनाया गया है, तथा 88050* से अधिक पंचायतें पहले से ही इस इंटरफेस पर पंजीकृत हैं (*31 मार्च 2024 तक)।

ऑडिटऑनलाइन के लिए डैशबोड

11.12 ऑडिट ऑनलाइन

15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकाय स्तर पर लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की है। इस महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का समाधान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए 15 अप्रैल, 2020 को ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया - जिससे पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को और मजबूती मिली। ऑडिटऑनलाइन को पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए एक मंच प्रदान करने और जवाबदेही और पारदर्शिता को और बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित/तैयार किया गया था। ऑडिटऑनलाइन न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि किए गए ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान करता है। यह एप्लीकेशन ईग्राम स्वराज के अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ एकीकृत है, जिसके माध्यम से ऑडिटर पंचायत खातों से संबंधित विभिन्न जानकारी जैसे वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान विवरण, समेकित सार रजिस्टर, मासिक समाधान विवरण, वाउचर विवरण, कैश बुक रिपोर्ट आदि तक पहुँच सकते हैं। ऑडिटऑनलाइन का एक मुख्य अनूठा पहलू यह है कि यह पूरी तरह से कॉन्फिगर करने योग्य एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन को राज्यों की ऑडिट प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार संशोधित/कॉन्फिगर किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान के लिए पात्र होने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करनी होंगी:

i) वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25% ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हों, अर्थात क्रमशः 2019-20 और 2020-21।

ii) वर्ष 2023-24 से आगे, सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को पिछले वर्ष अर्थात 2022-23 के लेखापरीक्षित खातों को सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

ऑडिटऑनलाइन पर वर्तमान स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
पंजीकृत लेखा परीक्षकों की संख्या	10,662	10,662	10,662	10,662
पंजीकृत लेखापरीक्षितियों की संख्या'	2,61,642	2,60,616	2,62,209	2,59,850
तैयार लेखापरीक्षा योजनाओं की संख्या	1,44,662	2,44,479	2,55,944	2,33,118
दर्ज किए गए प्रेक्षणों की संख्या	12,59,202	22,25,778	24,58,995	18,77,955
तैयार की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट (लक्ष्य)	63,976	70,161	2,74,164	2,74,177
तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट	1,30,464	2,24,743	2,54,109 (93%)	1,69,788 (62%)

(*पंचायती राज संस्थाएँ - जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत)
**राज्य वर्तमान में वर्ष *2022-23* के खातों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में हैं।
लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2021-22 और *2022-23* के लिए राज्यवार प्रगति **अनुबंध VIII(क)** और **अनुबंध VIII(ख)** में दी गई है।

ऑडिटऑनलाइन पर वर्तमान स्थिति का डेटा चार्ट

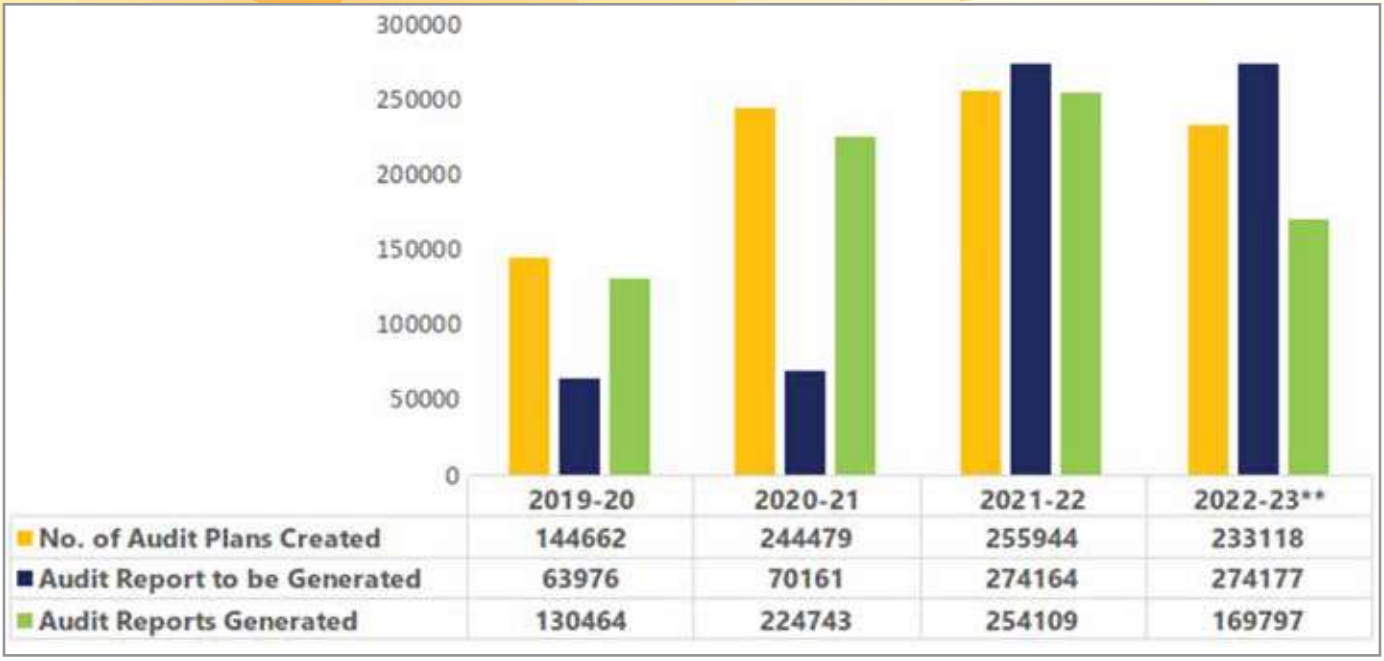

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23**
No. of Audit Plans Created	144662	244479	255944	233118
Audit Report to be Generated	63976	70161	274164	274177
Audit Reports Generated	130464	224743	254109	169797

*राज्य वर्तमान में वर्ष *2022–23* के खातों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में हैं

ऑडिटऑनलाइन के लाभ

- लेखा प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार
- वित्तीय प्रबंधन का सशक्तिकरण और पंचायतों की विश्विसनीयता छवि में सुधार
- कागज आधारित प्रणाली से कंप्यूटर आधारित प्रणाली में परिवर्तन
- अंकेक्षित खातों की समय पर उपलब्धता (15 वें वित्त आयोग में अपेक्षित)

जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को और मजबूत करते हुए, मंत्रालय ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल को शामिल करके ऑनलाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में अधिक संरचित परिणति लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी विकसित की है। ऐसे एटीआर मॉड्यूल का उद्देश्य ऑडिट टिप्पणियों के विरुद्ध पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर स्पष्टता के माध्यम से जवाबदेही लाना है। ऑडिट टिप्पणियों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल न केवल जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगा कि धन का उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। यह भी परिकल्पना

की गई है कि राज्य पंचायत अनंतिम खातों के लिए ऑडिट प्रक्रिया को दिए गए वित्तीय वर्ष में पूरा होते ही तेज कर देंगे और ऑडिट प्रक्रिया जल्द ही अगले वर्ष में शुरू हो जाएगी; और राज्यों से ऑडिट पूरा करने की उम्मीद की जाएगी। इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मानकीकृत लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के कार्यालय ने वर्ष 2021 में "पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश" जारी किए थे। इस दिशानिर्देश को वित्तीय/प्रमाणन लेखापरीक्षा प्रक्रिया और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, क्योंकि ये 'अनुपालन' और 'प्रदर्शन' लेखापरीक्षा से अलग हैं। साथ ही, ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय लेखापरीक्षा और खातों की संरचना के ढांचे को समाहित करते हैं। सीएजी कार्यालय ने दिशानिर्देश में ऑडिटऑनलाइन में शामिल किए जाने के लिए एक "मानकीकृत लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र" भी निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 से आगे, संबंधित प्राथमिक लेखापरीक्षक, यानी राज्य लेखापरीक्षा विभाग, राज्य निदेशालय स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, राज्य महालेखाकार इस मानकीकृत लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संलग्न रिपोर्ट और संबंधित पीआरआई की प्राप्ति और भुगतान विवरण के साथ तैयार करेंगे। इससे लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विवरण की एकरूपता सुनिश्चित होगी जो दर्ज की जा रही टिप्पणियों की प्रकृति पर स्पष्टता के साथ तैयार की जाती है।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की टांडा ग्राम पंचायत ने केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग करके एक आदर्श शौचालय का निर्माण किया है।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन

अध्याय 12

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन

संविधान के भाग IX की पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में प्रयोज्यता पर संवैधानिक प्रावधान

12.1.1 संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ-साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में "अनुसूचित क्षेत्र" कहे जाने वाले कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 243एम (1) अनुच्छेद 244 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के लागू होने से छूट देता है। तथापि, अनुच्छेद 243एम (4) (बी) संसद को कानून बनाने और भाग IX के प्रावधानों को खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि ऐसे कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसा कोई कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।

12.1.2: 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243एम (4) (बी) के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर इसकी प्रयोज्यता के लिए "पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996" (पीईएसए) अधिनियमित किया।

12.2: पेसा अधिनियम, 1996 संविधान के भाग IX को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अधिसूचित पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। वर्तमान में, पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं। अधिसूचित पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों (एफएसए) का विवरण नीचे तालिका 12.1 में दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	गाँव	पंचायत	ब्लॉक	जिला	
					पूर्ण रूप से कवर	आंशिक रूप से कवर.
1.	आंध्र प्रदेश	1,586	588	36	0	5
2.	छत्तीसगढ़	9,977	5050	85	13	6
3.	गुजरात	4,503	2388	40	4	7
4.	हिमाचल प्रदेश	806	151	7	2	1
5.	झारखंड	16,022	2074	131	13	3
6.	मध्य प्रदेश	11,784	5211	89	5	15
7.	महाराष्ट्र	5,905	2835	59	0	12
8.	ओडिशा	19,311	1918	119	6	7

9.	राजस्थान	5,054	1194	26	2	3
10.	तेलंगाना	2,616	631	72	0	4
	कुल	**77,564**	**22040**	**664**	**45**	**63**

स्रोत: राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

12.3 संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय स्वायत्तता को बनाए रखने तथा पर्वतीय जनजातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिलों के निर्माण का प्रावधान है।

12.4 पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

12.4.1 ग्राम सभा को विशेष शक्तियां: प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी। एक गांव में एक या एक से अधिक बस्तियां या गांव हो सकते हैं, जिसमें एक समुदाय शामिल हो और परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करे [धारा 4 (बी)]। (भाग IX में, ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचक मिलकर एक ग्राम सभा का गठन करते हैं)

12.4.2 ग्राम सभा निम्नलिखित की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ''सक्षम'' है-

(क) लोगों की परंपराएँ और रीति-रिवाज, तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान,

(ख) सामुदायिक संसाधन, और

(ग विवाद समाधान का प्रथागत तरीका [धारा 4(डी)]

12.4.3 ग्राम सभा के पास निम्नलिखित अनिवार्य कार्यकारी कार्य हैं:

(i) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को मंजूरी देना [धारा 4(ई)(i)]

(ii) गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना [धारा 4(ई)(ii)]

(iii) उपरोक्त खंड (ई) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र जारी करना [धारा 4(एफ)]

12.4.4 उचित स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को विशेष शक्तियां

(i) भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार [धारा 4(आई)]

(ii) उपयुक्त स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का काम सौंपा जाता है [धारा 4(जे)]

(iii) खदानों और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस/पट्टे, रियायतों के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत द्वारा अनिवार्य सिफारिशें [धारा 4(के), (एल)]

12.4.5 ग्राम सभा और पंचायत को निम्नलिखित उचित स्तर पर शक्तियां प्रदान की गई

- मादक पदार्थों की बिक्री/उपभोग को विनियमित करना [धारा 4 (एम) (i)]
- लघु वन उपज का स्वामित्व [धारा 4 (एम) (ii)]
- भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को बहाल करना [धारा 4 (एम) (iii)]
- गांव के बाजारों का प्रबंधन करना [धारा 4 (एम) (iv)]
- अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण [धारा 4 (एम) (v)]
- सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं और पदाधिकारियों, आदिवासी उप-योजनाओं और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण [धारा 4 (एम) (vi) और (vii)]

12.5 संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित आभासी 'ग्राम गणराज्यों' की स्थापना के बारे में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा अधि नियम में शामिल किया गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से आदिवासी आबादी को निम्नलिखित लाभ होंगे:

(i) स्वशासन को संस्थागत बनाना तथा निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। गांव (बस्तियों या बस्तियों के समूह/बस्तियों या बस्तियों के समूह) स्तर पर ग्राम सभा को अधिसूचित करके, लोग गांव के शासन में भाग लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव को कम करना, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से गांव में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका नियंत्रण होगा।

(iii) आदिवासी आबादी के बीच अलगाव और आक्रोश को कम करने से प्रभावित जिलों में वामपंथी उग्रवाद को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(iv) आदिवासी आबादी के बीच गरीबी और पलायन को कम करना, क्योंकि उनके पास छोटे जल निकायों, लघु वन उत्पादों, लघु खनिजों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा। इन संसाधनों पर नियंत्रण और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा।

(v) आदिवासी आबादी का शोषण कम करना, क्योंकि वे धन उधार, शराब की खपत और बिक्री और गांव के बाजारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम होंगे।

(vi) अवैध भूमि अलगाव की जाँच करें और अवैध रूप से अलग की गई आदिवासी भूमि को भी बहाल करें। इससे न केवल संघर्ष में कमी आएगी बल्कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

(vii) योजना बनाने और लाभार्थियों की पहचान करने में लोगों की भागीदारी बढ़ने के कारण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों पर बेहतर क्रियान्वयन होगा।

(viii) सामाजिक क्षेत्र के पदाधिकारियों पर नियंत्रण और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति के कारण स्थानीय प्रशासन अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

(ix) आदिवासी आबादी की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।

पेसा अधिनियम अनुबंध-IX में दिया गया है।

12.6 राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति

राजस्थान को छोड़कर नौ पेसा राज्यों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पेसा 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है। दसवें राज्य, राजस्थान ने "राजस्थान पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग में प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 1999" को अधिसूचित किया है। वर्तमान में, आठ पेसा राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने पेसा नियम बनाए हैं और दो राज्यों अर्थात् उड़ीसा और झारखंड ने अपने पेसा नियमों का मसौदा तैयार किया है। सभी राज्यों ने कार्रवाई की है और पंचायती राज अधि नियमों और उनके कुछ विषय कानूनों को PESA के अनुरूप बनाया है। राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, विषय कानूनों और पंचायती राज अधिनियमों के PESA के अनुपालन की स्थिति आगे दी गई तालिका 12.2 और तालिका 12.3 में दी गई है।

तालिका 12.2 (31.3.2024 तक)

पेसा के साथ महत्वपूर्ण विषय कानूनों का अनुपालन

पेसा राज्य	भूमि अधि ग्रहण	उत्पाद शुल्क	लघु वनोपज	खान एवं खनिज	कृषि उपज बाजार	धन की उधारी
आंध्र प्रदेश*	N	N	N	N	N	N
छत्तीसगढ	Y	Y	N	Y	Y	Y
गुजरात	Y	Y	Y	Y	Y	Y
हिमाचल प्रदेश	Y	Y	Y	Y	N	N
झारखंड	N	N	Y**	N	N	N
ओडिशा	N	Y	Y	Y	N	N
महाराष्ट्र	Y	N	Y	Y	N	Y
मध्य प्रदेश	Y	Y	N	Y	Y	N
राजस्थान	N	N	N	Y	N	N
तेलंगाना	N	N	N	N	N	N

स्रोत: राज्यों से एकत्रित आंकड़ों/राज्यों के आधिकारिक वेब पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

* आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित कानून में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

** झारखंड सरकार ने 8.2.2007 को एक संकल्प पारित कर लघु वनोपज पर ग्राम पंचायत को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया है।

तालिका 12.3 (31.3.2024 तक)

पेसा राज्य	पेसा की धारा 4 के अंतर्गत प्रावधान														
									धारा-4(एम) के उप-खंड						
	(घ) (ग्राम सभा द्वारा संघर्ष समाधान का प्रथागत तरीका)	(ङ) (ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम लाभार्थियों का चयन)	(च) ग्राम सभा से जीपी को चूसी प्राप्त करना होगा	(ज) (मध्यवर्ती एवं जिला पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न करने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का राज्य सरकार द्वारा नामांकन)	(झ) (भूमि अधिग्रहण और पुन:स्थापना एवं पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था से परामर्श)	(ञ) (ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा जल निकायों की योजना और प्रबंधन)	(ट) (पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा अनुशंसा)	(ठ) (लघु खनिजों के दोहन से पूर्व ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था की अनुशंसा)	(i) (मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध)	(ii) (स्वयं एमएफपी)	(iii) (भूमि हस्तांतरण को रोकना)	(iv) (गांव के बाजारों का प्रबंधन)	(v) (धन उधार पर नियंत्रण)	(vi) (सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण)	(vii) (टीएसपी सहित योजनाओं पर नियंत्रण)
आंध्र प्रदेश*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
छत्तीसगढ़	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
गुजरात	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
हिमाचल प्रदेश	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
झारखंड	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y
ओडिशा	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
महाराष्ट्र	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
मध्य प्रदेश	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y
राजस्थान	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
तेलंगाना	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

स्रोत: राज्यों से एकत्रित आंकड़ों/राज्यों के आधिकारिक वेब पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

'हाँ' यह दर्शाता है कि प्रावधान को पेसा के अनुरूप बनाया गया है।

'नहीं' दर्शाता है कि कार्य अभी पूरा होना बाकी है।

तालिका 12.4			
पेसा जिलों का विवरण (पूरी तरह से कवर और आंशिक रूप से कवर)			
क्र.सं.	**पेसा राज्य का नाम**	**पूर्ण रूप से कवर जिलों की संख्या**	**आंशिक रूप से कवर जिलों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	00	05
2.	छत्तीसगढ़	13	06
3.	गुजरात	05	07
4.	हिमाचल प्रदेश	02	01
5.	झारखंड	13	03
6.	मध्य प्रदेश	06	14
7.	महाराष्ट्र	01	12
8.	ओडिशा	06	08
9.	राजस्थान	03	02
10.	तेलंगाना	00	07
	कुल जिले (114)	**49**	**65**

12.7 पंचायती राज मंत्रालय की अन्य पहल

पेसा पर क्षेत्रीय सम्मेलन

वर्ष 2023-24 में, पेसा को मजबूत करने पर दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। पेसा पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 11-12 जनवरी, 2024 को यशदा (पुणे), महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पांच पेसा राज्यों

अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भाग लिया था। पेसा पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च, 2024 को रांची, झारखंड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पाँच पेसा राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना ने भाग लिया था। सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने इन दो क्षेत्रीय

सम्मेलनों का उद्घाटन किया था। इन सम्मेलनों का उद्देश्य पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में पेसा राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना तथा जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना था। इन सम्मेलनों का उद्देश्य पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सतत विकास के लिए पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन को बढ़ाने पर सहभागी राज्यों के बीच सहयोग और चर्चा को बढ़ावा देना भी था। इन सम्मेलनों में 10 पेसा राज्यों के राजस्व, वित्त, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खान, जनजातीय मामले आदि विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी तथा पांच सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

पेसा एक्ट पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में आयोजित किया गया।

पंचायत चुनाव

अध्याय 13

पंचायत चुनाव

13.1 संविधान में पंचायतों के प्रावधान

संविधान के भाग IX में पंचायतों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं:-

(i) 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर पंचायतों के तीन स्तर। (अनुच्छेद 243-बी)

(ii) पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और अधिकारियों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव (अनुच्छेद 243 सी)

(iii) ब्लॉक और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव [अनुच्छेद 243 सी (2)]

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटों में आरक्षण [अनुच्छेद 243 डी (1)]; (अ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सहित महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण [अनुच्छेद 243डी(3)]

(vi) अध्यक्षों के आरक्षित सीटों और पदों का चक्रानुक्रम [अनुच्छेद 243डी(4)]

(vii) प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के लिए चुनाव [अनुच्छेद 243ई]

(viii) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और करों, शुल्कों, टोलों आदि के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोगों [अनुच्छेद 243-I] का गठन करना।

(ix) राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की स्थापना करना और पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनका संचालन करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एसईसी को सौंपना [अनुच्छेद 243के]

13.2 चुनावों का अनिवार्य संचालन:

i. पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रभावी लोकतांत्रिक कामकाज के लिए पंचायत चुनावों का समय पर संचालन एक आवश्यक शर्त है।

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार, प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी कानून के तहत भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच साल तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

iii. पंचायत के गठन के लिए चुनाव पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले या उसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए। संविधान के भाग-IX के तहत आने वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत गठित एक राज्य चुनाव आयोग होगा, जो पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रकार, राज्य चुनाव आयोग समय पर पंचायत चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

13.3 पंचायतों में चुनाव की स्थिति

(i) विलंबित चुनाव: कर्नाटक (बीपी और जेडपी के लिए फरवरी 2021), महाराष्ट्र (बीपी और जेडपी के लिए फरवरी 2022), मणिपुर (सितंबर 2022), लक्षद्वीप (दिसंबर 2022) और पुडुचेरी (2011), असम (दिसंबर 2023), जम्मू एवं कश्मीर (दिसंबर 2023), लद्दाख (दिसंबर 2023), पंजाब (दिसंबर 2023)

(ii) 2024 में चुनाव: तमिलनाडु (2024), तेलंगाना (2024), त्रिपुरा (2024), उत्तराखंड (2024 हरिद्वार को छोड़कर)

(iii) 2025 और उसके बाद के चुनाव: आंध्र प्रदेश (2026), अंडमान और निकोबार द्वीप (2025), अरुणाचल प्रदेश (2025), बिहार (2026), छत्तीसगढ़ (2025), दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (2025), गुजरात (2026), गोवा (2025), हरियाणा (2027), हिमाचल प्रदेश (2026), झारखंड (2027), कर्नाटक (2025, जीपी), केरल (2025), मध्य प्रदेश (2027), ओडिशा (2027), राजस्थान (2025), सिक्किम (2027), उत्तर प्रदेश (2026), पश्चिम बंगाल (2028)।

13.4 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:

i. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243डी, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

ii. मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21 राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

iii. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 243डी में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होगा (अर्थात कुल सीटों का एक तिहाई)।

13.5 नई पहल

खान मंत्रालय के सचिव (सेवानिवृत्त) श्री सुशील कुमार की अध्यक्षता में 19.09.2023 को एक सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसका उद्देश्य महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दों की जांच करना तथा इससे संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करना है। इस समिति का गठन डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 615/2023 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.07.2023 के आदेश के अनुसरण में किया गया है, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा इस मंत्रालय को भेजे गए दिनांक 09.08.2023 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से मांगे गए उपाय पर विचार करने के लिए भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि समिति ने 19 अक्टूबर, 2023 को अपनी पहली बैठक आयोजित की और विभिन्न मुद्दों जैसे कि विषय पर अध्ययन आयोजित करना, सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन करना और सलाहकार समिति के विचारार्थ विषयों के संदर्भ में राज्यों को भेजे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों की सूची तैयार करना पर निर्णय लिया।

स्वामित्व

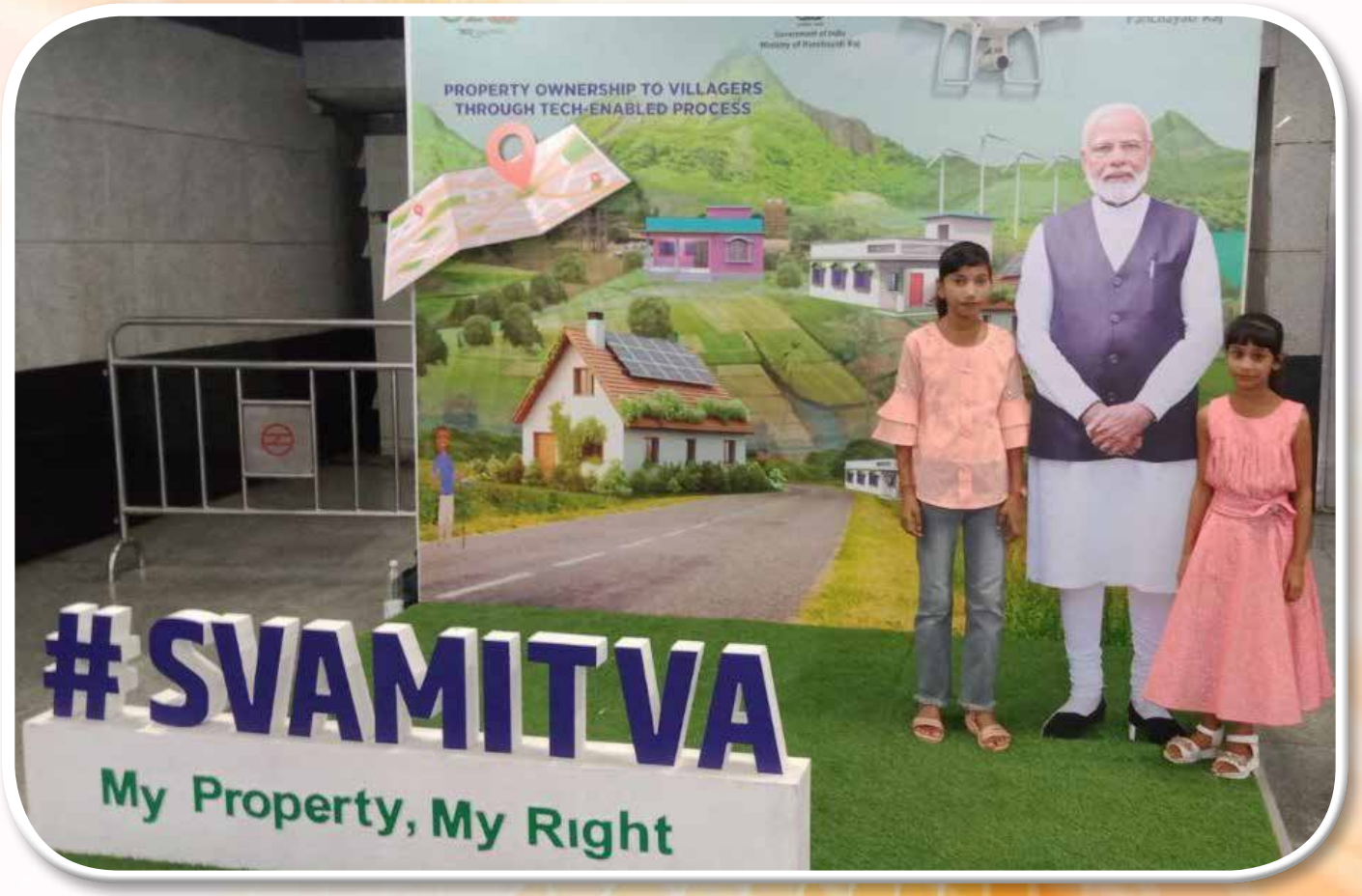
PROPERTY OWNERSHIP TO VILLAGERS
THROUGH TECH-ENABLED PROCESS
#SVAMITVA
My Property, My Right

अध्याय 14

स्वामित्व

14.1 योजना के बारे में:

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य गांवों में आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में घरों के मालिकाना हक वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। पूरा काम पांच साल (वित्त वर्ष 2020-25) की अवधि में पूरा होने की संभावना है। योजना का पायलट चरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किया गया है। इस योजना में 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गाँव शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप में योजना पूरी हो चुकी है।

14.2 योजना की आवश्यकता

भारत में बंदोबस्त और अधिकारों के रिकॉर्ड के लिए ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण कई दशक पहले पूरा हो गया था और इसके अलावा, कई राज्यों में गांवों के आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण/मानचित्रण नहीं किया गया था। इसलिए, कानूनी दस्तावेज के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा स्वीकार्य वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, घरों के मालिकों को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए, लैंड पार्सल के सीमांकन और डिजिटाइज्ड मानचित्रों की तैयारी के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी और निरंतर परिचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) तकनीक का लाभ उठाने की आवश्यकता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 5 सेमी सटीकता के बहुत उच्च-रिजॉल्यूशन वाले हवाई चित्र प्राप्त करने और ड्रोन का उपयोग करके 1: 500 पैमाने पर आबादी के बहुत बड़े पैमाने पर मानचित्र प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है।

14.3 योजना के उद्देश्य

i. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना

ii. ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना

iii. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे जीपी को मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा

iv. सर्वेक्षण बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है

v. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना

14.4 हितधारक:

i. भारत के सभी आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक
ii. ग्राम पंचायत (जीपी)
iii. स्थानीय जिला प्राधिकरण
iv. राज्य राजस्व विभाग
v. राज्य पंचायती राज विभाग
vi. पंचायती राज मंत्रालय (नोडल मंत्रालय), भारत सरकार।
vii. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी)
viii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - जीआईएस प्रभाग

14.4 योजना का क्रियान्वयन प्रक्रिया प्रवाह

1. राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

2. सीओआरएस नेटवर्क साईट

3. ग्रामसभा

4. दीवार लेखन (आईसी)

5. ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना

6. चूना पाउडर से संपत्ति का सीमांकन

7. ड्रोन सर्वे

8. ड्रोन सर्वे डेटा प्रोसेसिंग

9. आकृति निष्कर्षण

10. आकृति प्रक्रिया/विवाद निपटारा

11. संपत्ति कार्ड

14.6 योजना कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2024 तक लगभग 3.04 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है। 1.19 लाख गांवों में 1.85 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनका विवरण तालिका 14.1 में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्षित गांव	ड्रोन उड़ान	तैयार किए गये संपत्ति कार्ड (गांव)	तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7,409
2.	आंध्र प्रदेश	13,364	13,280	1,073	521019
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,484	2,292	0	0
4.	असम	1,074	900	0	0
5.	छत्तीसगढ	15,792	15,792	525	92,194
6.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	80	80	75	4,397
7.	दिल्ली	31	31	0	0
8.	गोवा	410	410	410	672646
9.	गुजरात	13,132	12,895	2,462	403095
10.	हरियाणा	6,260	6,260	6,260	2515646
11.	हिमाचल प्रदेश	15,196	12,942	124	2,737
12.	जम्मू और कश्मीर	4,590	4,127	600	16,000
13.	झारखंड	757	240	0	0
14.	कर्नाटक	30,715	11,111	3,277	961967
15.	केरल	1,415	466	0	0
16.	लद्दाख	232	232	95	2,796
17.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	0	0
18.	मध्य प्रदेश	43,014	43,014	22,870	2886373
19.	महाराष्ट्र	37,819	36,974	12,592	1943394
20.	मणिपुर	3,856	209	0	0
21.	मिजोरम	864	215	9	1,155
22.	ओडिशा	3,054	2,575	43	1,500
23.	पुडुचेरी	96	96	92	2,801
24.	पंजाब	11,718	8,946	92	15,231
25.	राजस्थान	36,901	32,619	6,692	453188
26.	सिक्किम	1	1	0	0
27.	तमिलनाडु	3	3	0	0
28.	तेलंगाना	5	5	0	0
29.	त्रिपुरा	898	1	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	90,908	90,908	54,424	7745529
31.	उत्तराखंड	7,441	7,441	7,441	278229
	कुल	**345,304**	**304,261**	**1,19,297**	**1,85,27,306**

योजना परिपूर्ण

ड्रोन सर्वे परिपूर्ण

14.7. शुरू की गई पहलें

क. स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंकिंग क्षमता पर गोलमेज चर्चा

i. स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंकिंग योग्यता पर एक गोलमेज चर्चा अगस्त 2023 में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बर्ड), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नागरिकों को अपनी संपत्ति को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर उनके लिए वित्तीय स्थिरता लाने के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के विषय विशेषज्ञों और चिकित्सकों, राज्य विभाग, पंजीकरण विभाग के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर ने की और इस दौरान यशदा के महानिदेशक श्री एस. चोकलिंगम और बर्ड के निदेशक श्री निरुपम मेहरोत्रा भी उपस्थित थे।

iii. सम्मेलन के दौरान, निर्णायक स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में संपत्ति कार्ड का उपयोग करने, संपत्ति कार्ड की हस्तांतरणीयता, आबादी भूमि का मूल्यांकन, बैंक वित्त के लिए संपार्श्विक के रूप में संपत्ति कार्ड का उपयोग करने की गुंजाइश, पंजीकरण की आवश्यकता आदि के महत्व को उजागर करने के लिए पैनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के व्यापक क्षेत्र राज्यों में संपत्ति कार्ड के लिए पंजीकरण प्रावधानों, राज्यों में आबादी भूमि पर ऋणभार को नोट करने की प्रक्रिया, आबादी क्षेत्रों में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, आदि से संबंधित थे।

ख. राष्ट्रीय जियोस्मार्ट इंडिया 2023 सम्मेलन

i. 15-16 अक्टूबर, 2023 को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (इसरो) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके बाद पंचायती राज मंत्रालय और भूस्थानिक विश्व के सहयोगात्मक प्रयासों से 17-19 अक्टूबर 2023 को एचआईसीसी, हैदराबाद में जियोस्मार्ट इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया।

ii. सम्मेलन का एजेंडा ज्ञान साझा करने, विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने, प्रभाव आकलन और भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन के लिए संभावित समाधानों पर केंद्रित था। सम्मानित वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से बेहतर भूमि और संपत्ति प्रबंधन के लिए अच्छे भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली है और दो दिनों की अवधि में प्रौद्योगिकी एकीकरण और उन्नति, एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली के लिए मानचित्र से ऐप संक्रमण, एकीकृत कैडस्ट्रे और रजिस्ट्री, डेटा के मूल्य को लाने के लिए सहयोग और जुड़ाव जैसे पहलुओं को शामिल किया गया।

iii. सम्मेलन में लगाई गई प्रदर्शनी में बाजार में विभिन्न संभावित भू-स्थानिक संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपने उत्पादों, उपकरणों और नवीन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी सेवाओं की पेशकश भी जनता के समक्ष प्रदर्शित की।

ग. विकसित भारत संकल्प यात्रा (15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024)

विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो सरकारी योजनाओं की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से देशभर में सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. अगम्य तक पहुंचना - प्रत्येक कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के अधीन पात्र हैं पर अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं।
2. योजनाओं के बारे में सूचना प्रसार और जागरूकता उत्पन्न करना।
3. नागरिकों से सीखना - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से उनकी व्यक्तिगत कहानियों/ अनुभवों के माध्यम से आपात संपर्क।
4. यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण पहुंच के लिए शामिल 16 योजनाओं और कार्यक्रमों में से स्वामित्व योजना शामिल है, जिसके तहत विभिन्न घटनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जैसे IEC अभियान, संपत्ति कार्डों का वितरण नागरिकों के सहभागिता सहित, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन के साथ। 4,219 गांवों में 4.95 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।

घ. ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर पारस्परिक अध्ययन एवं अंतर्क्रियात्मक राष्ट्रीय कार्यशाला (22 एवं 23 फरवरी 2024)

ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना (जीपीएसडीपी) पर रस्परिक अध्ययन एवं अंतर्क्रियात्मक राष्ट्रीय कार्यशाला का अयोजन 22 एवं 23 फरवरी 2024 को भोपाल में किया गया। कार्यशाला के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने संस्थानों, राज्यों, नगर एवं ग्राम निवेश विभागों और ग्राम पंचायतों के साथ 34 ग्राम पंचायतों की तैयार की गई ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर संवाद किया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना तैयार करने वाले संस्थानों, राज्यों, नगर और ग्राम निवेश विभागों और ग्राम पंचायतों के साथ संवाद के माध्यम से तैयार योजनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में सहभागिता से साझी सीख लेना था। इससे ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना से जुड़े कई मुद्दों को समझने में और इसके कार्यान्वयन में सकेंद्रित क्रियान्वयन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

14.8 पुरस्कार एवं सम्मान

ईगवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023: स्वामित्व योजना ने नवाचारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी में गोल्ड अर्वाड जीता, जो अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (क्।त्च्ळ) द्वारा आयोजित किया गया था।

डिजीटेक कॉनक्लेव 2023अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 में डिजीटल रूपांतर ईगवर्नेंस में नवाचारी प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए स्वामित्व योजना को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय को स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन की पहलों के लिए श्इनोवेशन सैंडबॉक्सश प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो 3 जनवरी से 5 जनवरी 2024 के बीच भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (बीआईपीपी), इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद के दूसरे वार्षिक तीन दिवसीय श्पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्सश संगोष्ठी में प्रदान किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग इन द इंडिया जियो स्पेशियल लीडरशिप समिट 2024 में पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका आयोजन भारतीय भूस्थानीय उद्योगों के संघ (AGI) द्वारा 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया था।

14.9 माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा समर्थन

चित्र:माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत तैयार 35 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।

चित्र: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में शिरडी, महाराष्ट्र में स्वामित्व योजना के तहत तैयार संपत्ति कार्ड वितरित किए

14.10 चित्रों में संपत्ति कार्ड वितरण

i. राजस्थान में संपत्ति कार्ड का वितरण

ii. गुजरात में संपत्ति कार्ड का वितरण

iii. लद्दाख में संपत्ति कार्ड का वितरण

iv. महाराष्ट्र में संपत्ति कार्ड का वितरण

v. मिजोरम में संपत्ति कार्ड का वितरण

पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण
(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार)

https://panchayataward.gov.in

अध्याय 15

पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार)

15.1 पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है, जो स्थानीय स्तर पर विकास में उनके प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत है। ये पुरस्कार आमतौर पर प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन प्रदान किए जाते हैं।

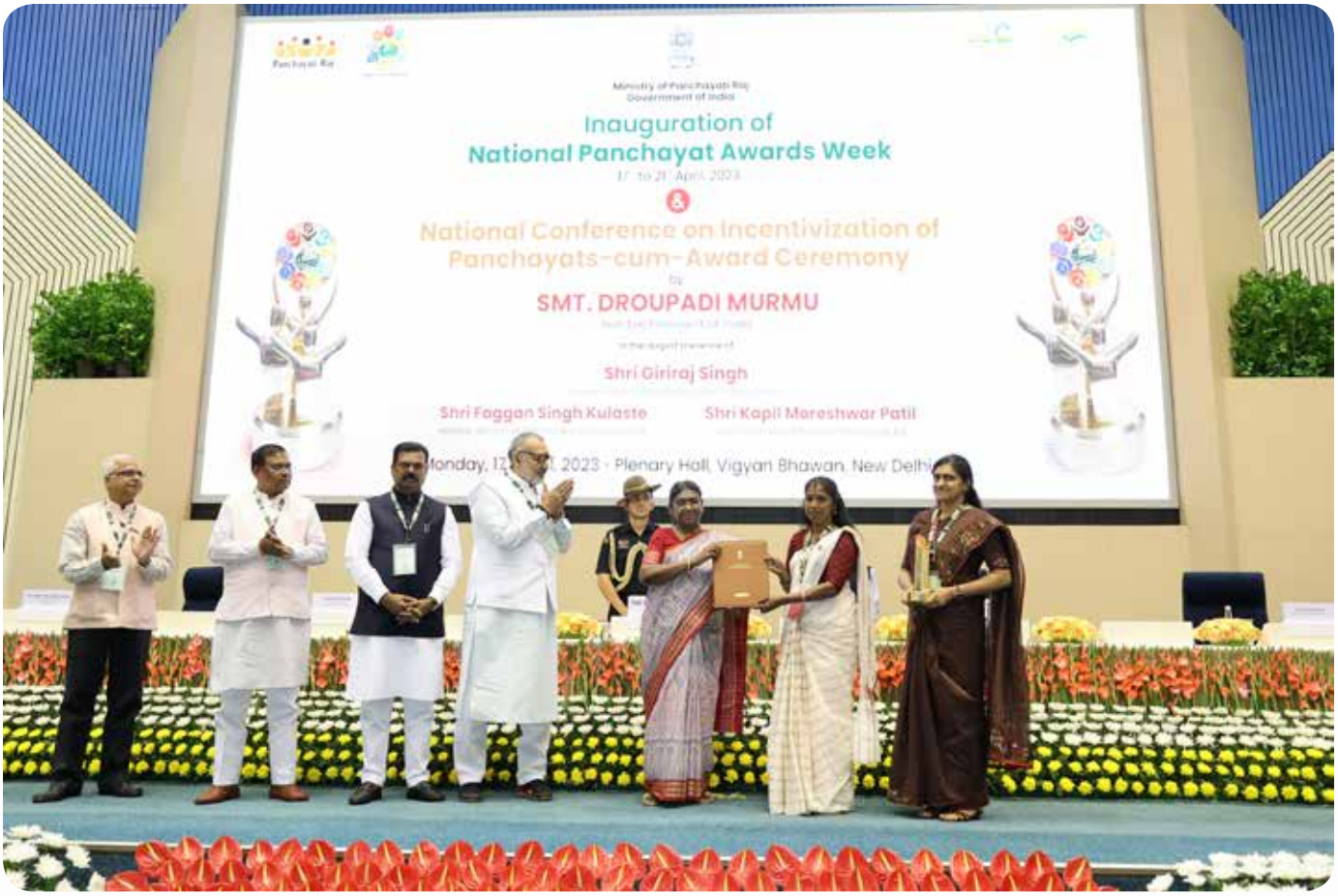

15.2 वर्ष 2030 तक समयबद्ध तरीके से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के प्रति संतृप्ति और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने 17 एसडीजी को 9 एसडीजी स्थानीयकरण (एलएसडीजी) विषयों में शामिल किया है। तदनुसार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2023 से एलएसडीजी के साथ संरेखित करते हुए नया रूप दिया गया है। एनपीए 9 एलएसडीजी आधारित के तहत प्रदान किए जाते हैं, अर्थात् (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका युक्त पंचायत (ii) स्वस्थ

पंचायत (iii) बाल-हितैषी पंचायत (iv) जल-पर्याप्त पंचायत (v) स्वच्छ और हरित पंचायत (vi) पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत (viii) सुशासन वाली पंचायत और (पग) महिला-हितैषी पंचायत।

15.3 9 विषयों के अलावा, पंचायती राज मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को पुरस्कारों की विशेष श्रेणियों जैसे (1) ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन के लिए और (2) कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य के लिए भी प्रदान करता है।

15.4 संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की श्रेणियां और पुरस्कार राशि की मात्रा पंचायतों की विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के अंतर्गत 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि को संशोधित कर 50 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। पंचायतों को देय श्रेणीवार पुरस्कार राशि निम्नलिखित तालिका 12.1 में दी गई है।

तालिका- 15.1

क्र.सं.	श्रेणी	विवरण	पुरस्कार राशि (करोड़ रूपये में)
1.	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसवीपी)	9 पुरस्कार विषयों में से प्रत्येक के अंतर्गत शीर्ष 3 जीपी	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
2.	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी)	सभी विषयों के अंतर्गत उच्चतम औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ जीपी, बीपी और डीपी के लिए	(रैंक के अनुसार: प्रथम; द्वितीय; तृतीय) जीपी: 1.50; 1.25; 1.00 बीपी: 2.00; 1.75; 1.50 डीपी: 5; 3; 2
3.	ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और उनके उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन के लिए 3 ग्राम पंचायतों के लिए	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
4.	कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार	नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में 3 ग्राम पंचायतों के लिए	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
5.	पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार	एलएसडीजी प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान करने वाले 3 संस्थाओं के लिए	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
6.	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार	एक ग्राम पंचायत जो बाद के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करती है और शॉर्टलिस्ट की जाती है	कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं; केवल प्रशंसा प्रमाणपत्र
7.	सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी (राज्य/जिला)	ग्राम पंचायतों की भागीदारी का उच्चतम प्रतिशत (> 90%) वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं; केवल प्रशंसा प्रमाणपत्र

15.5 प्रतियोगिता का स्वरूप

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता ब्लॉक, जिला, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पिरामिडनुमा और बहुस्तरीय होती है। दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए, ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर ऑनलाइन विषयगत प्रश्नावली के 113 प्रश्नों के उत्तर भरती हैं। तदनुसार, शीर्ष 3 रैंकिंग वाली ग्राम पंचायतों/समतुल्य निकायों को संबंधित स्तर पर विषयगत चयन समितियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनकी जांच और मूल्यांकन के बाद उच्च स्तर के लिए नामांकित किया जाता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पंचायतों को प्रेरित करने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार विजेताओं को नकद या वस्तु के रूप में सम्मानित और पुरस्कृत कर सकते हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार और पुरस्कारों की विशेष श्रेणियों को मंत्रालय द्वारा शॉर्टलिस्ट और अंतिम रूप दिया जाता है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे नामांकन के आधार पर चुना जाता है। पुरस्कार पोर्टल पर राज्यों और पंचायतों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध है।

पुरस्कार पोर्टल पंचायतों द्वारा पुरस्कार के लिए आवेदन करने तथा विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ब्लॉक) पर अभिमुखीकरण और प्रश्नावली भरने की निगरानी करने की सुविधा देता है।

15.6 पुरस्कार सम्मान और प्रोत्साहनों का हस्तांतरण

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आमतौर पर माननीय राष्ट्रपति / प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को प्रदान किए जाते हैं, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ था। पुरस्कार राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पुरस्कार विजेता पंचायतों को सीधे प्रमाणित बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है।

15.7 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 (मूल्यांकन वर्ष 2021.22)

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत लगभग 2.48 लाख ग्राम पंचायतें (92.06%) सफलतापूर्वक भाग ले रही हैं, जबकि इससे पहले केवल 20 हजार ग्राम पंचायतें ही भाग लेती थीं। यह उपलब्धि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और पंचायतों के उल्लेखनीय प्रयासों और उनके बीच एलएसडीजी के बारे में जागरूकता को दर्शाती है। इससे यह आकांक्षा पैदा होती है कि देश ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एसडीजी के 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर है।

17 अप्रैल, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 46 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए (42 प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार और 4 केवल प्रमाण पत्र आधारित पुरस्कार। प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या का राज्यवार समेकित विवरण अनुबंध X में दिया गया है।

कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन

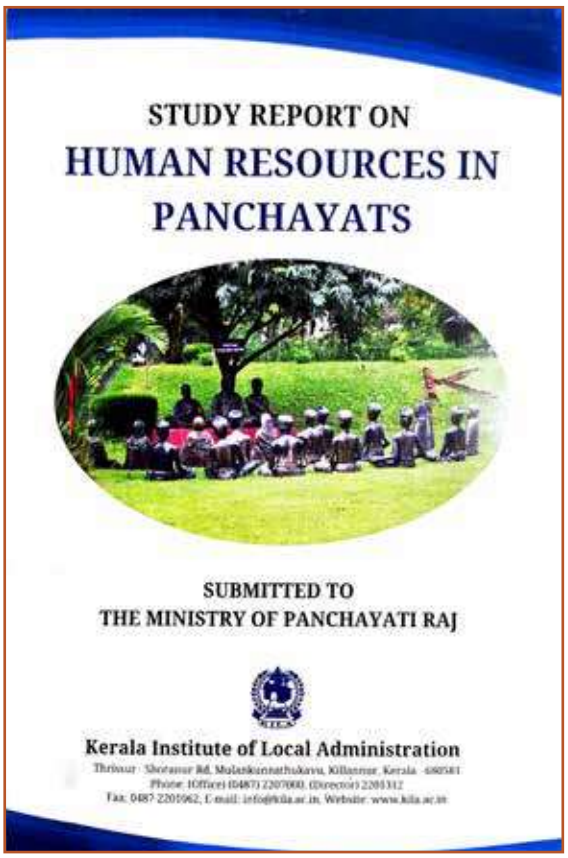

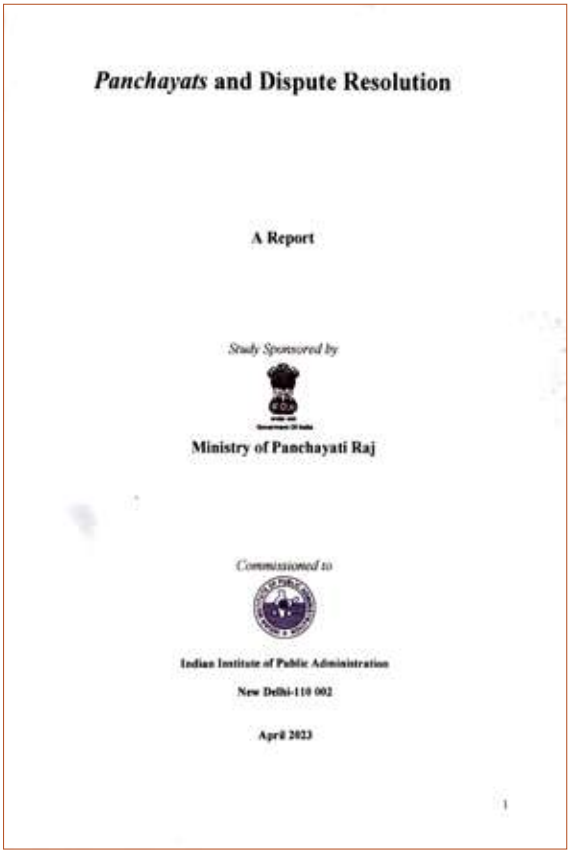

अध्याय 16

कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन

16.1 "कार्य अनुसंधान एवं प्रचार" योजना के कार्य अनुसंधान घटक को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो पंचायती राज के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन में विशेष अनुभव रखने वाले शैक्षणिक संस्थाओं/एनजीओ/शोध संगठनों/पंजीकृत समितियों/ गैर-लाभकारी संगठनों/एसआईआरडी और पीआर को अनुसंधान अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये अध्ययन देश भर में पंचायती राज में दीर्घकालिक मुद्दों, प्रभावों और अनुभव का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं। कार्य अनुसंधान और अनुसंध ान अध्ययन के माध्यम से, मंत्रालय पीआरआई को प्रभावित करने वाले क्रॉसकटिंग नीतिगत मुद्दों की पहचान करने के लिए बौद्धिक प्रयासों का समर्थन करता है और इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों को बताता है। अध्ययन मौजूदा योजना दिशानिर्देशों में कमियों को दूर करने और नए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करते हैं। उक्त घटक में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं या गतिविधियां निम्नवत हैं:

(क) विभिन्न पहलुओं में पंचायतों की स्थिति का आकलन करने के लिए शोध अध्ययन और सर्वेक्षण।

(ख) नीतिगत जोर और उनके प्रभाव का विश्लेषण करने, समवर्ती मूल्यांकन करने और भविष्य के उपायों का सुझाव देने के लिए शोध अध्ययन।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन।

(घ) सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से पायलटों/ प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्य अनुसंधान।

(ङ) पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ जनसंचार के पारंपरिक रूपों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के लिए मंत्रालय द्वारा "कार्य अनुसंधान और प्रचार" के तहत शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले अभियानों के प्रभाव का आकलन करना।

16.2. वर्ष 202324 के दौरान इस घटक के अंतर्गत 2.67 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, जिसमें से 2.63 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

16.3 प्रति वर्ष, मंत्रालय चिन्हित विषयों के आधार पर अध्ययन को मंजूरी देता है। तदनुसार, इस वर्ष के लिए पहचाने गए विषयों के आधार पर, निम्नलिखित अध्ययनों को मंजूरी दी गई और प्रगति पर है:

तालिका- 16.1		
क्र.सं.	**संस्थान/संगठन का नाम**	**अध्ययन का शीर्षक**
1.	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली	स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के सृजन के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी.
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम सभा में कम भागीदारी
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (आइआरएमएम), आणंद गुजरात	आंध्र प्रदेश में संशोधित आरजीएसए के सीएसएस और ग्राम सचिवालयम का मूल्यांकन

मीडिया एवं प्रचार

अध्याय 17

मीडिया एवं प्रचार

परिचय

17.1 पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों, पंचायतों के राज्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ नीति निर्माताओं एवं विचारकों जैसे कई और विविध हितधारकों तक पहुंचने का प्रयास करता है और उनके माध्यम से अंतिम छोर/पायदान की ग्रामीण जनता तक इस मंत्रालय के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतिगत पहलों और कार्यों के बारे में उन्हें सूचित कर जागरूक और शिक्षित करता है।

17.2 इस उद्देश्य के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) न केवल अंतिम छोर/पायदान की ग्रामीण जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए बल्कि पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों की सहायता और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए 'मीडिया और प्रचार' योजना को लागू करता है।

17.3 आईईसी अभियानों की आवश्यकता और लक्षित दर्शकों के अनुसार, लक्षित दर्शकों/समूहों तक पहुंचने, उन्हें जोड़ने, सूचित करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए विभिन्न मीडिया साधनों का उपयोग करते हुए रणनीतिक रूप से मीडिया योजना तैयार की जाती है और इसमें आमतौर पर प्रिंट (समाचार पत्र, पत्रिकाएं), प्रसारण (टीवी, रेडियो, सामुदायिक रेडियो), आउटडोर (दीवार-पेंटिंग/बैनर/होर्डिंग्स/मेला/त्योहार), पारंपरिक (गीत, नृत्य, नाटक, लोक गायन) और सोशल मीडिया शामिल हैं।

17.4 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह-2023

17.4.1 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रीवा, मध्य प्रदेश का दौरा किया और वहां से गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया।

17.4.2 इस वर्ष मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, अन्य हितधारक और रीवा जिले और अन्य पड़ोसी जिलों के स्थानीय निवासी/ग्रामीण जनता शामिल थी।

17.4.3 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर से 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों की वर्चुअल उपस्थिति का उल्लेख किया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की एक साहसिक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

17.4.4 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। ई-ग्राम स्वराज - सरकारी ई-मार्केटप्लेस एकीकरण का उद्देश्य ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए पंचायतों को जीईएमके माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी सौंपे। इस कार्यक्रम के बाद, देश भर में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में वितरित किए गए कार्ड भी शामिल हैं।

17.4.5 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और देश भर में ग्राम सभाओं और पंचायतों को प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण / वेबकास्ट देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई।

17.5 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के ईआर/निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी:

17.5.1 देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक पहल के रूप में, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उनके जीवन-साथियों(Spouses) ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह में पंचायती राज संस्थाओं से लगभग 400 प्रतिभागी शामिल हुए।

17.5.2 गणतंत्र दिवस परेड के बाद, भाग लेने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा सम्मानित किया गया तथा राष्ट्र की लोकतांत्रिक संरचना में पंचायत की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया गया।

17.6 गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के अंतर्गत वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो-2024में पंचायती राज मंत्रालय की भागीदारी

पंचायती राज मंत्रालय ने 9 से 13 जनवरी 2024 तक गांधीनगर, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के तहत आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो-2024 में भाग लिया और 'स्मार्ट पंचायत' विषय पर एक स्टॉल लगाया।

मंत्रालय, आने वाले वर्षों में सभी पंचायतों को तकनीकी और डिजिटल रूप से उन्नत संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मंच का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी योजनाओं और पहलों का प्रदर्शन किया, जिसमें स्मार्ट पंचायत बनाने की दिशा में किए जा रहे सुधारों पर प्रकाश

डाला गया। स्टॉल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को स्मार्ट पंचायतों की अवधारणा से अवगत होने का अवसर प्रदान किया और उन्हें अपनी पंचायतों में ऐसे नवाचारों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस स्टॉल पर मंत्रालय की प्रमुख योजना, स्वामित्व, के साथ-साथ पर्यावरण-हितैषी और टिकाऊ/स्थायी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर पैनलों से सुसज्जित पंचायत भवनों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे स्कूलों और अस्पतालों के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा, स्टॉल पर जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) और ग्राम पंचायत भवनों में सार्वजनिक सेवा केंद्रों का सह-स्थापन, निवासियों के लिए करों और शुल्कों का भुगतान करने हेतु क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली, देश में पंचायतों

पंचायती राज मंत्रालय के " स्मार्ट पंचायत" स्टॉल का अवलोकन करते गुजरात के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री श्री भीखूसिंह जी परमार

के बारे में वन-स्टॉप सूचना मंच प्रदान करने वाला 'मेरी पंचायत एप्लीकेशन' और ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक नियोजन की सुविधा प्रदान करने वाला 'ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन' दिखाया गया।

स्टॉल ने बड़ी संख्या में आगंतुकों/दर्शकों को आकर्षित किया, उन्हें प्रदर्शनों और टच स्क्रीन-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ जोड़ा। कार्यक्रम के दौरान, लगभग 4,000 आगंतुक/दर्शक स्टॉल पर आए, जिनमें उद्घाटन के दिन (9 जनवरी 2024) 150 व्यापार प्रतिनिधि से लेकर समापन के दिन (13 जनवरी 2024) 1,500 तक शामिल थे। टच स्क्रीन आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता स्टॉल का मुख्य आकर्षण थी, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक 10 प्रश्न हल किए। कई प्रतिभागियों ने 5 या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए और उन्हें विशिष्ट रूप से निर्मित/ कस्टमाइज्ड टी-शर्ट प्रदान की गई।

स्टॉल और उसके प्रदर्शनों का समग्र प्रभाव बहुत सकारात्मक रहा, जिसने बड़ी संख्या में आगंतुकों/दर्शकों को आकर्षित किया और इससे मंत्रालय तथा उसकी गतिविधियों के बारे में सामान्य जागरूकता का सृजन हुआ। आगंतुकों/दर्शकों में व्यवसायी, छात्र और बच्चे जैसे विभिन्न जनसांख्यिकी के व्यक्ति शामिल थे। जापान, नैरोबी, ओमान और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, आगंतुकों/दर्शकों को मंत्रालय, एनआईसी और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मार्गदर्शन और जानकारी दी गई। प्रमुख आगंतुकों/दर्शकों में गणमान्य व्यक्ति, नीति

निर्माता, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि, विदेशी प्रतिनिधि, व्यापारिक नेता, मीडिया कर्मी, शिक्षाविद्, स्थानीय निवासी और अन्य स्टॉल के कर्मचारी शामिल थे।

17.7 प्रिंट मीडिया संबंधी गतिविधियाँ

17.7.1 प्रिंट मीडिया गतिविधियों के भाग के रूप में, मंत्रालय ने वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तिकाएँ, विवरणिका, पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित कीं। वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं:

1. पंचायतों की भूमिका, जिम्मेदारियाँ तथा शक्तियाँ और कर्तव्य। (अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तिका)
2. जनता को जन समर्पित सरकार के नौ वर्ष। (अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तिका)
3. पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का एक दशक। (हिंदी में पुस्तिका)
4. ग्रामोदय संकल्प (स्वामित्व पर विशेष अंक)

17.8 ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम

पंचायतों और ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए एनएफडीसी के माध्यम से (i) एलएसडीजी विषय- स्वस्थ गांव, (ii) स्वामित्व योजना, (iii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा किए गए विशेष अभियान 3.0 के तहत मंत्रालय में स्वच्छता पहल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं, (iv) एलएसडीजी विषय - सुशासन वाला गांव, (v) पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई), (vi) पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल, (vii) माननीय मंत्री (पंचायती राज) और माननीय राज्य मंत्री (पंचायती राज) के विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर वीडियो-संदेश आदि पर लघु फिल्में तैयार की गई।

17.9 आईईसी अभियान

17.9.1 पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे वर्ष आईईसी/जागरूकता सृजन गतिविधियों को जारी रखा, जिसका उद्देश्य सूचना प्रसार/प्रभावी संचार से पंचायतों की क्षमता का निर्माण और उनके कार्य-निष्पादन में वृद्धि करना है। मीडिया गतिविधियों का उद्देश्य तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पीआरआई के कर्मचारियों, राज्य मशीनरी के अधिकारियों, अन्य हितधारकों और आम जनता को लक्षित करना है।

17.9.2 मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं और पंचायती राज के अन्य हितधारकों के बीच मंत्रालय के प्रमुख अभियानों, पहलों और गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए बल्क शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज (SMSes), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता ली।

17.9.3 पिछले तीन वर्षों से पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण जनता के बीच सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों के प्रमुख अभियानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे सोशल मीडिया और बल्क SMSes तथा पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट/डैशबोर्ड और मंत्रालय के व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से उपयोगी जानकारी का व्यापक प्रसार कर रहा है।

17.10 वर्षांत समीक्षा (2023)– वार्षिक प्रेस विज्ञप्ति वर्ष 2023 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख करने वाली वार्षिक प्रेस विज्ञप्ति 30 दिसंबर 2023 को प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जारी की गई।

सोशल मीडिया और यूट्यूब चौनल

17.11.1 ग्रामीण जनता के बीच सोशल मीडिया की पहुंच और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, वर्तमान में, पंचायती राज मंत्रालय चार सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क सेवाओं का उपयोग करता है: X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (वीडियो शेयरिंग के लिए)।

17.11.2 सर्विस प्लस और सोशल मीडिया द्वारा संचालित बल्क-SMS का उपयोग मंत्रालय द्वारा घटनाओं / गतिविधियों / अभियानों को कवर करने के साथ-साथ पंचायती राज मंत्रालय के अलावा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण संदेशों के प्रसार के लिए किया जा रहा है।

17.11.3 एनएफडीसी और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से निर्मित विभिन्न प्रारूपों/शैली में ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, अन्य मंत्रालयों/विभागों के समान ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों सहित, इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जिनमें माननीय प्रधान मंत्री के मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों के साथ यूट्यूब चौनल का लिंक मंत्रालय की वेबसाइट पर अंत: स्थापित/एम्बेडेड किया जाता है, ताकि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि जन जागरूकता लाना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडी एंड पीआर) द्वारा उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके।

17.11.4 मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि सहित सभी प्रमुख कार्यक्रमों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से कवर करके प्रसारित किया गया। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवसों/अभियानों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह, विशेष अभियान 3.0, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष-2023, मिशन लाइफ, आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) आदि के स्मरणोत्सव से संबंधित आईसी अभियान भी सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विवरण:

क्र.सं.	प्लेटफॉर्म	प्रयोगकत्ता का नाम	प्रयोगकत्ता आईडी	फॉलोअर्स की संख्या	URL(लिंक)
1.	X (ट्विटर)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@mopr_goi	178.6 k	https://twitter.com/mopr_goi
2.	फेसबुक	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry Of Panchayati Raj	65.2 k	https://www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
3.	कू	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry Of Panchayati Raj	3k	https://www.kooapp.com/profile/MinistryOfPanchayatiRaj
4.	इंस्टाग्राम	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry Of Panchayati Raj	30.7 k	https://www.instagram.com/ministryOfpanchayatiraj
5.	यूट्यूब	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	@Ministry Of Panchayati Raj	14.3k	https://www.youtube.com/@MinistryOfPanchayatiRaj

अनुबंध

अनुबंध-I

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G)

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार शामिल है
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास
4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
7. लघु वनोपज
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवासन
11. पेयजल
12. ईंधन और चारा
13. सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण शामिल है
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और सफाई, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधायलय शामिल हैं।
24. परिवार कल्याण
25. महिला और बाल विकास
26. सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग लोगों का कल्याण शामिल है
27. कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

अनुबंध-II

पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली की 31.03.2024 तक की क्षमता							
क्र.सं	पद	स्वीकृत क्षमता	स्थिति में	खाली	वेतन का स्तर	समूहए/ बी/सी	राजपत्रित/ गैर-राजपत्रित
1.	सचिव	1	1	0	17	क	राजपत्रित
2.	अपर सचिव	1	1	0	15	क	राजपत्रित
3.	संयुक्त सचिव (इन-सीटू सहित)	3	4	0	14	क	राजपत्रित
4.	आर्थिक सलाहकार	1	1	0	14	क	राजपत्रित
5.	निदेशक/उप सचिव (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति-3, सीएसएस-2)	5	4	1	13, 12	क	राजपत्रित
6.	संयुक्त निदेशक/निदेशक(आईईएस)	1	1	0	13	क	राजपत्रित
7.	संयुक्त निदेशक/निदेशक (आईएसएस)	1	1	0	13,12	क	राजपत्रित
8.	उप निदेशक/एडी (आईईएस)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
9.	उप निदेशक (रा.भा.)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
10.	अवर सचिव	8	8	0	11	क	राजपत्रित
11.	पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस(2)/पीपीएस	7	7	0	13/12/11	क	राजपत्रित
12.	शोध अधिकारी	1	0	1	10	क	राजपत्रित
13.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	1	0	10	क	राजपत्रित
14.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0	10/9	ख	राजपत्रित
15.	एएओ	1	1	0	8	ख	राजपत्रित
16.	अनुभाग अधिकारी	14	13	1	8	ख	राजपत्रित
17.	पीएस	5	1	4	8	ख	राजपत्रित
18.	सहायक अनुभाग अधिकारी	15	10	5	7	ख	गैर-राजपत्रित
19.	पीए	3	0	3	7	ख	गैर-राजपत्रित
20.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1	1	0	7	ख	गैर-राजपत्रित
21.	शोध सहायक	1	0	1	7	ख	गैर-राजपत्रित
22.	रिकॉर्ड सहायक	1	0	1	6	ख	गैर-राजपत्रित
23.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	2	2	0	6	ख	गैर-राजपत्रित
24.	लेखाकार	3	2	1	6/5	ख	गैर-राजपत्रित
25.	केयर टेकर	1	0	1	4	ग	गैर-राजपत्रित
26.	स्टेनो ग्रेड 'डी'	9	7	2	4	ग	गैर-राजपत्रित
27.	एसएसए/यूडीसी	1	1	0	4	ग	गैर-राजपत्रित
28.	जेएसए/एलडीसी	2	0	2	2	ग	गैर-राजपत्रित
29.	डिस्पैच राइडर	1	0	1	1	ग	गैर-राजपत्रित
30.	स्टाफ कार चालक	5	0	5	2	ग	गैर-राजपत्रित
31.	एमटीएस	14	7	7	1	ग	गैर-राजपत्रित
	कुल (I)	113	78	36			

पंचायती राज मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (31 मार्च 2024 की स्थिति में)

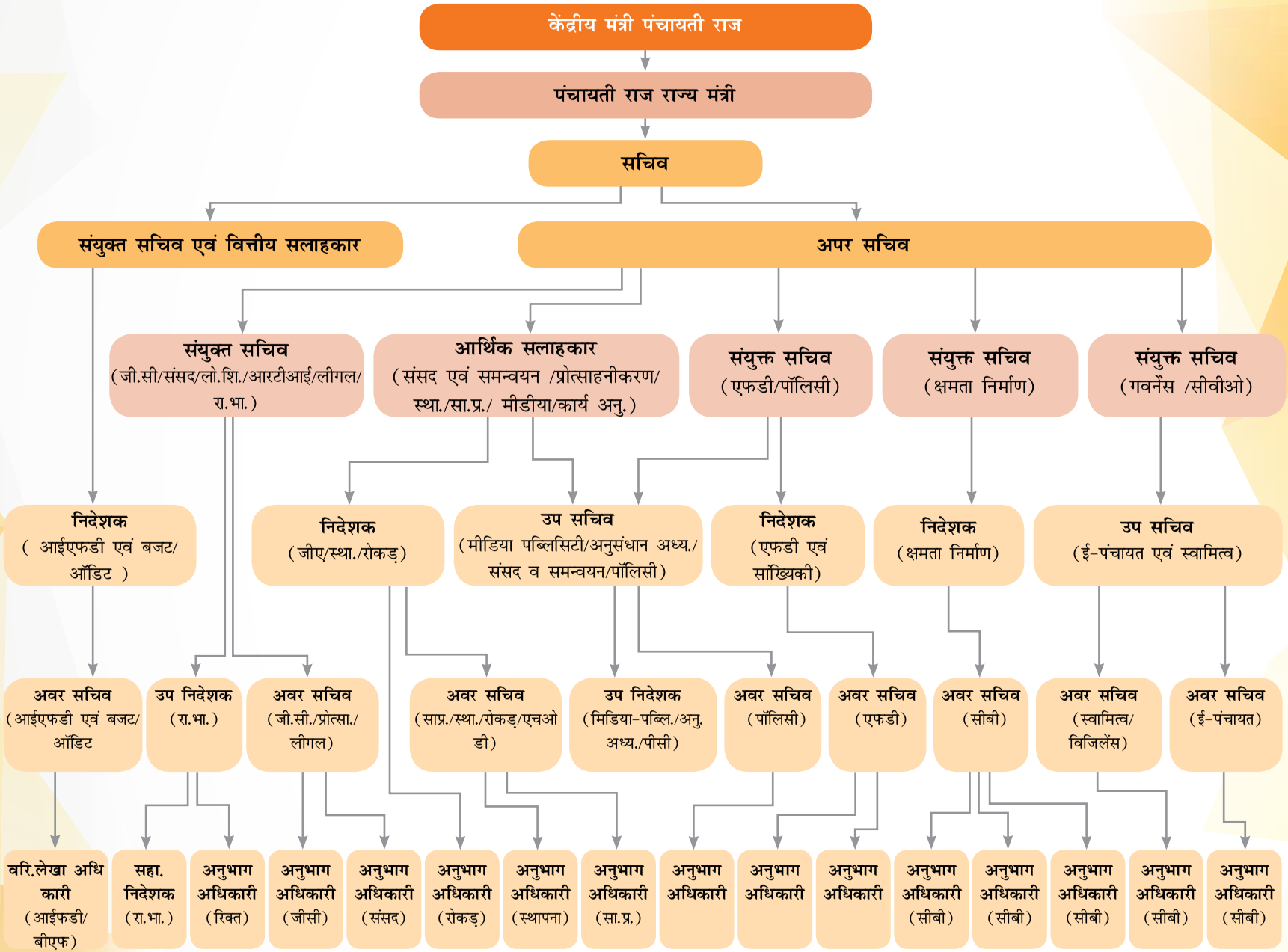

अनुबंध-IV

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)/संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी **धनराशि**

क्र.सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	आरजीएसए				संशोधित आरजीएसए	
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.790
2.	आंध्र प्रदेश	67.69	0.00	22.34	38.54	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	33.19	39.59	0.00	30.07	108.69	72.090
4.	असम	39.21	23.22	26.12	44.04	55.29	77.696
5.	बिहार	4.25	0.00	0.00	63.77	33.37	25.000
6.	छत्तीसगढ़	7.24	0.00	4.04	7.93	0.00	17.57
7.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.00
	दमन और दीव	0.00	0.00				
8.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.89
9.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हरियाणा	6.99	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.26	10.00	22.10	32.42	60.645	19.31
12.	जम्मू और कश्मीर	25.06	6.19	25.00	40.00	40.00	65.00
13.	झारखंड	4.49	0.00	2.34	7.74	0.00	31.00
14.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.44	29.15	36.00	20.00
15.	केरल	7.68	0.00	8.13	12.00	30.40	10.00
16.	लद्दाख	-	-	2.15	1.08	0.00	1.00
17.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	62.79	85.48	71.42	47.11	28.00	32.17
19.	महाराष्ट्र	11.54	8.44	66.76	73.34	37.84	116.118
20.	मणिपुर	9.25	4.54	3.41	2.98	8.63	9.560
21.	मेघालय	4.44	2.63	3.97	0.00	0.00	6.00
22.	मिजोरम	9.85	0.50	21.19	5.56	14.27	10.00
23.	नागालैंड	7.89	3.94	3.72	4.58	0.00	10.00
24.	ओडिशा	0.00	0.00	2.94	1.33	11.397	27.33
25.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पंजाब	29.68	0.00	13.45	10.78	34.253	10.00
27.	राजस्थान	25.57	0.00	12.98	17.27	0.00	21.72
28.	सिक्किम	5.08	5.10	4.75	1.19	6.01	6.00
29.	तमिलनाडु	57.60	5.30	56.88	39.89	25.42	0.00
30.	तेलंगाना	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	20.00
31.	त्रिपुरा	2.77	0.00	2.53	4.67	9.80	7.430
32.	उत्तर प्रदेश	57.14	169.92	32.54	83.08	85.05	84.126
33.	उत्तराखंड	33.05	23.79	26.75	0.00	42.48	64.67
34.	पश्चिम बंगाल	54.94	44.10	33.52	15.14	4.28	33.692
	उप योग	584.65	432.74	491.34	614.25	672.96	800.166
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी	13.62	0.16	8.59	3.75	10.009	14.69
	कुल	598.27	432.90	499.93	617.99	682.98	814.86

* as on 31st March, 2024

अनुबंध-V

आरजीएसए के तहत 2018-19 से 2023-24 तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति							
क्र.सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	343	509	0	553	1874	2865
2.	आंध्र प्रदेश	380224	600866	483233	155089	677905	165001
3.	अरुणाचल प्रदेश	1785	9636	0	18377	3711	6138
4.	असम	322528	209737	114159	126731	228013	348183
5.	बिहार	0	30223	34871	72328	404741	163809
6.	छत्तीसगढ़	292025	129543	39843	54164	121324	163292
7.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	56	61	0	813	575	1000
8.	गोवा	1704	3089	0	3249	1777	3548
9.	गुजरात	543094	22159	0	10455	29090	1938
10.	हरियाणा	35293	0	3334	5776	4859	12431
11.	हिमाचल प्रदेश	7303	3852	518	26923	108721	92458
12.	जम्मू और कश्मीर	102540	34256	11950	261087	284144	350026
13.	झारखंड	11221	0	0	25260	52083	54056
14.	कर्नाटक	301375	304477	296546	378586	253464	363317
15.	केरल	109057	107216	0	150634	179576	149153
16.	लद्दाख	0	0	0	4898	204	0
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	540573	480984	961367	374724	281550	86884
19.	महाराष्ट्र	80703	711268	116315	681610	1043060	984321
20.	मणिपुर	20204	582	8338	1682	895	5591
21.	मेघालय	2600	10797	0	3159	11598	74410
22.	मिजोरम	6510	3048	0	4337	2659	9800
23.	नागालैंड	14999	5457	600	25540	1832	3435
24.	ओडिशा	36851	65500	37784	27770	79124	160774
25.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
26.	पंजाब	77112	0	28094	45940	36380	13359
27.	राजस्थान	122077	570	0	3164	92279	96389
28.	सिक्किम	15166	6910	15166	5439	13563	11249
29.	तमिलनाडु	391621	160399	628125	138810	106560	101513
30.	तेलंगाना	169078	14016	1039	4927	14534	2441
31.	त्रिपुरा	15910	10399	6794	43138	7743	63715
32.	उत्तर प्रदेश	251796	16648	71835	116042	48562	144374
33.	उत्तराखंड	38839	2226	20335	17922	263896	82712
34.	पश्चिम बंगाल	412064	453766	448226	421398	175058	272762
35.	मध्य/ एनआईआरडीपीआर	--	--	--	--	5230	1438
	कुल	4304651	3398194	3328472	3210525	4536584	3992382

* 31 मार्च, 2024 तक

अनुबंध-VI

XV वित्त आयोग अनुदान - पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच वितरण		
क्र.सं	राज्य	% आवंटन (जीपी:बीपी:जेडपी)
1.	आंध्र प्रदेश	70:15:15
2.	अरुणाचल प्रदेश	70 : -: 30 (Two Tier Panchayats)
3.	कर्नाटक	85:10:05
4.	नागालैंड	100% to VCs
5.	गुजरात	70:20:10
6.	झारखंड	75:15:10
7.	हिमाचल प्रदेश	70:15:15
8.	असम	70:15:15
9.	बिहार	70:20:10
10.	छत्तीसगढ़	75:15:10
11.	गोवा	85 : - : 15 (Two Tier Panchayats)
12.	हरियाणा	75:15:10
13.	केरल	75 : 12.5 : 12.5
14.	मध्य प्रदेश	85:10:05
15.	महाराष्ट्र	80:10:10
16.	मणिपुर	70 : - : 30 (Two Tier Panchayats)
17.	मेघालय	100% to three ADCs*
18.	मिजोरम	100% to VCs
19.	ओडिशा	70:20:10
20.	पंजाब	75:15:10
21.	राजस्थान	75:20:05
22.	सिक्किम	85 : - : 15 (Two Tier Panchayats)
23.	तमिलनाडु	80:15:05
24.	तेलंगाना	85:10:05
25.	त्रिपुरा	70:25:05
26.	उत्तर प्रदेश	70:15:15
27.	उत्तराखंड	75:10:15
28.	पश्चिम बंगाल	70:15:15

31.03.2024 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और रिलीज

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	2025-26
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1.	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2099.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	85.00	177.00		179.00		189.00	185.00
3.	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	1283.00
4.	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3852.41	4114.00	4012.00
5.	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1163.00
6.	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00		58.00		62.00	61.00
7.	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	2555.00
8.	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	566.41	1036.00	1011.00
9.	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	118.51	352.00	343.00
10.	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	653.50	1385.00	1351.00
11.	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	2572.00
12.	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1301.00
13.	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	1394.59	3265.00	3185.00
14.	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4107.82	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	4659.00
15.	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00		145.00	142.00
16.	मेघालय	182.00	182.00	135.00	40.50	140.00		141.00		149.00	146.00
17.	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	14.20	72.00		76.00	74.00
18.	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00		102.00	99.00
19.	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1805.00
20.	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	481.16	1138.00	1110.00
21.	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2795.94	3166.00	3087.00
22.	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	23.07	35.00	33.00
23.	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	2884.00
24.	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	1477.00
25.	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	103.60	157.00	153.00
26.	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7797.00
27.	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	310.77	471.00	458.00
28.	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3386.71	3617.00	3528.00
	कुल	60750.00	60750.00	44901.00	44427.87	46513.00	44681.05	47018.00	41008.00	49800.00	48573.00

लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (4 अप्रैल 2024 तक)

क्र.सं	राज्य	जिला परिषदों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले जिला परिषदों की संख्या	कुल बी.पी. संख्या	उत्पन्न रिपोर्ट के साथ बीपी की संख्या	जीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ पीआरआई की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	10	660	660	13,325	13,324	13,998	13,994
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	-	10	-	2,133	375	2,169	375
3.	असम	30	25	192	187	2,663	2,197	2,885	2,409
4.	बिहार	38	38	534	505	8,126	8,000	8,698	8,543
5.	छत्तीसगढ़	27	27	146	146	11,660	11,655	11,833	11,828
6.	गोवा	2	-	-	-	191	-	193	-
7.	गुजरात	33	33	248	248	14,572	14,562	14,853	14,843
8.	हरियाणा	22	22	142	142	6,235	6,212	6,399	6,376
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	81	81	3,615	3,615	3,708	3,708
10.	झारखंड	24	24	264	264	4,345	4,345	4,633	4,633
11.	कर्नाटक	31	-	233	-	5,964	5,948	6,228	5,948
12.	केरल	14	14	152	152	941	941	1,107	1,107
13.	मध्य प्रदेश	52	33	313	218	22,993	22,176	23,358	22,427
14.	महाराष्ट्र	34	30	351	350	27,886	27,660	28,271	28,040
15.	मणिपुर	12	-	-	-	3,812	11	3,824	11
16.	मेघालय	11	-	2,241	-	6,773	-	9,025	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	834	-	834	-
18.	नागालैंड	-	-	-	-	1,300	-	1,300	-
19.	ओडिशा	30	30	314	314	6,798	6,793	7,142	7,137
20.	पंजाब	23	22	152	152	13,268	13,206	13,443	13,380
21.	राजस्थान	33	33	352	351	11,343	10,736	11,728	11,120
22.	सिक्किम	6	4	-	-	185	185	191	189
23.	तमिलनाडु	36	36	388	388	12,525	12,525	12,949	12,949
24.	तेलंगाना	32	32	540	540	12,769	12,769	13,341	13,341
25.	त्रिपुरा	9	9	75	75	1,176	1,176	1,260	1,260
26.	उत्तर प्रदेश	13	13	95	95	7,791	7,761	7,899	7,869
27.	उत्तराखंड	75	75	826	826	58,193	58,189	59,094	59,090
28.	पश्चिम बंगाल	22	20	345	314	3,341	3,198	3,708	3,532
	कुल	660	542	8,654	6,008	264,757	247,559	274,071	254,109

अनुबंध-VIII (ख)

लेखापरीक्षा अवधि के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति 2022-23 (दिनांक 4 अप्रैल, 2024 तक)

क्र.सं	राज्य	कुल जिला परिषदों की संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले जिला परिषदों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले ब्लॉक पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट वाले पीआरआई की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	-	660	606	13,326	13,244	13,999	13,850
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	-	-	-	2,108	-	2,133	-
3.	असम	30	26	192	187	2,662	2,191	2,884	2,404
4.	बिहार	38	1	534	78	8,078	5,268	8,650	5,347
5.	छत्तीसगढ़	27	7	146	40	11,659	4,262	11,832	4,309
6.	गोवा	2	-	-	-	191	-	193	-
7.	गुजरात	33	20	248	242	14,614	14,584	14,895	14,846
8.	हरियाणा	22	22	143	142	6,232	6,211	6,397	6,375
9.	हिमाचल प्रदेश	12	8	81	77	3,615	3,485	3,708	3,570
10.	झारखंड	24	-	264	-	4,345	-	4,633	-
11.	कर्नाटक	31	-	238	-	5,953	5,952	6,222	5,952
12.	केरल	14	14	152	152	941	941	1,107	1,107
13.	मध्य प्रदेश	52	25	313	169	23,030	11,661	23,395	11,855
14.	महाराष्ट्र	34	1	351	34	27,909	24,391	28,294	24,426
15.	मणिपुर	12	-	-	-	3,812	-	3,824	-
16.	मेघालय	3	-	2,241	-	6,814	-	9,058	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	842	-	842	-
18.	नागालैंड	-	-	-	-	1,298	-	1,298	-
19.	ओडिशा	30	30	314	310	6,794	6,609	7,138	6,949
20.	पंजाब	22	-	152	-	13,241	1,715	13,415	1,715
21.	राजस्थान	33	11	355	180	11,304	6,026	11,692	6,217
22.	सिक्किम	6	5	-	-	199	184	205	189
23.	तमिलनाडु	36	-	388	-	12,525	12,460	12,949	12,460
24.	तेलंगाना	32	32	540	540	12,769	12,769	13,341	13,341
25.	त्रिपुरा	9	8	75	64	1,176	1,044	1,260	1,116
26.	उत्तर प्रदेश	13	-	95	25	7,813	4,628	7,921	4,653
27.	उत्तराखंड	75	6	826	50	58,194	25,501	59,095	25,557
28.	पश्चिम बंगाल	22	20	345	320	3,339	3,219	3,706	3,559
	कुल	650	236	8,653	3,216	264,783	166,345	274,086	169,797

अनुबंध-IX

GAZETTE NOTIFICATION OF PESA ACT

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004 / 96 REGISTERED NO. DL-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 70] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1996 / पौष 3, 1918
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1996 /PAUSA 3, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 1996/Pausa 3, 1918 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th December, 1996 and hereby published for general information:—

THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996

No. 40 OF 1996

[*24th December*, 1996]

An Act to provide for the extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats to the Scheduled Areas.

BE it enacted by Parliament in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996. Short title

2. In this Act, unless the context otherwise requires, "Scheduled Areas" means the Scheduled Areas as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution. Definition.

3. The provisions of Part IX of the Constitution relating to Panchayats are hereby extended to the Scheduled Areas subject to such exceptions and modifications as are provided in section 4. Extension of Part IX of the Constitution.

Exceptions and modifications to Part IX of the Constitution.

4. Notwithstanding anything contained under Part IX of the Constitution, the Legislature of a State shall not make any law under that Part which is inconsistent with any of the following features, namely:—

(*a*) a State legislation on the Panchayats that may be made shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources;

(*b*) a village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs;

(*c*) every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level;

(*d*) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution;

(*e*) every Gram Sabha shall—

(*i*) approve the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level;

(*ii*) be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes;

(*f*) every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause (*e*);

(*g*) the reservation of seats in the Scheduled Areas at every Panchayat shall be in proportion to the population of the communities in that Panchayat for whom reservation is sought to be given under Part IX of the Constitution:

Provided that the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats:

Provided further that all seats of Chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes;

(*h*) the State Government may nominate persons belonging to such Scheduled Tribes as have no representation in the Panchayat at the intermediate level or the Panchayat at the district level:

Provided that such nomination shall not exceed one-tenth of the total members to be elected in that Panchayat;

(*i*) the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the Scheduled Areas for development projects and before re-settling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas; the actual planning and implementation of the projects in the Scheduled Areas shall be coordinated at the State level;

(*j*) planning and management of minor water bodies in the Scheduled Areas shall be entrusted to Panchayats at the appropriate level;

(*k*) the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas;

(*l*) the prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction;

(*m*) while endowing Panchayats in the Scheduled Areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a State Legislature shall ensure that the Panchayats at the appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with—

(*i*) the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant;

(*ii*) the ownership of minor forest produce;

(*iii*) the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe;

(*iv*) the power to manage village markets by whatever name called;

(*v*) the power to exercise control over money lending to the Scheduled Tribes;

(*vi*) the power to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors;

(*vii*) the power to control over local plans and resources for such plans including tribal sub-plans;

(*n*) the State legislations that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayat at the lower level or of the Gram Sabha;

(*o*) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the Constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Areas.

Continu existing and Panchay

5. Notwithstanding anything in Part IX of the Constitution with exceptions and modifications made by this Act, any provision of any law relating to Panchayats in force in the Scheduled Areas immediately before the date on which this Act receives the assent of the President which is inconsistent with the provisions of Part IX with such exceptions and modifications shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from the date on which this Act receives the assent of the President:

Provided that all the Panchayats existing immediately before such date shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

K.L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS (PLU) MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996.

अनुबंध-X

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023

(राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल पुरस्कारों की संख्या)							
क्र.सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	वित्तीय प्रोत्साहन आधारित पुरस्कारों की कुल संख्या				केवल प्रमाण पत्र (कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं)	कुल योग(केवल वित्तीय + प्रमाणपत्र)
		जिला पंचायत	ब्लॉक पंचायत	ग्राम पंचायत	कुल	ग्राम पंचायत	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	1	1	-	1
2.	असम	-	-	1	1	-	1
3.	छत्तीसगढ़	-	-	2	2	-	2
4.	जम्मू और कश्मीर	-	-	3	3	-	3
5.	झारखंड	-	-	1	1	-	1
6.	केरल	-	-	5	5	-	5
7.	महाराष्ट्र	-	-	4	4	1	5
8.	मिजोरम	-	-	1	1	-	1
9.	ओडिशा	1	1	5	7	1	8
10.	तमिलनाडु	-	-	1	1	-	1
11.	तेलंगाना	1	1	10	12	1	13
12.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	-	-	1	-	1
13.	त्रिपुरा	-	1	-	1	1	2
14.	उत्तर प्रदेश	-	-	2	2	-	2
	कुल	**3**	**3**	**36**	**42**	**4**	**46**

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार